

विधान सभा के पटल पर
दिनांक.....को प्रस्तुत


3 नवम्बर
NOV 2015

राज्य के वित्त पर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

उत्तराखण्ड सरकार



विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	प्रस्तर	पृष्ठ सं.
1	प्राक्कथन		v
2	कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय- 1: राज्य सरकार के वित्त			
3	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
4	राज्य के संसाधन	1.2	7
5	राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	10
6	पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	15
7	लोक लेखा प्राप्तियाँ	1.5	15
8	संसाधनों का उपयोग	1.6	16
9	व्यय की गुणवत्ता	1.7	21
10	सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण	1.8	23
11	परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	27
12	ऋण प्रबन्धन	1.10	30
13	राजकोषीय असंतुलन	1.11	33
14	राज्य वित्त पर विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण	1.12	36
15	निष्कर्ष	1.13	36
16	संस्तुतियाँ	1.14	38
अध्याय- 2: वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण			
17	प्रस्तावना	2.1	39
18	विनियोग लेखे का सारांश	2.2	39
19	वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबन्धन	2.3	40
20	चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम	2.4	48
21	कोषागार निरीक्षण के परिणाम	2.5	50
22	आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.6	51
23	सार आकस्मिक बिलो के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकास्मिक बिलों का प्रस्तुतीकरण लम्बित रहना	2.7 (अ)	51
24	असमाधानित व्यय	2.7 (ब)	52
25	बजट प्रक्रिया में त्रुटियाँ	2.8	53
26	निष्कर्ष	2.9	54
27	संस्तुतियाँ	2.10	55

अध्याय-3: वित्तीय प्रतिवेदन			
28	उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	3.1	57
29	लेखाओं का प्रस्तुत न किया जाना / विलम्ब से प्रस्तुतीकरण	3.2	57
30	विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	3.3	58
31	दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि	3.4	58
32	लघु शीर्ष 800-‘अन्य प्राप्तियाँ’ तथा ‘अन्य व्यय’ के अधीन बुकिंग	3.5	59
33	निष्कर्ष	3.6	60
34	संस्तुतियाँ	3.7	61

परिशिष्ट

	विवरण	पृष्ठ सं.
परिशिष्ट 1	राज्य रूपरेखा	63
परिशिष्ट 1.1	भाग अ: सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना भाग ब: वित्त लेखे का विन्यास	65 65
परिशिष्ट 1.2	भाग अ: राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि भाग ब: राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005	67 69
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े	72
परिशिष्ट 1.4	भाग अ: वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार भाग ब: 31 मार्च 2014 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	75 79
परिशिष्ट 1.5	2013-14 के दौरान राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत राज्य बजट से बाहर अन्तरित निधियों को दर्शाती विवरणी	81
परिशिष्ट 1.6	पूर्ण लोक निजी सहभागिता (लो नि स) परियोजनाओं की सूची	83
परिशिष्ट 1.7	निविदाधीन लो नि स परियोजनाओं की सूची	84
परिशिष्ट 1.8	पाईपलाइन में लो नि स परियोजनाओं की सूची	86
परिशिष्ट 1.9	निरस्त लो नि स परियोजनाओं की सूची	89
परिशिष्ट 1.10	विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों का सारांशित वित्तीय विवरण	90
परिशिष्ट 2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी	91
परिशिष्ट 2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें व्ययाधिक्य प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था	93
परिशिष्ट 2.3	प्रकरण जिसमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	94
परिशिष्ट 2.4	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए	95
परिशिष्ट 2.5	₹ 10 लाख या अधिक की बचत (निधियों के उपयोग में कमी)/आधिक्य में परिणत निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनिर्विनियोग	96
परिशिष्ट 2.6	वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए भारी अभ्यर्पण	99
परिशिष्ट 2.7	वास्तविक बचतो (₹ 50 लाख या अधिक) के आधिक्य से अभ्यर्पण	101
परिशिष्ट 2.8	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ पाँच करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया	102
परिशिष्ट 2.9	₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया	103

परिशिष्ट 2.10	30/31 मार्च 2014 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण	105
परिशिष्ट 2.11	व्यय की तीव्रता	106
परिशिष्ट 2.12	वर्ष के अंत में जमा खातों में स्थानान्तरित की गयी निधि	107
परिशिष्ट 2.13	2011-14 के दौरान निरन्तर बचत	108
परिशिष्ट 2.14	व्यय की तीव्रता	110
परिशिष्ट 2.15	वर्ष 2013-14 के दौरान प्रतिपूर्ति न किये गये आकस्मिकता निधि से व्यय	111
परिशिष्ट 2.16	अनुदानों एवं मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत आकस्मिकता निधि में वर्षवार प्रतिपूर्ति न की गयी निधियाँ	112
परिशिष्ट 2.17	वर्ष 2013-14 तक के लम्बित डी सी बिल (मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार)	113
परिशिष्ट 3.1	विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण	114
परिशिष्ट 3.2	दुर्विनियोग, चोरी/हानि आदि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/अवधिवार विवरण (वे मामलें जिनमें मार्च 2014 के अन्त में अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी)	115
परिशिष्ट 3.3	चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्री की हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण	116
परिशिष्ट 4.1	शब्दावली	117


प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

अध्याय-1 एवं अध्याय-2 में राज्य सरकार के 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न प्रकरणों पर की गई लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ सम्मिलित हैं। आवश्यकतानुसार राज्य सरकार से भी सूचना प्राप्त की गयी है।

अध्याय-3 वित्तीय प्रतिवेदन पर चालू वर्ष के दौरान सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

विभिन्न विभागों में की गई निष्पादन लेखापरीक्षा एवं लेनदेन की लेखापरीक्षा एवं सांविधिक निगमों, परिषदों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न प्रकरणों से संबंधित लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को एवं राजस्व प्राप्तियों से संबंधित अभियुक्तियों को पृथक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।



अध्याय - 1

कार्यकारी सारांश

राज्य सरकार के वि

१९५८

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के सापेक्ष बजट एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में निर्धारित लक्ष्यों तथा प्रभावी प्रवृत्तियों एवं सरकार की प्राप्ति एवं संवितरणों की संरचनात्मक रूपरेखा के आकलन के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है।

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष पर उत्तराखण्ड सरकार के लेखापरीक्षित लेखों और विभिन्न स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना पर आधारित, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध कराता है।

अध्याय 1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2014 को उत्तराखण्ड सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह मुख्य राजकोषीय समग्रों, वचनबद्ध व्ययों, ऋणपद्धति इत्यादि की प्रवृत्तियों और रूपरेखाओं पर एक गहन अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय 2 विनियोग लेखे पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदान-वार विवरण एवं वह ढंग, जिस प्रकार सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों को प्रबन्धित किया गया, प्रदान करता है।

अध्याय 3 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रतिवेदनीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण का विवरण प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य, राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) पर लाने में समर्थ था। फलस्वरूप राजस्व घाटा वर्ष 2011-12 (₹ 716 करोड़), वर्ष 2012-13 (₹ 1,787 करोड़) तथा 2013-14 (₹ 1,105 करोड़) के दौरान आधिक्य में परिवर्तित हो गया। वर्ष 2007-08 से राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा एफ आर बी एम एक्ट में निर्धारित चार प्रतिशत (पुनरीक्षित) लक्ष्य से नीचे बना रहा। यह वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के दौरान (स रा घ उ का 3.5 प्रतिशत) तथा वर्ष 2013-14 के दौरान (स रा घ उ का 3.0 प्रतिशत) की उचित सीमा के अंदर था। चालू वर्ष 2013-14 का राजकोषीय घाटा ₹ 2,650 करोड़ (स रा घ उ का 2.16 प्रतिशत) भी तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) के 3.0 प्रतिशत के निर्धारित मानक के काफी नीचे रहा।

राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 के बजट के साथ राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत अपने मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण में तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के प्रति वचनबद्धता की है जो इस बात का समर्थन करता है कि वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा स रा घ उ का तीन प्रतिशत होना चाहिए। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, राज्य सरकार को उधार कम लेना पड़ेगा और इससे निकट भविष्य में कम निधियाँ उपलब्ध होंगी। तथापि, चालू राजकोष के दौरान सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 की तुलना में पाँच प्रतिशत अधिक निधियों के पूँजीकरण की व्यवस्था की।

सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल गत पाँच वर्षों में लगभग नगण्य (किए गए निवेश पर 0.01 प्रतिशत) था जबकि सरकार ने इस निवेश के लिए उधार ली गई निधियों पर 7.78 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।

सरकार को निवेशों में धन की बेहतर उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु ऐसी कम्पनियों/निगमों की पहचान करनी चाहिए, जो कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रतिफल देते हों और अपने उच्च लागत उधारियों के प्रतिस्थापन को सिद्ध करें।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2013-14 में उत्तराखण्ड के लिए निर्धारित लक्ष्य (38.50 प्रतिशत) के सापेक्ष ऋण-स रा घ उ¹ अनुपात ने 2009-10 से 2013-14 तक 26.51 प्रतिशत से 23.50 प्रतिशत की निम्नोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शायी।

यहाँ उपभोगित राशियों की निगरानी हेतु न तो कोई एकल अभिकरण है और न ही कोई तैयार आँकड़े उपलब्ध हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में किसी वित्तीय वर्ष विशेष में राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली मुख्य चिन्हित योजनाओं व अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं, जो भारत सरकार द्वारा सीधे वित्त पोषित हैं, के अन्तर्गत वास्तव में कितना व्यय हुआ है।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियन्त्रण

वर्ष 2013-14 के दौरान कुल अनुदान व विनियोजन ₹ 30,145.69 करोड़ के सापेक्ष कुल बचत ₹ 6,580.95 करोड़ रही। तीन अनुदानों में ₹ 1,837.15 करोड़ का आधिक्य था जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमित किया जाना जरूरी था। अधिक बचत बजट अनुमानों की कमी को दर्शाता है। बीस मामलों में प्रावधानित किये गये अनुपूरक अनुदान ₹ 1,745.60 करोड़ अनावश्यक सिद्ध हुए। विभागों ने वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिवस पर ₹ 1,832.68 करोड़ समर्पित किये जिसके किसी अन्य विकास कार्यों में उपभोग की गुंजाइश नहीं थी।

माह मार्च 2014 के दौरान राज्य सरकार द्वारा आहरित धनराशि ₹ 797.62 करोड़ को बजट अनुदान के व्ययगत होने से बचाने के लिये जमाशीर्ष में जमा कर दिया गया।

समेकित निधि के अन्तर्गत 17 मामलों में ₹ 194.48 करोड़ की पर्याप्त धनराशि अनुमोदित की गयी और समस्त धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं हुयी थी।

वर्ष 2005-13 से सम्बन्धित ₹ 9,229.25 करोड़ के आधिक्य व्यय को अभी तक राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमित किया जाना शेष था।


¹ प्रचलित/बाजार दरों पर। हालांकि, पिछले प्रतिवेदनों में ऋण-जी एस डी पी अनुपात जी एस डी पी के नियत मूल्यों पर आकलित किया जाता था।

अध्याय-3

वित्तीय प्रतिवेदन

विभागीय अधिकारियों ने मार्च 2014 तक विशिष्ट उद्देश्यों के लिये दिये गये अनुदान (₹ 399.75 करोड़) से सम्बन्धित 427 उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार (ले. एवं हक.), उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किये थे। उक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि प्राप्तकर्ता ने अनुदानों का उपभोग अभिप्रेत उद्देश्यों के लिये कर लिया है। विभागीय प्रमुखों द्वारा उन निकायों और प्राधिकरणों, जिन्हे पूर्व वर्ष में कुल ₹ 10 लाख या इससे अधिक के ऋण अथवा अनुदान दिये गये हैं, के विवरण महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किये जा रहा थे। इस प्रकार संस्थान, जिनकी लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा की जा सकती है, को चिन्हित नहीं किया जा पा रहा था।

केन्द्र व राज्य योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्ति व व्यय की पर्याप्त धनराशि की लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' और '800-अन्य प्राप्तियाँ' में दर्शाया गया था, जो कि राज्य वित्त लेखे 2013-14 में पृथक रूप से वर्णित नहीं किये गये थे, जिस कारण वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता प्रभावित हो रही थी।



अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

1 - 111578

111578 - 111578

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान राजकोषीय समग्रों की विगत प्रवृत्तियों और इसकी संगठनात्मक रूपरेखा के मानदंडों के द्वारा राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट 1.1** राज्य सरकार के वित्त लेखे, जिस पर यह प्रतिवेदन आधारित है, की संरचना और खाके को प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट 1.2 (भाग अ)** राज्य की राजकोषीय स्थिति के निर्धारणार्थ अपनाई गई कार्यपद्धति की रूपरेखा संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तराखण्ड, भारत सरकार द्वारा राज्यों के संवर्गीकरण पर आधारित विशेष श्रेणी राज्य (एस सी एस) है। उत्तराखण्ड को प्राप्त विशेषाधिकारों में भारत सरकार (भा स) द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है जिसका 90 प्रतिशत अंश अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण का अनुपात होता है जो गैर-विशेष श्रेणी राज्यों से भिन्न है जिन्हें केन्द्रीय सहायता 30 प्रतिशत अनुदान के एवं 70 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त होती है।

राज्य में बीते दशक में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हुयी तथा वर्ष 2004-05 से 2013-14 तक की अवधि के लिए इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ (स रा घ उ) में प्रचलित दरों पर मिश्रित वार्षिक विकास दर (सी ए जी आर) 19.42 प्रतिशत रही।

सामाजिक संकेतक यथा साक्षरता दर और नवजात शिशु मृत्यु दर ने दर्शाया कि राज्य में अखिल भारतीय औसत से बेहतर साक्षरता और निम्न मृत्यु दर है। राज्य में बी पी एल जनसंख्या अखिल भारतीय औसत से काफी कम थी (**परिशिष्ट 1**)।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स घ उ) की तथा राज्य के स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि की प्रचलित दरों पर प्रवृत्ति नीचे प्रदर्शित है:

प्रचलित दरों पर स घ उ और स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि दर

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12 (त्व. आ.)*	2012-13 (अ. आ.)*	2013-14
भारत का स घ उ (₹ करोड़ में)	61,08,903	72,48,860	83,91,691	93,88,876	1,04,72,807
स घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	15.18	18.66	15.77	11.88	11.54
राज्य का स रा घ उ (₹ करोड़ में)	70,730	83,969	97,858	1,07,868	1,22,433
स रा घ उ की विकास दर (प्रतिशतता)	26.25	18.72	16.54	10.23	13.50

स्रोत : आकड़े मुख्यालय कार्यालय द्वारा प्रदान किये गये

* त्व. आ. - त्वरित आगणन और अ.आ. - अग्रिम आगणन

2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान स घ उ की तुलना में स रा घ उ की विकास दर भिन्न रही। स रा घ उ की वृद्धि दर वर्ष 2009-10, 2011-12 और 2013-14 में स घ उ की वृद्धि दर से अधिक थी। वर्ष 2010-11 में यह लगभग समरूप थी परन्तु 2012-13 में यह निचले स्तर पर रही। वर्ष 2011-12 (16.54 प्रतिशत)

¹ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

के सापेक्ष वर्ष 2012-13 के दौरान स रा घ उ की वृद्धि दर में तेजी से गिरावट (10.23 प्रतिशत) हुई। तथापि पुनः वर्ष 2013-14 में पिछले वर्ष के सापेक्ष 13.50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005 (ते वि आ की सिफारिश पर मार्च 2011 में संशोधित) और राज्य की मध्यावधि राजकोषीय नीति (एम टी एफ पी) द्वारा, राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ (एफ सी पी) का सारांश परिशिष्ट 1.2 (भाग ब) में दिया गया है।

1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेनदेन का सार

तालिका 1.1, गत वर्ष (2012-13) के सापेक्ष चालू वर्ष (2013-14) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेनदेन का सार प्रस्तुत करती है। परिशिष्ट 1.4 गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका 1.1 : चालू वर्ष के राजकोषीय संचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2012-13	2013-14	संवितरण	2012-13	2013-14		
					आयोजनेतर	आयोजनागत	कुल
भाग-अ: राजस्व							
कर राजस्व	6,414.24	7,355.34	सामान्य सेवाएँ	5,372.23	6,178.37	3.67	6,182.04
करेतर राजस्व	1,602.88	1,316.54	सामाजिक सेवाएँ	6,095.84	5,074.62	2,223.39	7,298.01
संघीय करों/शुल्कों का अंश	3,272.88	3,573.38	आर्थिक सेवाएँ	1,995.29	1,528.04	539.91	2,067.95
भारत सरकार से अनुदान	4,457.22	5,075.27	सहायता अनुदान और अंशदान	496.86	668.41	--	668.41
राजस्व प्राप्तियाँ	15,747.22	17,320.53	राजस्व व्यय	13,960.22	13,449.44	2,766.97	16,216.41
भाग-ब: पूँजीगत और अन्य							
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	180.40	पूँजीगत परिव्यय	3,542.09	573.76	3,138.27	3,712.03
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	428.44	55.23	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	272.57	1.76	276.23	277.99
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	2,967.43	3,873.17	लोक ऋणों की चुकावटियाँ*	1,472.21	--	--	1,316.81
--	--	--	आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	--	--	400.00
आकस्मिकता निधि	32.22	412.00	आकस्मिकता निधि	32.07	--	--	194.48
लोक लेखा प्राप्तियाँ #	21,925.45	25,954.59	लोक लेखा संवितरण	20,961.24	--	--	25,190.33
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	1,085.18	1,945.54	अंतिम रोकड़ शेष	1,945.54	--	--	2,433.41
योग	42,185.94	49,741.46	योग	42,185.94	--	--	49,741.46

* इसमें अर्थापय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अधीन निवल लेनदेन शामिल नहीं हैं

अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के अन्तिम आंकड़े राज्य के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए लिखे गये हैं

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

- राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष के सापेक्ष ₹ 1,573.31 करोड़ (9.99 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 941.10 करोड़), संघ के करों / शुल्कों में राज्य के अंश

(₹ 300.50 करोड़) और भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों (₹ 618.05 करोड़), में बढ़ोतरी, आंशिक रूप से करेतर राजस्व (₹ 286.34 करोड़) में कमी के द्वारा समायोजित हो गयी।

- पिछले साल के सापेक्ष इस वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 2,256.19 करोड़ (16.16 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तर 1.6.1 में वर्णित है।
- पिछले साल के सापेक्ष इस वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में गत वर्ष से ₹ 169.94 करोड़ (4.80 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तर 1.6.1 में वर्णित है।
- ऋण एवं अग्रिमों की वसूली ₹ 428.44 करोड़ (2012-13) से घटकर ₹ 55.23 करोड़ (87.10 प्रतिशत) हो गयी।
- वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण में वृद्धि (₹ 905.49 करोड़) के कारण केन्द्र सरकार से लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 905.74 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई। तथापि केन्द्र सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों की प्राप्तियाँ लगभग समान थी।
- निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2012-13 में ₹ 964 करोड़ से घटकर वर्ष 2013-14 में ₹ 764 करोड़ हो गयीं।
- वर्ष 2012-13 के अन्तिम अवशेष की तुलना में चालू वर्ष के अन्त में राज्य का रोकड़ शेष ₹ 487.87 करोड़ बढ़ गया।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बजट में प्रावधानित मुख्य राजकोषीय चर जो कि तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों और राज्य के एफ आर बी एम अधिनियम में लक्षित थे तालिका 1.2 में दिए गये हैं।

तालिका 1.2


राजकोषीय चर	2013-14						
	एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	एम टी एफ पी में प्रक्षेपण	वास्तविक	वास्तविक के विरुद्ध प्रतिशत भिन्नता		
					एफ आर बी एम अधिनियम का लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	एम टी एफ पी प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-) /आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)	मार्च 2015 तक शून्य तक नीचे लाना	(+) 901.52	(+)1,548.39	(+)1,104.12	प्राप्त किया	(+)22.47	(-) 28.69
राजकोषीय घाटा/ स रा घ उ (प्रतिशत में)	3.00	2.90	2.95	2.16	(+)28.00	(+)25.52	(+) 26.78
सरकार के कुल बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात (प्रतिशत में)	38.50	23.36	22.22	23.50	38.96	(-) 0.60	(-) 5.76

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 पारित होने के समय से राज्य सरकार राजकोषीय सुदृढीकरण की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार, वर्ष 2009-10 को छोड़कर राजस्व आधिक्य बनाये

रखने में वर्षवार सफल रहा। राज्य का राजकोषीय घाटा भी तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत रहा।

1.1.3 बजट आकलन एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज विशेष राजकोषीय वर्ष के राजस्व और व्यय के प्रक्षेपों या आकलनों का विवरण उपलब्ध कराता है। राजस्व और व्यय के प्राक्कलनों की परिशुद्धता की महत्ता राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के सन्दर्भ में सर्वमान्य है। बजट आकलनों (ब आ)से भिन्नता विविध कारणों से जिनमें से कुछ सरकार के नियंत्रण में है, वांछित राजकोषीय उद्देश्यों के न पाने और अनुकूलतम स्तर न पाने का संकेतक है। वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न संघटकों के सन्दर्भ में वास्तविकों की तुलना में बजट आकलन ने मिश्रित रूझान प्रदर्शित किए:



- सहायता अनुदान के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति ₹ 1,657 करोड़ (24.60 प्रतिशत) के कारण समग्र राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,635 करोड़ से कम थी। करेतर राजस्व चालू वर्ष के ब आ के सापेक्ष ₹ 101 करोड़ (8.30 प्रतिशत) अधिक था। राज्य का कर राजस्व भी ब आ के मुकाबले ₹ 79 करोड़ (0.72 प्रतिशत) कम था।
- राजस्व व्यय, वर्ष के ब आ से ₹ 1,838 करोड़ (10.18 प्रतिशत) कम था।
- मुख्यतः ऊर्जा के अन्तर्गत कम संवितरण के कारण पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत व्यय ₹ 1,162 करोड़ (23.84 प्रतिशत) तक अप्रयुक्त रहा।
- राजस्व, राजकोषीय तथा प्रारम्भिक घाटों के लिये वर्ष 2013-14 के बजटीय पूर्वानुमान, एफ आर बी एम, अधिनियम, 2005 (वर्ष 2011 के उत्तराखण्ड अधिनियम सं. 72 द्वारा संशोधित) तथा ते वि आ की संस्तुतियों के अनुसार थे (चार्ट 1.1)। वर्ष 2013-14 हेतु वास्तविक, प्रक्षेपों के अन्तर्गत थे।

1.1.4 जेण्डर बजटिंग

1.1.4.1 प्रस्तावना

जेण्डर बजट (जे ब) के लिए बजट आवंटन श्रेणी I और श्रेणी II में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी I के अन्तर्गत प्राविधान शत-प्रतिशत महिलाओं के कल्याण हेतु होता है। श्रेणी II में कुल बजट प्राविधानों में से 30

प्रतिशत प्राविधान अनन्य रूप से महिलाओं के विकास हेतु प्रावधानित होता है। आगे, अनेको जेण्डर उत्तरदायी बजटिंग (जे 3 ब) पहल को प्रारम्भ करने के लिए जेण्डर बजट कोष (जे ब को) का गठन किया जाना था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर कोई समर्पित जेण्डर बजटिंग प्रकोष्ठ नहीं गठित किया गया।

राज्य बजट में जे ब हेतु प्राविधान वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ किए गए। जेण्डर बजट प्रलेख में वर्षवार प्राविधान तालिका 1.3 में वर्णित है।

तालिका 1.3: वर्ष 2009-14 के दौरान जेण्डर बजटीय आवंटन

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
जेण्डर बजटिंग के श्रेणी I में आवंटन	170.94	255.19	215.63	316.41	522.23
जेण्डर बजटिंग के श्रेणी II में आवंटन	1,160.74	1,274.24	1,614.37	1,921.49	2,739.06
जेण्डर बजट के अन्तर्गत कुल आवंटन (श्रेणी I + श्रेणी II)	1,331.68	1,529.43	1,830.00	2,237.90	3,261.29
जेण्डर बजटिंग के श्रेणी I में व्यय	158.05	177.31	201.30	347.58	अनुपलब्ध*
जेण्डर बजटिंग के श्रेणी II में व्यय	1,219.98	1,324.59	1,104.59	1,805.53	अनुपलब्ध*
जेण्डर बजट के अन्तर्गत कुल व्यय (श्रेणी I + श्रेणी II)	1,378.03	1,501.90	1,305.89	2,153.11	अनुपलब्ध*
आच्छादित विभागों की संख्या	24	26	26	29	30

* राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

स्रोत: बजट प्रलेखों और विनियोग लेख

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान दोनों श्रेणियों में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किए गए बजट प्राविधानों में वर्ष 2009-10 में ₹ 1,331.68 करोड़ से वर्ष 2013-14 में ₹ 3,261.29 करोड़ की अभूतपूर्व वृद्धि दर्शायी, विशेषरूप से वर्ष 2012-13 से 2013-14 के मध्य 46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी। इसी प्रकार वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 में ₹ 1,378.03 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹ 2,153.11 करोड़ विशेषरूप से वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान 65 प्रतिशत की वृद्धि।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राज्य ने जे ब का प्राविधान समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए मुख्य रूप से निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया है तथापि वन तथा पर्यटन विभाग की नमूना जांच में श्रेणी I तथा II के अन्तर्गत योजनाओं के विस्तृत विश्लेषण ने निम्न प्रदर्शित किया:-

(i) वन:

वन विभाग के संदर्भ में वर्ष 2013-14 के जे ब दस्तावेजों में सात योजनाएँ सम्मिलित थी, श्रेणी I में एक तथा श्रेणी II में छः, जिसका विवरण तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: वनविभाग में श्रेणी I तथा II के अन्तर्गत योजनाएँ

(₹ लाख में)

योजना	कुल आवंटन	जे ब के अन्तर्गत आवंटन	आवंटन का परिमाण (प्रतिशत में)	कुल व्यय	जे ब के अन्तर्गत व्यय *	आवंटन का परिमाण (प्रतिशत में)
श्रेणी "I"						
महिला भाग के अन्तर्गत नर्सरी विकास	60.00	60.00	100	30.00	30.00	100
श्रेणी I का योग	60.00	60.00	100	30.00	30.00	100
श्रेणी "II"						
औषधीय/हर्बल प्रजातियों का संरक्षण एवं विकास	30.00	12.00	40	29.96	9.00	30

वन अधिकारियों और कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास	63.51	25.40	40	58.17	17.45	30
वन्य जीवों द्वारा मानवीय जीवन और सम्पत्ति के नुकसान के लिए अनुग्रह राशि	100.01	40.00	40	100.00	30.00	30
माफियाओं से संघर्ष में घायल/मृत वन विभाग के कर्मचारियों को पारितोषिक	20.00	6.00	30	00	00	00
गुर्जरो का पुनर्वास	35.00	14.00	40	35.00	10.50	30
मानव - वन्य जीव संघर्ष का शमन	840.02	336.01	40	839.43	252.00	30
श्रेणी II का योग	1,088.54	433.41	40	1,062.56	318.95	30
कुल योग	1,148.54	493.41	43	1,092.56	348.95	32

* विभागानुसार, जे ब के अन्तर्गत व्यय केवल पूर्णअवधारणा पर आधारित है।

वन विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जे ब का प्राविधान विभाग द्वारा नहीं किया गया परन्तु सरकारी स्तर पर ही लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए। जे ब के अन्तर्गत व्यय भी पूर्वाधारणा आधार पर महिलाओं की योजना में भागीदारी 30 प्रतिशत मानते हुए अभिलेखित किया गया। किसी भी योजना के लाभान्वितों का लिंगानुसार विग्रहित आँकड़े विभागों के पास उपलब्ध नहीं थे। जे ब से संबन्धित कोई भी निर्देश विभाग एवं उसकी कार्यदायी संस्था को नहीं दिए गए। इससे अतिरिक्त, जे ब के कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना में कोई प्राविधान नहीं था।

(ii) पर्यटन:

पर्यटन विभाग में जे ब के वर्ष 2013-14 के अभिलेखों में पाँच योजनाएँ सम्मिलित हैं। श्रेणी I में एक तथा श्रेणी II में चार विवरण तालिका 1.5 में दी गयी है।

तालिका 1.5: पर्यटन विभाग में श्रेणी I व II के अन्तर्गत योजनाएँ

(₹ लाख में)


योजना	कुल आवंटन	जे ब के अन्तर्गत आवंटन	आवंटन का परिमाण	कुल व्यय	जे ब के अन्तर्गत व्यय*	आवंटन का परिमाण
श्रेणी "I"						
आई एच एम गढ़ी कैन्ट में कन्या छात्रावास का निर्माण	14.42	14.42	100	14.42	14.42	100
श्रेणी I का योग	14.42	14.42	100	14.42	14.42	100
श्रेणी "II"						
ऋण सहायता एवं स्वरोजगार	1300.00	520.00	40	1,100.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
सरकारी होटल प्रबन्धन एवं कैटरिंग संस्थान की स्थापना	270.06	81.02	30	250.46	-तदैव-	-तदैव-
चार धाम यात्रा मार्गों पर आधारभूत ढांचा का निर्माण/विकास	100.00	40.00	40	115.22	-तदैव-	-तदैव-
सहासिक यात्रा को प्रोत्साहन	120.00	48.00	40	120.00	-तदैव-	-तदैव-
श्रेणी II का योग	1,790.06	689.02	38.50	1,585.68	-तदैव-	-तदैव-
कुल योग	1,804.48	703.44	39	1,600.10	-तदैव-	-तदैव-

* विभाग के पास जे ब व्यय के पृथक आँकड़े उपलब्ध नहीं थे।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जे ब का प्राविधान विभाग द्वारा नहीं किया गया एवं वाबजूद इसके शासन स्तर पर लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए। विभाग लाभान्वित सूची तथा वर्ष 2013-14 में जे ब पर व्यय की सूचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा। वर्ष 2012-13 में जे ब पर व्यय विवरण के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अनभिज्ञता दर्शायी।

पुनश्च यह संज्ञान में आया कि श्रेणी II की एक योजना "सरकारी होटल मैनेजमेंट तथा कैटरिंग संस्थान की स्थापना" सम्पूर्ण व्यय कार्यालय व्यय तथा वेतन शीर्ष पर किये गए।


1.2 राज्य के संसाधन




* निवल लोक लेखा प्राप्ति (₹ 764 करोड़) = लोक लेखा प्राप्ति (₹ 25,954 करोड़) - लोक लेखा संवितरण (₹ 25,190 करोड़)

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों को गठित करती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय कर एवं शुल्कों में राज्य का अंश तथा भारत सरकार (भा स) से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत राजस्व प्राप्तियाँ जैसे विनिवेशों से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से लिया गया ऋण) से ऋण की प्राप्तियाँ तथा भा स से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा में उपलब्ध निधियों के वितरण के बाद बची निधियों को सरकार द्वारा अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तालिका 1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जैसा इसके वार्षिक वित्तीय लेखों (परिशिष्ट 1.1) में दर्ज है जबकि चार्ट 1.2, वर्ष 2009-14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों का चित्रण करता है। चार्ट 1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संघटकों को वर्णित करता है।



* निवल लोक लेखा प्राप्ति = लोक लेखा प्राप्ति - लोक लेखा वितरण



वर्ष 2009-10 में सरकार की कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों को छोड़कर) ₹ 13,137 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 22,193 करोड़ (68.94 प्रतिशत) हो गयी। वर्ष 2013-14 की ₹ 22,193 करोड़ की प्राप्तियों में से तीन प्रतिशत प्राप्तियाँ (₹ 764 करोड़) लोक लेखे से थी जबकि कुल प्राप्तियों का क्रमशः 78 प्रतिशत (₹ 17,321 करोड़) व 19 प्रतिशत (₹ 4,108 करोड़) भाग राजस्व प्राप्तियों व उधारियों आदि से आया।

गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 9.99 प्रतिशत बढ़ गईं। तथापि चालू वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति के संघटकों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्ति दो प्रतिशत घट गई। विविध पूँजीगत प्राप्तियों के कारण, कुल प्राप्तियों में पूँजीगत प्राप्ति के अंश में लगभग एक प्रतिशत की मामूली वृद्धि दिखाई दी। (तालिका 1.1 का संदर्भ लें)।

लोक लेखा प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

- लोक लेखा प्राप्तियों में, प्रेषण (₹ 1,699.65 करोड़), उच्चत तथा विविध (₹ 1,259.53 करोड़), जमा और अग्रिम (₹ 727.37 करोड़), आरक्षित निधि (₹ 188.59 करोड़) और लघु बचत और भविष्य निधि (₹ 153.99 करोड़) में वृद्धि होने के कारण ₹ 4,029.13 करोड़ की वृद्धि हुई।

- वर्ष के दौरान उच्चतम एवं विविध प्राप्ति में ₹ 1,260 करोड़ (8.39 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो कि मुख्यतः चेकों एवं देयकों के उच्चतम शीर्ष के अन्तर्गत हुई वृद्धि (₹ 1,851 करोड़) के कारण थी। यह उच्चतम शीर्ष चेक जारी करते समय क्रेडिट किया जाता है और बैंक द्वारा चेकों के भुगतान की सूचना प्राप्त होने पर खारिज किया जाता है।

1.2.2 राज्य के बजट से इतर राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियाँ

केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मानी गयी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों² को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियाँ अन्तरित की जाती हैं। ये निधियाँ, राज्य बजट/राज्य कोषागार तन्त्र के माध्यम से नहीं आती हैं। अतः राज्य की प्राप्ति एवं व्यय तथा इसके साथ-साथ उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय आँकड़े/मापदण्ड अधो-आकलित रहे। समुच्चय संसाधनों की उपलब्धता पर एक निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करने के लिए, राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे तौर पर अन्तरित निधियाँ परिशिष्ट 1.5 में दर्शायी गयी हैं। मुख्य कार्यक्रमों/योजनाओं को अन्तरित उल्लेखनीय धनराशि तालिका 1.6 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.6 : राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियों की महत्वपूर्ण धनराशियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	अभिकरण का नाम/ अभिकरण का प्रकार	अवमुक्त राशि
1	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारन्टी संस्था, राज्य सरकार संस्थान	330.01 (17.34)
2	सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)	उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	220.43 (11.58)
3	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम)	उत्तराखण्ड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति (टी वी सी) (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	191.12 (10.05)
4	भारतीय तकनीकी संस्थान को सहायता (आई आई टी ए)	आई आई टी रूडकी, उत्तराखण्ड, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	150.00 (7.88)
5	वन तथा वन्य जीव संस्थान को सहायता अनुदान	वन अनुसंधान संस्थान, आई सी एफ आर ई एवं भारतीय वन्य जीव संस्थान (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	138.46 (7.28)
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	एस डब्लू एस एम उत्तराखण्ड (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	87.61 (4.61)
7	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए)	उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	75.72 (3.98)
8	ग्रामीण आवास आई ए वाई	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	64.05 (3.37)
9	स्वायत्त संस्थान तथा व्यवसायिक निकाय	आर्यभट्ट पर्यवेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	58.89 (3.10)
10	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, ऋषिकेश, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	51.75 (2.72)
योग			1,368.04


स्रोत: महानियंत्रक लेखा वेबसाइट की केन्द्रीय योजना स्कीम अनुश्रवण प्रणाली

² परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

तालिका 1.6 सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के अधीन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भा स के विविध मंत्रालयों से उत्तराखण्ड में विभिन्न अभिकरणों द्वारा सीधे प्राप्त उल्लेखनीय धनराशियों को दर्शाती है। इस प्रकार, वर्ष 2013-14 के दौरान भा स द्वारा सीधे राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 1,903 करोड़ (परिशिष्ट 1.5) के अन्तरण से, राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता ₹ 47,383 करोड़ से बढ़कर ₹ 49,286 करोड़ हो गयी। यह भी स्पष्ट है कि भा स द्वारा सीधे क्रियान्वयन अभिकरणों को स्थानान्तरित निधियों के अनुश्रवण हेतु कोई एकल अभिकरण नहीं है। इस प्रकार तत्काल रूप से कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिससे ज्ञात हो कि किसी विशेष वर्ष में मुख्य चिन्हित योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं, जिन्हें राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, पर वास्तविक रूप से व्यय की गयी निधि कितनी है।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण-11, सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं राज्य के कर एवं करेतर राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों के संघटक और प्रवृत्तियों को *परिशिष्ट 1.3* में प्रस्तुत किया गया है तथा चार्ट 1.4 में भी चित्रित किया गया है।



राजस्व प्राप्तियों ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि में निरंतर वृद्धि दर्शाई। यह 15.04 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ वर्ष 2009-10 में ₹ 9,486 करोड़ से वर्ष 2013-14 में बढ़कर ₹ 17,321 करोड़ हो गयी।

जबकि वर्ष 2013-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 50.07 प्रतिशत राज्य के स्वयं के कर एवं करेतर राजस्व से आया, केन्द्रीय कर अन्तरणों एवं सहायता अनुदान के समुच्चयों ने शेष 49.93 प्रतिशत का योगदान किया।

औसतन, 2009-14 तक की अवधि में राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 47.66 प्रतिशत योगदान स्वयं राज्य की कर प्राप्तियों का रहा। इससे भारत सरकार से सहायता अनुदान पर राज्य की निरन्तर निर्भरता प्रदर्शित हुई, क्योंकि राज्य अपने कर-आधार को विस्तृत करने में अक्षम रहा।

स रा घा उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को निम्न तालिका 1.7 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1.7: स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा) (₹ करोड़ में)	9,486	11,608	13,691	15,747	17,321
रा प्रा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.86	22.37	17.94	15.02	10.00
रा प्रा / स रा घ उ (प्रतिशत)	13.41	13.82	13.99	14.60	14.15
उत्प्लावकता अनुपात ³					
स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	0.38	1.19	1.08	1.47	0.74
स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	0.64	1.27	1.66	1.39	1.09

वर्ष 2009-10 से वर्ष 2010-11 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों ने वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई। वृद्धि दर वर्ष 2010-11 में 22.37 प्रतिशत बढ़ गई और इसके पश्चात वृद्धि दर घटने लगी और वर्ष 2013-14 में 10 प्रतिशत पर आ गई। वर्ष 2013-14 की वृद्धि दर विगत वर्ष की अपेक्षा 5.02 प्रतिशत घट गई। स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के निजी करों की उत्प्लावकता अनुपात वर्ष 2009-10 के दौरान एक से भी नीचे था और वर्ष 2010-11 से 2013-14 के मध्य, 1.66 से 1.09 के मध्य रहते हुए एक विचलित प्रवृत्ति दर्शायी गई। वर्ष 2013-14 के दौरान यह एक से ऊपर था परन्तु पिछले वर्षों के सापेक्ष कम उत्प्लावकता दर्शायी जो स रा घ उ में वृद्धि की तुलना में कम राजस्व संग्रह को सूचित करता है।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित होती हैं, अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का निर्धारण इसके अपने स्रोतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें निजी कर एवं करेतर स्रोतों से प्राप्त राजस्व समाविष्ट हैं। राज्य के अपने संसाधनों के संदर्भ में तेरहवें वित्त आयोग अनुमानों, बजट अनुमानों और एम टी एफ पी अनुमानों के सापेक्ष वास्तविकों को तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: राज्य के अपने संसाधन: अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राज्य के अपने संसाधन	ते वि आ अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी अनुमान	वास्तविक	वास्तविक में प्रतिशत का अन्तर		
					ते वि आ अनुमान	बजट आकलन	एम टी एफ पी अनुमान
स्वयं का कर राजस्व	6,146	7,111	7,289	7,356	19.69	3.45	0.92
करेतर राजस्व	1,100	1,216	1,262	1,317	19.73	8.31	4.36

जैसा कि तालिका 1.8 में प्रदर्शित है, ते वि आ, एम टी एफ पी के अनुमानों के सापेक्ष राज्य के स्वयं के संसाधनों ने दर्शाया कि वर्ष 2013-14 के दौरान कर राजस्व, क्रमशः ₹ 1,210 करोड़, ₹ 245 करोड़ एवं ₹ 67 करोड़ अधिक रहा।

करेतर राजस्व भी क्रमशः ते वि आ के अनुमान, ब आ और एम टी एफ पी एस के सापेक्ष ₹ 217 करोड़, ₹ 101 करोड़ और ₹ 55 करोड़ अधिक था।

³ परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के सन्दर्भ में सकल संग्रह तालिका 1.9 में दी गई है।

तालिका 1.9: राज्य के अपने संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,247 (18)	2,940 (31)	3,644 (24)	4,289 (18)	4,903 (14)
राज्य आबकारी	705 (34)	756 (7)	844 (12)	1,118 (32)	1,269 (14)
वाहनों पर कर	184 (10)	227 (23)	335 (48)	304 (-9)	369 (21)
स्टांप प्रभार और पंजीकरण शुल्क	399 (12)	440 (10)	524 (19)	648 (24)	687 (6)
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	--	--
अन्य कर	24 (-68)	42 (75)	269 (540)	55 (-80)	128 (133)
योग	3,559 (17)	4,405 (24)	5,616 (27)	6,414 (14)	7,356 (15)

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की प्रतिशतता को दर्शाते हैं

राज्य का निजी कर राजस्व, 14.69 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2012-13 में ₹ 6,414 करोड़ से 2013-14 में ₹ 7,356 करोड़ हो गया, हालांकि, वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में एक प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई। बिक्री, व्यापार आदि पर कर न केवल कर राजस्व के एक बड़े हिस्से के रूप में शामिल (66.65 प्रतिशत) रहा बल्कि उसमें पिछले वर्ष के सापेक्ष 14 प्रतिशत वृद्धि भी दर्ज की गई। राज्य के स्वयं के कर राजस्व का दूसरा मुख्य अंशदाता राज्य आबकारी था।

1.3.1.2 करेतर राजस्व

करेतर राजस्व की वृद्धि दर तालिका 1.10 में दी गई है।

तालिका 1.10: करेतर राजस्व के प्राप्ति के रूझान

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ब्याज प्राप्ति	54	54	51	115	51
लाभांश एवं लाभ	0.07	0.21	0.05	0.19	0.30
अन्य करेतर राजस्व	577.93	623.79	1,048.95	1,487.81	1,265.70
योग	632	678	1,136	1,603	1,317
पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	(-) 9.59	7.28	67.55	41.11	(-) 17.84

करेतर राजस्व, वर्ष 2009-10 में 10 प्रतिशत घटा। हालांकि, वर्ष 2010-11 में करेतर राजस्व पुनः 7.28 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में यह प्रभावी तौर पर पिछले वर्ष की तुलना में 67.55 प्रतिशत तथा 41.11 प्रतिशत बढ़ गया परन्तु चालू वर्ष में भी इसने पिछले वर्ष की तुलना में 17.84 प्रतिशत की कमी दर्ज की, जो मुख्यतः पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभों के अंशदान एवं वसूलियों (₹ 502.87 करोड़ - 67.17 प्रतिशत) एवं ब्याज प्राप्ति (₹ 63.64 करोड़ - 55.45 प्रतिशत) के कमी के कारण थी। यह आंशिक रूप से अलौह खदान तथा धातुकर्म उद्योग (₹ 140.14 करोड़ - 127.58 प्रतिशत) तथा वानिकी तथा वन्य जीव (₹ 124.50 करोड़ - 52.27 प्रतिशत) के द्वारा प्रति सन्तुलित कर ली गयी।

वर्ष के दौरान उत्तराखण्ड राज्य ने ₹ 250 करोड़, पूर्ववर्ती समेकित राज्य उत्तर प्रदेश की पेंशन देयताओं के उत्तरार्द्ध राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के मध्य प्रभाजन के रूप में प्राप्त किये।

वर्ष 2013-14 के दौरान करेतर राजस्व के अन्य प्रमुख अंशदाताओं में वानिकी एवं वन्य जीव (₹ 363 करोड़), ऊर्जा (₹ 121 करोड़), ब्याज प्राप्ति (₹ 51 करोड़) और अलौह एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 250 करोड़) थे।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भा स से वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान तालिका 1.11 में प्रदर्शित है।

तालिका 1.11: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
आयोजनेतर अनुदान	1,183	1,435	762	869	981
राज्य योजना के लिए अनुदान	2,334	2,253	2,840	3,040	3,558
केन्द्रीय योजना के लिए अनुदान	11	21	10	8	13
केन्द्रीय सहायतित योजना के लिए अनुदान	217	356	462	540	523
योग	3,745	4,065	4,074	4,457	5,075
विगत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	11	9	00	9	14
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	39	35	30	28	29

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान भा स से सहायता अनुदान ने वृद्धि दर्शायी। यह वर्ष 2009-10 में ₹ 3,745 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 5,075 करोड़ हो गयी। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि ₹ 618 करोड़ (13.87 प्रतिशत) मुख्य रूप में राज्य की आयोजनागत योजनाओं (₹ 518 करोड़), विभिन्न आयोजनेतर अनुदानों (₹ 112 करोड़) और केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदानों (₹ पांच करोड़) में वृद्धि के कारण थी। तथापि, केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 17 करोड़ घट गया।

1.3.3 केन्द्रीय कर अन्तरण

संघीय करों तथा शुल्कों के राज्यांश के रूप में प्राप्तियाँ, 2012-13 में ₹ 3,273 करोड़ से ₹ 300 करोड़ (9.17 प्रतिशत) बढ़कर 2013-14 में ₹ 3,573 करोड़ हो गयी थीं। केन्द्रीय कर अन्तरण में समग्र वृद्धि (₹ 300 करोड़) मुख्यतः सेवा कर (₹ 104 करोड़), निगम कर से भिन्न आय पर कर (₹ 88 करोड़), सीमा एवं केन्द्रीय उत्पाद कर (₹ 81 करोड़) और निगम कर (₹ 26 करोड़) तथा सम्पत्ति कर (₹ एक करोड़) में हुई वृद्धि के कारण थी।

1.3.4 प्रथम चार अधिनिर्णित वर्षों (2010-14) हेतु तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों की प्राप्ति एवं उपयोग

1.3.4.1 प्रस्तावना

ते वि आ का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत 2010-15 की अवधि के लिए संस्तुतियाँ देने के लिए किया गया था। आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत, अधिनिर्णितन वर्ष (2010-11 से 2014-15) के दौरान ₹ 3,063 करोड़ के अन्तरण की संस्तुति की थी। इसमें से ₹ 2,292.76 करोड़ राज्य को प्रथम चार वर्षों (2010-14) के लिए संस्तुत थे।

1.3.4.2 भारत सरकार की संस्तुति के सापेक्ष कम अवमुक्त

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान, राज्य सरकार ने पारितोषिक निधि ₹ 2,292.76 करोड़ में से ₹ 1,526.53 करोड़ प्राप्त किये जिसका परिणाम स्वरूप ₹ 766.23 करोड़ (33 प्रतिशत) की कम अवमुक्ति हुयी। कम अवमुक्ति का क्षेत्रवार विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है।

तालिका 1.12: तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुति अन्तरण और अवमुक्ति का विवरण (2010-14)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	खण्ड का नाम	ते.वि.आ. की संस्तुति	भा.स. द्वारा अवमुक्त राशि	कम अवमुक्ति	31/03/2014 तक प्रेषित उ.प्र.प.
1.	स्थानीय निकाय				
	(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	415.18	292.78	122.40	124.02
	(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	281.80	292.78	-10.98	124.02
	(ब) सामान्य दक्षता अनुदान	133.38	00	133.38	00
	(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	133.62	65.20	68.42	53.40
	(अ) सामान्य आधारभूत अनुदान	90.70	65.20	25.50	53.40
	(ब) सामान्य दक्षता अनुदान	42.92	00	42.92	00
	योग (1)	548.80	357.98	190.82	177.42
2.	आपदा राहत				
	(i) आपदा राहत निधि	456.42	478.83	-22.41	105.89
	(ii) क्षमता निर्माण	16.00	16.00	00	12.00
	योग (2)	472.42	494.83	-22.41	117.89
3.	परिणामी अनुदानों का सुधार				
	(i) न्याय प्रदान में सुधार	81.76	38.22	43.54	20.41
	(ii) यू आई डी के निर्गमन हेतु प्रोत्साहन	28.80	3.60	25.20	00
	(iii) जिला इनोवेशन निधि	13.00	6.50	6.50	5.69
	(iv) राज्य और जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणाली सुधार	10.40	5.20	5.20	2.60
	(v) कर्मचारी एवं पेंशन डाटाबेस	5.00	2.50	2.50	5.18
	योग (3)	138.96	56.02	82.94	33.88
4.	पर्यावरण सम्बन्धी अनुदान				
	(i) वन संरक्षण	154.08	128.40	25.68	127.35
	(ii) जल क्षेत्र प्रबन्ध	57.00	19.00	38	00
	योग (4)	211.08	147.40	63.68	127.35
5.	प्राथमिक शिक्षा	151.00	151.00	00	106.00
6.	सड़कें एवं पुल	235.00	149.00	86	149.00
7.	राज्य हेतु विशिष्ट अनुदान	535.50	170.30	365.20	58.96
	कुल योग (1-7)	2,292.76	1,526.53	766.23	770.50

स्रोत: राज्य सरकार का वित्त विभाग

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य प्रथम चार वर्षों के लिए संस्तुत अनुदान की पूर्ण राशि प्राप्त करने में असमर्थ रहा। मुख्य कम अनुदान, राज्य विशेष अनुदान (68 प्रतिशत), परिणामी अनुदानों में सुधार (60 प्रतिशत) सड़कें एवं पुल (37 प्रतिशत) स्थानीय निकाय अनुदान (35 प्रतिशत) और पर्यावरण सम्बन्धी अनुदान (30 प्रतिशत) में परिलक्षित हुए। राज्य सरकार द्वारा सूचित अनुदानों की कम अवमुक्ति का कारण मुख्यतया कार्ययोजना/डी.पी.आर./उ.प्र.प. का अप्रस्तुतिकरण / विलम्बप्रस्तुतिकरण, भारत सरकार द्वारा लागू की गयी शर्तों का पालन न करना और प्रक्षेपित आयोजनेतर राजस्व व्यय आदि से कम व्यय थे।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ या तो ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे सरकारी कंपनियों / कार्पोरेशनों में इक्विटी के विनिवेश से प्राप्तियाँ और ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ अथवा ऋण पूँजी प्राप्तियाँ हैं, जो कि समेकित निधि के लोक ऋण भाग में क्रेडिट की जाती हैं। लोक ऋण प्राप्तियाँ विस्तृत रूप में दो श्रेणियों; (अ) संघ सरकार से ऋण/ अग्रिम (ब) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से नेगोसियेटेड ऋण या राज्य विकास ऋण निर्गमों के माध्यम से खुले बाजार की उधारियों, में विभाजित है। संघ सरकार से ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं ऋणों/ अग्रिमों का हिस्सा नगण्य है और पूँजीगत प्राप्तियाँ मुख्यतः बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं खुले बाजार से उधारियाँ हैं जैसा कि तालिका 1.13 में वर्णित है।

तालिका 1.13: प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि का रूझान

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों का स्रोत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँ प्रा)	1,748	2,512	2,427	3,396	4,108
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	--	--	180
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	65	85	91	428	55
लोक ऋण प्राप्तियाँ	1,683	2,427	2,336	2,968	3,873
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9	44	(-)/4	27	30
ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	20	31	7	370	(-) 45
स रा घ उ की वृद्धि दर	26.25	18.72	16.54	10.23	13.50
पूँ प्रा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9	44	(-) 3	40	21

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों की वृद्धि दर ने 2009-10 से 2012-13 के दौरान बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिखायी। तथापि, वर्ष 2013-14 में उर्जा क्षेत्र के द्वारा पिछले वर्ष (₹ 422 करोड़) की तुलना में कम पुनर्दायगी (₹ 47 करोड़) के कारण ऋण एवं अग्रिमों की पुनर्दायगी पिछले वर्ष से ₹ 373 करोड़ घट गयी।

1.4.2 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

2009-10 से 2013-14 की अवधि में ऋण प्राप्तियाँ जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संसाधनों से ऋण इत्यादि सरकार की प्राप्तियों की लगातार स्रोत बनी रहे। राजस्व आधिक्य के साथ-साथ पर्याप्त रोकड़ शेष के बावजूद भी सरकार ने आंतरिक उधारियों द्वारा निधि का संचय किया।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण व अग्रिम

उत्तराखण्ड राज्य विशेष श्रेणी राज्य होने के कारण भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं ऋण 90:10 के अनुपात में प्राप्त करता है। इसलिए भारत सरकार से ऋण के सन्दर्भ में राज्य सरकार के बकाया दायित्व, कुल लोक ऋण का केवल 2.08 प्रतिशत है।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

प्राप्तियाँ एवं वितरण के कतिपय लेनदेनों के सन्दर्भ में यथा लघु बचतों, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमाओं, उचन्तो, प्रेषणों इत्यादि जो कि संचित निधि का भाग नहीं होते, को संविधान के अनुच्छेद 266 (2)

द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है एवं ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं हैं। तालिका 1.14, लोक लेखा के विभिन्न खण्डों के अंतर्गत प्राप्तियों तथा संवितरणों की प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.14: वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं वितरणों की प्रवृत्तियाँ

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	लोक लेखा प्राप्ति		लोक लेखा से संवितरण		संवितरण से अधिक प्राप्तियाँ	
	2012-13	2012-13	2012-13	2012-13	2012-13	2013-14
अ. लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,159.18	1,313.17	888.06	990.73	271.12	322.44
ब. आरक्षित निधियाँ	279.72	468.31	183.09	472.24	96.63	(-) 3.93
स. जमा एवं अग्रिम	2,359.47	3,086.84	2,140.68	2,735.10	218.79	351.74
द. उच्चत एवं विविध	15,010.04	16,269.57	14,531.10	16,492.77	478.94	(-) 223.20
य. प्रेषण	3,117.04	4,816.69	3,218.31	4,499.49	(-) 101.27	317.20
योग	21,925.45	25,954.58	20,961.24	25,190.33	964.21	764.25


(₹ करोड़ में)

1.6 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रमुख व्यय दायित्व राज्य सरकार के सुपुर्द होते हैं। राजकोषीय दायित्व विधायन के ढाँचे के अन्तर्गत, घाटे अथवा उधार द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय को बढ़ाने में बजटीय अवरोध होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढीकरण प्रक्रिया विशेषकर विकासपरक और सामाजिक क्षेत्रों की ओर उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो। राज्य में व्यय के आवंटन के विश्लेषण पर चर्चा नीचे की गई है:

1.6.1 व्यय के संघटक एवं वृद्धि

चार्ट 1.5 पाँच वर्षों (2009-10 से 2013-14) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाता है तथा इनकी संरचनाओं को 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'क्रियाकलापबद्ध व्यय' दोनों के सन्दर्भ में चार्ट 1.6 में चित्रित किया गया है।




कुल व्यय (टी ई): वर्ष 2009-14 के दौरान 13.95 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर पर बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान कुल व्यय में ₹ 2,431 करोड़ (13.68 प्रतिशत) की बढ़ोतरी राजस्व व्यय व पूँजीगत व्यय में क्रमशः ₹ 2,256 करोड़ व ₹ 170 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। ऋण व अग्रिमों का संवितरण भी ₹ पांच करोड़ बढ़ा।

राजस्व व्यय (आर ई): चालू वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि (₹ 2,256 करोड़) (i) सामान्य सेवाओं (₹ 810 करोड़), (ii) सहायता अनुदान एवं अंशदान (₹ 171 करोड़) एवं (iii) सामाजिक सेवाओं (₹ 1,202 करोड़) (iv) आर्थिक सेवाओं (₹ 73 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

पूँजीगत व्यय (सी ई): वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में ₹ 170 करोड़ (4.80 प्रतिशत) की बढ़ोतरी (i) सामाजिक सेवाओं (₹ 126 करोड़), (ii) आर्थिक सेवाओं (₹ 35 करोड़) तथा (iii) सामान्य सेवाओं (₹ नौ करोड़) में वृद्धि के कारण हुई। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में इसने वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान विचलन-शील प्रवृत्ति दर्शाई जो वर्ष 2009-10 में 13.35 प्रतिशत तथा वर्ष 2013-14 में 18.37 प्रतिशत था। पूँजीगत व्यय ने वर्ष 2009-10 से 2013-14 के मध्य वृद्धि क्रम दर्शाते हुए वर्तमान वर्ष ₹ 3,712 करोड़ पर रहा। तथापि, वास्तविक व्यय, राज्य सरकार द्वारा उनके बजट (₹ 4,874 करोड़) तथा एम टी एफ पी एस (₹ 5,266 करोड़) में परिकल्पित लक्ष्य के नीचे था।

व्यय के इन घटकों का सापेक्ष अंश जो विगत (2009-2012) में लगभग अपरिवर्तित रहा, ने वर्तमान वर्ष में पूँजीगत व्यय के अंश के सन्दर्भ में पूँजीगत व्यय के बढ़े हुए भाग के कारण बढ़ोतरी दर्शायी। गैर विकासात्मक समझे जाने वाले ब्याज भुगतानों सहित सामान्य सेवाओं पर व्यय का अंश वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान लगभग अपरिवर्तित रहा। सामाजिक सेवाओं का व्यय वर्ष 2012-13 के 38 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 40 प्रतिशत हो गया। आर्थिक सेवाओं ने वर्ष 2013-14 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में तीन प्रतिशत की सूक्ष्म कमी दर्ज की।



वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान राज्य का आयोजनेतर राजस्व व्यय (एन पी आर ई) ₹ 5,091 करोड़ (60.91 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 8,358 करोड़ से ₹ 13,449 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, एन पी आर ई में वृद्धि (₹ 1,916 करोड़) मुख्यतः वेतन (₹ 707 करोड़) और पेंशन (₹ 765 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

राज्यों के राजस्व व्यय में आयोजनागत राजस्व व्यय (पी आर ई) के अंश में 2009-11 के दौरान वृद्धि हुई लेकिन वर्ष 2011-12 के दौरान इसने ₹ 151 करोड़ (6.11 प्रतिशत) की कमी दर्शायी, वर्ष 2012-13 के दौरान इसमें पुनः पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 106 करोड़ (4.57 प्रतिशत) तथा चालू वर्ष में ₹ 340 करोड़ (14.01 प्रतिशत) की बढ़ोतरी हुयी जो मुख्यतः समाज कल्याण तथा पोषण (₹ 317 करोड़), ग्राम्यविकास (₹ 23 करोड़), परिवहन (₹ 14 करोड़), सामान्य आर्थिक सेवायें (₹ 15 करोड़) में वृद्धि के फलस्वरूप थी। यह अंशतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 23 करोड़), और जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास (₹ 43 करोड़) में व्यय की कमी के फलस्वरूप प्रतिसंतुलित हुयी। पुनः वर्ष 2013-14 की अवधि के लिए नीचे तालिका 1.15 वास्तविक एन पी आर ई का राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर किये गये अनुमानों के संदर्भ में ब्यौरा देती है:

तालिका 1.15: वर्ष 2013-14 के अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आयोजनेतर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)

आयोजनेतर व्यय (एन पी आर ई)	ते वि आ द्वारा निर्धारण	राज्य सरकार द्वारा निर्धारण		वास्तविक
		बजट	एम टी एफ पी एस	
	10,168	16,619	17,214	13,449

स्रोत: ते वि आ का प्रतिवेदन, वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन (उत्तराखण्ड शासन) व वित्त लेखे

चालू वर्ष के दौरान, एन पी आर ई (₹ 13,449 करोड़) ते वि आ (₹ 10,168 करोड़) द्वारा निर्धारित मानकीय निर्धारण से ₹ 3,281 करोड़ (32.27 प्रतिशत) अधिक हो गया किन्तु यह क्रमशः राज्य सरकार के बजट (₹ 3,170 करोड़) और मध्यकालिक राजकोषीय नीति (₹ 3,765 करोड़) में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित प्रक्षेपण से कम था।

1.6.2 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन और पारिश्रमिक पर व्यय, पेंशन और उपदान शामिल होते हैं। तालिका 1.16 वर्ष 2009-14 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं।

तालिका 1.16: वचनबद्ध व्यय के घटक (₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14		
					ब आ	वास्तविक	भिन्नता का प्रतिशत
वेतन और पारिश्रमिक, जिसमें	4,388 (46)	4,721 (41)	5,244 (40)	5,724 (41)	7,404	6,431	(-) 13.14
आयोजनेतर शीर्ष	4,114	4,464	4,971	5,423		6,115	
योजनागत शीर्ष*	274	257	273	301		316	
ब्याज भुगतान	1,338 (14)	1,480 (13)	1,769 (14)	2,089 (15)	2,541	2,056	(-) 19.09
पेंशन पर व्यय	1,047 (11)	1,142 (10)	1,135 (9)	1,366 (10)	1,990	2,131	(+) 7.09
उपदान	42 (0.44)	44	220 (2)	163 (1)	--	24	(+) 100
कुल वचनबद्ध व्यय	6,815	7,387	8,368 (64)	9,342 (67)	11,935	10,642	(-) 10.83
अन्य घटक	1,543	1,762	2,286	2,191	4,684	2,807	(-) 40.07
कुल एन पी आर ई	8,358	9,149	10,654	11,533	16,619	13,449	(-) 19.07
कुल राजस्व व्यय	10,657	11,621	12,975	13,960	18,054	16,216	(-) 10.18
राजस्व प्राप्ति	9,486	11,608	13,691	15,747	18,956	17,321	(-) 8.62

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्ति से प्रतिशत को इंगित करते हैं

* केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वेतन एवं पारिश्रमिक भुगतान भी आयोजनागत शीर्ष में शामिल हैं

2009-10 में वचनबद्ध व्यय जो राजस्व प्राप्तियों के 72 प्रतिशत था, चालू वर्ष के दौरान यह 11 प्रतिशत घट गया तथा यह राजस्व प्राप्तियों का 61 प्रतिशत था। तथापि यह 2009-14 के दौरान ₹ 3,827 करोड़ बढ़ गया। राज्य सरकार को चाहिए कि वचनबद्ध व्यय को सन्निहित करने हेतु कदम उठाये क्योंकि विकासपरक कार्यक्रमों के लिए व्यय करने हेतु सरकार के लिए यह कम गुंजाइश छोड़ता है।

वेतन एवं पारिश्रमिक

वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान वेतन पर व्यय क्रमशः 7.59 प्रतिशत, 11.08 प्रतिशत, 9.15 प्रतिशत और 12.35 प्रतिशत बढ़ा। इन चार वर्षों में वेतन व्यय ते वि आ के अनुमानों से अधिक था। तथापि, चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट लक्ष्य (₹ 7,404 करोड़) और एम टी एफ पी एस (₹ 7,156 करोड़) में काफी नीचे थे।

तेरहवें वित्त आयोग के मानकों में नियत है कि वेतन मद के अन्तर्गत व्यय, राजस्व व्यय के ब्याज भुगतानों व पेंशन का शुद्ध 35 प्रतिशत होना चाहिए, जबकि चालू वर्ष में वेतन पर वास्तविक व्यय 53.46 प्रतिशत था।

पेंशन भुगतान

राज्य सरकार ने पेंशन दायित्वों का अनुमान ऐतिहासिक वृद्धि दर के आधार पर लगाया था न कि वास्तविकता के आधार पर। वर्ष 2013-14 में पेंशन पर व्यय ₹ 2,131 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का 12.30 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान पेंशन भुगतान, विगत वर्ष 2012-13 की अपेक्षा 56 प्रतिशत बढ़ा। चालू वर्ष में पेंशन भुगतान ते वि आ द्वारा, चालू वर्ष के लिए मानवीय निर्धारण (₹ 1,462 करोड़) से अधिक (₹ 669 करोड़) था (ते वि आ के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.7)।

राज्य सरकार ने भविष्य में बढ़ते पेंशन दायित्व से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए 01 अक्टूबर 2005 या उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना भी लागू की है।

ब्याज भुगतान

जैसा कि तालिका 1.16 में दर्शित है, वर्ष 2009-14 की अवधि में, ब्याज भुगतान में प्रारम्भिक तौर पर पिछले ऋणों के कारण 53.66 प्रतिशत कम हो गया था। वर्ष 2013-14 के दौरान ब्याज भुगतान में आन्तरिक ऋणों⁴ पर ब्याज (₹ 1,535 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 453 करोड़), अन्य देयताएँ (₹ 31 करोड़) और भारत सरकार से लिए हुए ऋण एवं अग्रिम (₹ 37 करोड़) शामिल थे। चालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 2,056 करोड़) राजस्व प्राप्तियों का 11.87 प्रतिशत था, जो कि चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार के बजट द्वारा निर्धारित लक्ष्य से ₹ 485 करोड़ कम था परन्तु ते वि आ द्वारा चालू वर्ष हेतु निर्धारित मानक (₹ 1,908 करोड़) से ₹ 148 करोड़ अधिक था। ब्याज भुगतान एम टी एफ पी एस में निर्धारित लक्ष्य ₹ 2,246 करोड़ से ₹ 190 करोड़ कम था।

उपदान

किसी भी कल्याणकारी राज्य में समाज के सुविधाविहीन भाग को उपदान/आर्थिक सहायता प्रदान करना असामान्य नहीं है। उपदान न केवल स्पष्ट रूप से अपितु अनुमानित उपदानित लोक सेवा प्रदान करते हुये लोगों को बाँटा जाता है। अनुमानित उपदानों में वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहयोग, निवेशों पर अपर्याप्त

⁴ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

प्राप्ति और सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं प्रदान करने पर उपभोगित कीमत की कम वसूली भी आते हैं।

वित्तीय लेखों (परिशिष्ट III) ने पिछले पांच सालों में सीधे तौर पर दिये गये उपदान ₹ 42.45 करोड़ (2009-10), ₹ 43.49 करोड़ (2010-11), ₹ 219.67 करोड़ (2011-12), ₹ 163.23 करोड़ (2012-13) तथा ₹ 23.63 करोड़ (2013-14), को प्रदर्शित किया।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान दिये गये उपदान में ₹ 139 करोड़ (85.28 प्रतिशत) की कमी पाई गई। कमी का मुख्य कारण खाद्य विभाग को पूर्व वर्ष (₹ 128.77 करोड़) के सापेक्ष शून्य उपदान की राशि देना था।

1.6.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान द्वारा प्रदत्त सहायता राशि तालिका 1.17 में प्रस्तुत है।

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					ब आ	वास्तविक
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	267.99	488.49	403.45	501.83	603.23	431.05
नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ	122.47	154.72	175.76	306.28	382.24	321.19
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	202.25	252.96	203.04	190.59	345.42	347.21
विकास अभिकरण	571.47	526.00	409.35	480.80	652.71	562.37
चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	44.52	71.23	86.98	134.78	112.51	108.99
ऊर्जा (ऊर्जा का गैर-परम्परागत स्रोत)	24.39	7.50	6.32	12.89	5.94	6.88
कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान, भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण	98.62	151.15	205.54	79.71	212.50	111.16
सहकारिता	13.22	9.56	7.30	9.75	17.07	11.83
पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य पालन	14.79	13.16	8.65	8.75	12.11	10.43
सचिवालय आर्थिक सेवाएँ एवं पर्यटन	11.43	18.43	29.34	36.28	61.90	49.33
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	133.65	97.46	211.10	254.31	262.70	285.85
अन्य संस्थाएँ	371.24	131.61	31.12	115.75	187.99	80.27
योग	1,876.04	1,922.27	1,777.95	2,131.72	2,856.32	2,326.56
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	17.60	16.54	13.70	15.27	15.82	14.35

स्रोत: वी एल सी महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड

वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों की सहायता में ₹ 144 करोड़ (7.51 प्रतिशत) की कमी हुयी। जबकि, वर्ष 2012-13 के दौरान सहायता में ₹ 354 करोड़ (19.90 प्रतिशत) की वृद्धि हुयी। वर्ष 2013-14 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें पुनः ₹ 195 करोड़ (9.14 प्रतिशत) की वृद्धि हुयी। चालू वर्ष के दौरान शैक्षिक संस्थाओं एवं विकास अभिकरणों को प्रदत्त सहायता राशि कुल वित्तीय सहायता का 43 प्रतिशत थी।

वर्ष के दौरान सहायता में वृद्धि, मुख्यतः शहरी स्थानीय निकाय एवं पी.आर.आई. (₹ 172 करोड़) एवं विकास अभिकरणों (₹ 82 करोड़) में थी जो कि शैक्षिक संस्थाओं (₹ 71 करोड़) की सहायता में कमी से कुछ हद तक प्रतिसंतुलित हुयी।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतया उसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन पहलुओं को समाहित करता है यथा, व्यय की पर्याप्तता (जैसे लोक सेवार्ये उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान); किये गये व्यय की दक्षता और प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

तालिका 1.18 चालू वर्ष के दौरान विकासपरक व्यय (वि व्य), सामाजिक क्षेत्र व्यय (सा क्षे व्य) और पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) के सापेक्ष राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को विलेखित करती है।

तालिका 1.18: 2009-10 और 2013-14 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स व्य/स रा घ उ	वि व्य #/स व्य	सा क्षे व्य/स व्य	पूँ व्य/स व्य
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2009-10	17.44	66.52	41.26	13.35
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2013-14	16.50	65.41	40.28	18.37

स व्य : सकल व्यय, वि व्य : विकासपरक व्यय, सा क्षे व्य : सामाजिक क्षेत्र में व्यय
 # विकासपरक व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय, विकासपरक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।
 स्रोत: (1) स रा घ उ के लिए सूचना राज्य के अर्थ एवं संख्या निदेशालय से एकत्र की गयी थी। (परिशिष्ट 1.2 भाग अ)

राजकोषीय प्राथमिकता राज्य द्वारा श्रेणी विशेष के व्यय को दी गई प्राथमिकता को इंगित करती है। 2009-10 के सापेक्ष 2013-14 में व्यय पद्धति के तुलनात्मक अध्ययन पर पाया गया कि:

- सरकार का सकल व्यय स रा घ उ के अनुपात के रूप में 2009-10 की तुलना में 2013-14 में 0.94 प्रतिशत निम्नतर था।
- सकल व्यय (स व्य) के अनुपात के रूप में विकासपरक व्यय (वि व्य) वर्ष 2009-10 की तुलना में 2013-14 में 1.11 प्रतिशत कम था।
- सकल व्यय के अनुपात में सामाजिक क्षेत्र व्यय लगभग 0.98 प्रतिशत कम था।
- पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) का कुल व्यय में अनुपात 5.02 प्रतिशत बढ़ गया।

1.7.2 व्यय करने की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास मर्दों पर लोक व्यय के महत्व के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार के लिए उचित व्यय औचित्यपूर्ण कदम उठाना तथा कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स⁵ के प्रावधान पर

⁵ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

जोर देना महत्वपूर्ण है। विकासपरक व्यय⁶ हेतु आबंटन में सुधार के अतिरिक्त, आसन्न वर्षों में विशेषकर ऋण सेवाओं में गिरावट के कारण उत्पन्न राजकोषीय अन्तराल के मद्देनजर, किये हुए व्यय की दक्षता पूँजीगत व्यय के कुल व्यय से अनुपात (और/अथवा स रा घ उ) एवं विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रखरखाव पर होने वाले राजस्व व्यय के समानुपात से भी परिलक्षित होता है। कुल व्यय (और/अथवा स रा घ उ) में इन घटकों का अनुपात जितना उच्चतर होगा, उतना ही व्यय की गुणवत्ता को बेहतर करेगा। जहाँ, एक ओर तालिका 1.19 चालू वर्ष व गत वर्ष के दौरान बजटीय आवंटन की तुलना में राज्य के समग्र व्यय से सम्बन्धित विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है, वहीं तालिका 1.20, चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किए गये पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

कुल व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय के अंश ने वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान 50 प्रतिशत की औसत दर पर अन्तर्वर्षीय विविधता दर्शायी। चालू वर्ष 2013-14 के दौरान इसने विगत वर्ष की तुलना में 15.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। विकासपरक पूँजीगत व्यय की अंश ने भी अन्तर्वर्षीय विविधता प्रदर्शित की लेकिन 2009-10 से 2012-13 तक बढोतरी का रुझान लगातार दर्शाया। तथापि वर्ष 2013-14 में एक प्रतिशत घट गया। यह वर्ष 2013-14 में 2012-13 के सापेक्ष ₹ 161 करोड़ (पाँच प्रतिशत) बढ़ गया। 2009-10 से 2013-14 तक विकासपरक व्यय में समग्र वृद्धि 61 प्रतिशत बढ़ गयी।

तालिका 1.19: विकासपरक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासपरक व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बी अ	वास्तविक
विकासपरक व्यय (अ से स)	8,205 (66)	8,842 (65)	10,607 (68)	11,776 (66)	8,553	13,216 (65)
अ. विकासपरक राजस्व व्यय	6,638 (54)	7,033 (52)	8,121 (52)	8,091 (45)	3,617	9,366 (46)
ब. विकासपरक पूँजीगत व्यय	1,538 (12)	1,750 (13)	2,240 (14)	3,413 (19)	4,720	3,574 (18)
स. विकासपरक ऋण एवं अग्रिम	29 (0.23)	59 (0.44)	246 (2)	272 (2)	216	276 (1)

कोष्ठक के आँकड़े समग्र व्यय के प्रतिशत को इंगित करते हैं।

तालिका 1.20: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसरचना	2012-13			2013-14		
	कु व्य पर पूँ व्य का अनुपात	रा व्य में अंश		कु व्य पर पूँ व्य का अनुपात	रा व्य में अंश	
		वे एवं पा	परि एवं मर		वे एवं पा	परि एवं मर
सामाजिक सेवाएँ (सा से) मुख्य घटकों पर व्यय						
सामान्य शिक्षा	1.04	19.19	0.004	0.76	18.21	0.005
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.78	4.02	0.039	0.73	4.01	0.040
जलापूर्ति, स्वच्छता और आवासीय एवं शहरी विकास	1.51	0.045	0.012	1.40	0.05	0.010
सा से पर कुल व्यय	4.02	24.42	0.066	4.16	23.40	0.082

⁶ परिशिष्ट 4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

आर्थिक सेवाएँ (आ से) मुख्य घटकों पर व्यय						
कृषि एवं संबद्ध क्रिया कलाप	3.05	3.58	0.230	2.96	3.48	0.184
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	2.18	1.53	0.244	2.28	1.40	0.179
विद्युत एवं ऊर्जा	2.90	--	--	1.27	0.0004	--
परिवहन	5.45	0.099	0.541	5.21	0.099	0.167
आ से पर कुल व्यय	15.18	6.56	1.015	18.37	6.42	0.541
सा से + आ से पर कुल व्यय	19.20	30.98	1.081	22.53	29.82	0.623

कु व्य: कुल व्यय, पूँ व्य: पूँजीगत व्यय, रा व्य: राजस्व व्यय, वे एवं पा: वेतन एवं पारिश्रमिक, परि एवं मर: परिचालन एवं मरम्मत।

यद्यपि, पूँजीगत व्यय के प्राथमिकीकरण से सम्बन्धित कोई विशेष मापदण्ड एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित नहीं किये गये हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 के बजट के साथ राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत अपने एम टी एफ पी एस में ते वि आ की संस्तुतियों के प्रति वचनबद्धता दर्शायी है जिनमें स्पष्ट है कि वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा स रा घ उ का तीन प्रतिशत होगा। इसके लिए राज्य सरकार उधार कम लेगी तथा निकट भविष्य में पूँजीकरण हेतु निधियाँ कम होंगी। तथापि चालू वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार ने वर्ष 2012-13 की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक निधियों के पूँजीकरण की व्यवस्था की।

वर्ष 2013-14 के दौरान, राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वेतन तथा पारिश्रमिक, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं दोनों पर लगभग स्थिर बना रहा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में आर्थिक सेवाओं में राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में परिचालन एवं मरम्मत व्यय कम हुआ है।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण

एफ आर बी एम ढाँचे के उपरान्त राज्य से न केवल अपने राजकोषीय घाटे (व उधार) को निम्न स्तर पर रखने वरन् अपने पूँजीगत ऋण एवं अग्रिम सहित व्यय और निवेश की जरूरतों को वहन करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भर होने के क्रम में, राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने एवं ऋण से प्राप्त निधियों की लागत को अप्रत्यक्ष उपदान के रूप में अपने बजट से वहन करने के बजाय वसूल किये जाने तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। यह खण्ड, पूर्व वर्षों के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्यय का मोटे तौर पर वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2014 को विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं सम्बन्धी सूचना तालिका 1.21 में दी गयी है।

तालिका 1.21: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	*परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	पुनरीक्षित आगणन में लागत वृद्धि	31.03.2014 को संचयी वास्तविक व्यय
लोक निर्माण विभाग	96	449.57	491.30	41.73	265.61

* राज्य सरकार द्वारा 31.03.2014 तक किये गये अन्तिम पुनरीक्षण के अनुसार परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत को इंगित करता है।

स्रोत: वित्त लेख

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2014 को, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं (तालिका 1.22) में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था अर्थात् पिछले 5 सालों के निवेश के एक प्रतिशत से भी कम, जबकि सरकार ने वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान ऋणों पर 7.78 प्रतिशत औसत दर पर ब्याज दिया।

तालिका 1.22: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ऋणों की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	1,240	1,296	1,338	2,397*	2,677
प्रतिफल (लाभांश/व्यय) (₹ करोड़ में)	0.07	0.21	0.05	0.19	0.30
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.01	0.02	7	0.01	0.01
सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.64	7.34	7.83	8.50	7.57
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अन्तर (प्रतिशत)	7.63	7.32	7.83	8.49	7.56

* पूर्व वर्ष के आंकड़ों में अन्तर का कारण महालेखाकार (ले. & हकदारी) कार्यालय द्वारा किये गये प्रोफॉर्मा सुधार हैं।

स्रोत: वित्त लेखे

इस संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा निवेश एवं प्रतिफल पर कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। इस प्रकार, मानक तैयार करने तथा कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक लाभ से जुड़ी परियोजनाओं को चिन्हित करने की आवश्यकता है।

मुख्य निवेश (i) उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 969 करोड़) और (ii) उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 624 करोड़) में थे। उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ₹ 2,003 करोड़ की हानियाँ तथा उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने ₹ 243 करोड़ का लाभ वर्ष 2012-13 के अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार संचित किया था।

1.8.3 लोक निजी सहभागिता परियोजना में निवेश

जनसाधारण की पर्याप्त एवं गुणवत्ता पूर्ण अवसंरचना की बढ़ती हुयी मांग को पूरा करने के लिए लोक निजी सहभागिता (लो नि स) की अवधारणा विकसित हुयी। राज्य सरकार के योजना विभाग में वर्ष 2008 में स्थापित लो नि स कोष, अवसंरचना क्षेत्र के विकास में लो नि स परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के समग्र प्रयासों को समन्वय करने के लिए नोडल अभिकरण है।

1.8.3.1 लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं की स्थिति

लो नि स कोष द्वारा प्रदान की गयी सूचना (जुलाई 2014) के अनुसार, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 2007-14 के दौरान ₹ 5,134.54 करोड़ की 123 परियोजनाएं शुरू की गयी। इनमें से 28 परियोजनाएं (₹ 895.65 करोड़) कार्यान्वयन में थी, जिनमें 31 मार्च 2014 (परिशिष्ट 1.6) तक आठ परियोजनाएं (₹ 87.87 करोड़) शामिल हैं। अड्तीस परियोजनाएँ निविदाधीन थी (₹ 1,812 करोड़) (परिशिष्ट 1.7) और 57 परियोजनाएँ मार्च 2014 के अन्त तक (परिशिष्ट 1.8) पाइपलाइन (₹ 2,426.89 करोड़) में थी। इसके अतिरिक्त, 19 परियोजनाएँ (₹ 1,166.32 करोड़) विभिन्न कारणों से स्थगित कर दी गयी जैसे कि नोडल विभाग परियोजना आगे बढ़ाने में इच्छुक नहीं थे (परिशिष्ट 1.9) क्षेत्रवार लो नि स परियोजनाओं के प्रगति पर निविदाधीन एवं पाइपलाइन में परियोजनाओं का विवरण तालिका 1.23 में दिया गया है।

⁷ गणना योग्य नहीं

तालिका 1.23: क्षेत्रानुसार लो नि स परियोजनाओं का वितरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	कुल परि	परि की कुल कीमत	कार्य पर	कार्य पर लागत	निविदाधीन	निविदा के अन्तर्गत लागत	पाइप लाइन परि. की सं.	पाइप लाइन परि. की लागत	स्थगित	स्थगित परि. की लागत
ऊर्जा	15	802.49	2	117.50	9	570.57	4	114.42	1	13.04
पर्यटन	25	1,949.80	5	400.00	9	904.80	11	645.00	3	5.00
परिवहन	9	175.14	3	44.40	1	2.00	5	128.74	0	00
कृषि	9	68.26	0	00	2	67.26	7	1.00	3	00
सामाजिक	47	1,045.67	13	244.80	16	266.41	18	534.46	2	5.00
सूचना प्रौद्योगिकी	0	00	0	00	0	00	0	00	2	00
सड़क	4	214.00	1	26.00	0	00	3	188.00	1	700.00
शहरी	10	104.81	4	62.95	1	0.96	5	40.90	7	443.28
खेल	2	16.00	0	00	0	00	2	16.00	0	00
जल	2	758.37	0	00	0	00	2	758.37	0	00
योग	123	5,134.54	28	895.65	38	1,812.00	57	2,426.89	19	1,166.32

लो नि स कोष द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार सामाजिक, परिवहन एवं पर्यटन के अन्तर्गत आठ परियोजनाएं शुरू की गयी और मार्च 2014 तक पूरी कर ली गयी। इस प्रकार ₹ 87.87 करोड़ की सम्पत्ति संरचित हुयी। इस पूर्ण परियोजनाओं में से सामाजिक क्षेत्र की एक पूर्ण परियोजना⁸ लागत ₹ पांच करोड़ को वर्ष 2013-14 को दौरान सरकार को सौंप दी गयी।

1.8.4 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलाप भी कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय प्रबन्धित उपक्रमों द्वारा भी निष्पादित किये जाते हैं। सरकार द्वारा किए गए निवेशों की उस वर्ष तक जिस वर्ष तक के प्रोफार्मा लेखे तैयार कर लिए गए हैं, विभागवार स्थिति, निवल लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेशित पूंजी का प्रतिफल परिशिष्ट 1.10 में दिया गया है। तीन कम्पनियों के अन्तिम लेखाओं की जाँच में यह पाया गया था कि:

- राज्य सरकार द्वारा सरकारी सिंचाई कार्यशाला, रूडकी में ₹ 1.92 करोड़ का निवेश, वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्त तक किया गया था।
- कुल तीन उपक्रमों, अर्थात् सिंचाई कार्यशाला, रूडकी, आर एफ सी, हल्द्वानी तथा आर एफ सी, देहरादून, में से केवल सिंचाई कार्यशाला के 2011-12 तक के लेखे तैयार थे। वर्ष 2007-08 तक यह लाभार्जन का उपक्रम था, परन्तु तत्पश्चात शुद्ध हानि दर्ज की गयी।

1.8.5 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं/संगठनों में से अनेक को ऋण एवं अग्रिम राशि भी उपलब्ध कराती रही है। तालिका 1.24 31 मार्च 2014 को, बकाया ऋण एवं अग्रिमों, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

⁸ दून अस्पताल देहरादून में एम.आर.आई. मशीन का कार्यचालन एवं रखरखाव

तालिका 1.24: राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज (₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्ति/ऋण की लागत की मात्रा	2011-12	2012-13	2013-14	
			ब आ	वास्तविक ऑकड़े
प्रारम्भिक शेष	717.90	874.08	--	718.21
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम राशि	246.83	272.57	248.66	277.99
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	90.65	428.44	684.59	55.23
अंतिम शेष	874.08	718.21	--	940.97
निवल वृद्धि	(+) 156.18	(-) 155.87		222.76
ब्याज प्राप्ति	0.62	1.61		3.72
बकाया ऋणों एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्ति प्रतिशत के रूप में	0.07	0.22		0.40
राज्य सरकार के अदत्त राजकोषीय दायित्वों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	7.49	8.18		7.15
ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्ति के बीच अंतर (प्रतिशत)	7.42	7.96		6.75
अदत्त बकाया, जिनकी शर्तें नियत की जा चुकी हैं	राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई			

स्रोत: वित्त लेखे व वार्षिक वित्तीय विवरण (उत्तराखण्ड सरकार)

सरकार ने वर्ष 2012-13 के ₹ 273 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 278 करोड़ ऋण दिये, जो कि पिछले वर्ष से ₹ पांच करोड़ अधिक थे। ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों ने पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 373 करोड़ की कमी दिखाई।

बकाया ऋणों एवं अग्रिम ब्याज के रूप में ब्याज प्राप्ति ने चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी सी वृद्धि दर्शायी। वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उठाये गये बाजार ऋणों की औसत ब्याज दर 7.15 प्रतिशत थी, जबकि राज्य सरकार द्वारा, विभिन्न संस्थाओं, निगमों/सरकारी कम्पनियों और सरकारी कर्मचारियों आदि को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज की दर केवल 0.40 प्रतिशत थी, जो कि वर्ष 2009-10 में बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सात प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष थी।

31 मार्च 2014 तक सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण ₹ 941 करोड़ थे। मुख्य लाभार्थी कृषि (₹ 661 करोड़), परिवहन (₹ 135 करोड़) एवं ऊर्जा (₹ 82 करोड़) क्षेत्र थे।

1.8.6 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.25 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों से किये गये निवेश को इंगित करती है।

तालिका 1.25: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष से किया गया निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2013 को	31 मार्च 2014 को
सामान्य रोकड़ शेष		
कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में रोकड़	00	00
रिजर्व बैंक में जमा	(-) 5.21	558.31
अन्य बैंकों में जमा (ब)	00	00
योग	(-) 5.21	558.31
रोकड़ शेष निवेश लेखे में रखा निवेश	875.15	799.50
योग (अ)	869.94	1,357.81
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे लोक निर्माण विभाग अधिकारियों, वन विभाग अधिकारियों, जिला कलेक्टरों के पास रोकड़	(-) 2.15	(-) 2.15
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों के पास स्थायी अग्रिम,	(-) 0.87	(-) 0.87
उद्दिष्ट निधियों का निवेश	1,078.62	1,078.62
योग (ब)	1,075.60	1,075.60
महायोग (अ) + (ब)	1,945.54	2,433.41

स्रोत: वित्त लेखे

अन्तिम रोकड़ शेष पिछले वर्ष (₹ 1,945.54 करोड़) की अपेक्षा चालू वर्ष (₹ 2,433.41 करोड़) के अन्त में ₹ 487.87 करोड़ बढ़ गया।

राज्य सरकार ने रोकड़ शेष से ₹ 1,078.62 करोड़ की नैमित्तिक निधि सृजित की। यही राशि नैमित्तिक निधि से भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेशित की गई तथा वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 35.09 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। वर्ष 2013-14 के दौरान रोकड़ शेष पर प्राप्त ब्याज 1.87 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपनी उधार राशियों पर 7.57 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। राज्य सरकार द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं लिया एवं यह वर्ष 2013-14 के दौरान अधिकतम दिनों के लिए ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम शेष बनाये रखने में समर्थ थी। तथापि, वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह में अस्थायी शेष ने सरकार को 16 (साधारण और विशेष) अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम को प्राप्त करने के लिए बाध्य किया। वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य को ₹ 0.09 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में देना पड़ा।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत में मुख्य शीर्ष 'चैको और बिलों' के नीचे लघुशीर्ष 'कोषालय चैक' के अधीन ₹ 56.68 करोड़ क्रेडिट शेष पड़ा था।

पर्याप्त रोकड़ शेष की सहज स्थिति ₹ 1,105 करोड़ के राजस्व आधिक्य एवं स रा घ उ के 2.16 प्रतिशत के निम्न राजकोषीय घाटे को ध्यान में रखते हुए, खुले बाजार की उधारियों को ₹ 3,200 करोड़ के बजटीय लक्ष्य के विरुद्ध ₹ 2,500 करोड़ तक सीमित किया जा सका।



1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संरचना एवं वृद्धि

विद्यमान सरकारी लेखापद्धति में, सरकारी स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों, जैसे भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया है। तथापि, सरकारी लेखे, सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। परिशिष्ट 1.4 (भाग ब) में 31 मार्च 2013 की समतुल्य स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2014 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। इस परिशिष्ट में दायित्वों में मुख्यतः आन्तरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं तथा परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियों को परिशिष्ट 1.3, परिशिष्ट 1.4 व राज्य वित्त लेखे के विवरण 6 में प्रस्तुत किया गया है तथापि, पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्वों की संरचना चार्ट 1.7 और 1.8 में प्रस्तुत की गई है।



वर्ष 2013-14 का ऋण- स रा घ उ अनुपात (23.50 प्रतिशत), पिछले वर्ष के अनुपात की तुलना में (23.68 प्रतिशत) 0.19 प्रतिशत सुधरा। यह अनुपात ते वि आ के उस वर्ष के लिए, निर्धारित मापदण्ड (38.50 प्रतिशत) से नीचे था। समग्र राजकोषीय दायित्व वर्ष 2009-10 के ₹ 18,748 करोड़ से 53.44 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 28,767 करोड़ हो गये थे। राज्य की देयताएँ जो वर्ष 2013-14 के अन्त में ₹ 28,767 करोड़ की थी, में मुख्य रूप से लोक ऋण (₹ 21,355 करोड़), लघु बचत एवं भविष्य निधि (₹ 5,043 करोड़) और अन्य दायित्व (₹ 2,369 करोड़) शामिल थे। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष की समाप्ति पर राजकोषीय दायित्वों में वृद्धि मुख्यतः आन्तरिक ऋण तथा लघु बचत एवं भविष्य निधि आदि के कारण थी, जो क्रमशः ₹ 2,573 करोड़ एवं ₹ 322 करोड़ तक बढ़ गये थे। राजकोषीय देयताओं में वृद्धि विभिन्न वर्षों में बढ़ी; पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में यह 12.64 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष के दौरान स रा घ उ के सापेक्ष इन दायित्वों में उत्प्लावकता 0.94 थी, जो यह इंगित करती थी कि स रा घ उ में प्रत्येक प्रतिशत बिन्दु के लिए राजकोषीय दायित्व 0.94 प्रतिशत बढ़ गये थे। ये दायित्व राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 1.66 गुना एवं अपने संसाधनों का 3.32 गुना थे। राज्य में प्रारम्भ से ही खुले बाजार ऋणों की भुगतान वापसी के लिए सिंकिंग फण्ड चलन में है (सितम्बर 2006 में पुनरीक्षित) और राज्य सरकार को पिछले वर्ष के बकाया पड़े बाजार ऋणों के 0.5 प्रतिशत की दर से अंशदान करना है। राज्य सरकार ने इस निधि में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई योगदान नहीं किया जो कि ₹ 127.70 करोड़ रहा।

1.9.3 आरक्षित निधियों के अधीन लेन-देन

31 मार्च 2014 को आरक्षित निधियों में अन्तिम शेष के रूप में ₹ 1,224 करोड़ (जमा) थे। इसमें से बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियों में ₹ 1,157 करोड़ (जमा) तथा ब्याज वाली आरक्षित निधियों में ₹ 67 करोड़ (जमा) थे। इसमें, संचालित होने वाले लेखों के मुख्य शीर्ष 8115-मूल्य ह्रास / नवीनीकरण आरक्षित निधि (₹ 0.01 करोड़) और 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ (₹ 67.41 करोड़) थे जिसके अन्तर्गत राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन किया गया। बिना ब्याज वाली (₹ 1,157 करोड़) (जमा), आरक्षित निधियों के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 8222-सिंकिंग फण्ड (₹ 1,128 करोड़), 8229- विकास एवं कल्याण निधियाँ (₹ चार करोड़) और 8235- सामान्य एवं आरक्षित निधियाँ (₹ 25 करोड़) का संचालन किया गया था।

समेकित सिंकिंग फंड: बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कुल बकाया दायित्वों (आंतरिक ऋण और राज्य सरकार के लोक लेखा दायित्वों) का बोझ कम करने के लिये राज्य सरकार ने सिंकिंग फंड 2006 के सृजन एवं प्रशासन के लिए एक पुनरीक्षित योजना बनाई। आर बी आई द्वारा मार्गदर्शन/निर्देशों के अधीन, जो कि सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाये, निधियों का संचालन किया जाता है। सरकार द्वारा आर बी आई को इन निधियों पर अर्जित लाभांश के एक प्रतिशत का 1/8 प्रतिशत या परस्पर सहमति के आधार पर तय कमीशन के रूप में दिया जाता है। वर्ष 2013-14 में राज्य की समेकित निधि से सिंकिंग फंड में कोई धनराशि विनियोजित नहीं की गयी, जो कि सिंकिंग फंड योजना के प्रावधानों के विरुद्ध है। परिणामस्वरूप राज्य का राजस्व अधिक्क्य ₹ 127.70 करोड़ की सीमा तक बढ़ा कर दर्शाया गया। 2013-14 के अन्त में इसमें कुल संचयन ₹ 1,128 करोड़ था। निधियों के कुल संचयन में से ₹ 1,054 करोड़ आर बी आई द्वारा निवेश किया गया।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस डी आर एफ): ते वि आ की संस्तुतियों के आधार पर भूतपूर्व आपदा राहत कोष, को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। निधियों के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्र, एवं विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे कि उत्तराखण्ड को 90:10 के अनुपात में योगदान देना आवश्यक है। वर्ष 2013-14 के आरंभ में इस निधि में ₹ 36.85 करोड़ शेष थे। वर्ष 2013-14 के दौरान राशि ₹ 465.71 करोड़ (एस डी आर एफ ₹ 136.21 करोड़ - केन्द्र अंश ₹ 122.59 करोड़, राज्य का अंश ₹ 13.62 करोड़ एवं एन डी आर एफ ₹ 329.50 करोड़) समेकित निधियों से एस डी आर एफ में विनियोजित किये गये। निधि में ₹ 67.41 करोड़ जमा शेष छोड़ते हुए ₹ 435.15 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। एस डी आर एफ में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में कुल प्राप्ति ₹ 149 करोड़ (वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के क्रमशः ₹ 26.35 करोड़, ₹ 122.59 करोड़ एवं ₹ 0.06 करोड़) तक थी।

1.9.4 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूतियाँ, उधार लेने वाले जिसके लिये प्रत्याभूति दी गयी है, के दोषी रहने पर राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व हैं।

राज्य विधायिका द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत उस अधिकतम सीमा के निर्धारणार्थ कोई भी कानून पारित नहीं किया गया, जिसके अन्तर्गत सरकार राज्य समेकित निधि की प्रतिभूति पर प्रत्याभूतियाँ दे सके। एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में यह विहित है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होते समय विद्यमान, राज्य सरकार के किसी नियम या कानून के अन्तर्गत अथवा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या कानून द्वारा, निर्धारित सीमा से अधिक राशि पर प्रत्याभूति नहीं देगी। तथापि, प्रत्याभूतियों की सीमा तय करने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक कोई कानून पारित नहीं किया है।

वित्त लेखे के विवरण संख्या 9 के अनुसार, अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा प्रत्याभूतियाँ दी गई थी तथा विगत तीन वर्षों में बकाया प्रत्याभूतियाँ तालिका 1.26 में दी गई हैं:

तालिका 1.26: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2011-12	2012-13	2013-14
प्रत्याभूति की बकाया राशि	1,739	1,570	1,475
कुल राजस्व प्राप्ति से प्रत्याभूति की अधिकतम राशि का प्रतिशत	12.70	9.97	8.52

स्रोत: वित्त लेखे

31 मार्च 2014 को बकाया प्रत्याभूति की राशि ₹ 1,475 करोड़ थी, जिसमें उर्जा क्षेत्र (₹ 902 करोड़), सहकारिताओं (₹ 550 करोड़) और आवास एवं शहरी विकास (₹ 16 करोड़) शामिल थे। वर्ष के दौरान कोई भी प्रत्याभूति आव्हानित नहीं की गई।

सरकार ने ₹ 25 करोड़ की प्रत्याभूति संग्रह उत्थित प्रत्याभूतियों के निपटान के लिए एक 'प्रत्याभूति विमोचन निधि' गठित किया है। वर्ष 2013-14 के दौरान उक्त निधि से न तो कोई धनराशि निकाली गई तथा न ही विनियोजित की गई।


1.10 ऋण प्रबंधन

(i) ऋण रूपरेखा

राज्य के बकाया ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋणों) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका 1.27 एवं चार्ट 1.9 में दी गई है।

तालिका 1.27: लोक ऋण की परिपक्वता रूप रेखा (₹ करोड़ में)

परिपक्वता रूपरेखा	राशि	कुल लोक ऋण पर प्रतिशतता
0-1 वर्ष	650	3.041
1-3 वर्ष	2,298	10.763
3-5 वर्ष	2,693	12.609
5-7 वर्ष	2,563	12.001
7 वर्ष से अधिक	11,235	52.612
अन्य (राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी)	1,916	8.974
योग	21,355	100



स्रोत: वित्त लेखे

वचनबद्ध व्यय-दायित्व के निर्वहन हेतु सरकार को और अधिक उधार लेना पड़ा चूंकि विगत पाँच वर्षों में राजकोषीय कमी थी। 31 मार्च 2014 को लोक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूप रेखा दर्शाती है कि 52.61 प्रतिशत लोक ऋण सात वर्षों या अधिक की परिपक्वता में था।

(ii) ऋण वहन क्षमता

राज्य सरकार के ऋणों के परिणाम के अलावा राज्य की ऋण वहन क्षमता को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। यह खण्ड, ऋण स्थिरीकरण, ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता, उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्ति से ब्याज भुगतानों के अनुपात द्वारा मापित) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता रूपरेखा के संदर्भ में राज्य सरकार की ऋण वहन क्षमता का आकलन करता है। तालिका 1.28 वर्ष 2011-12 से आरम्भ करते हुए तीन वर्षों की अवधि हेतु इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण वहन क्षमता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.28: ऋण वहन क्षमता : सूचक एवं प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)

ऋण वहन क्षमता के सूचक ⁹	2011-12	2012-13	2013-14
ऋण स्थायित्करण ¹⁰ (मात्रात्मक विस्तार + प्राथमिक घाटा)	(+) 1,811	(+) 2,164	(+) 1,112
ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल) ¹¹	(+) 86	(+) 157	(-) 1,050
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता ¹²	308	5	1,301
ब्याज/भुगतानों का भार (ब्याज भुगतान/रा प्रा अनुपात)	12.92	13.27	11.87

तालिका 1.28 की प्रवृत्तियाँ दर्शाती हैं कि वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्रारम्भिक घाटा न केवल धनात्मक था बल्कि उसने निम्नोमुखी प्रवृत्ति भी दर्शायी। वर्ष 2013-14 के अन्त में यह ₹ 1,112 करोड़ पर था। ऋण- स रा घ उ अनुपात जो वर्ष 2011-12 में 24.13 प्रतिशत था, चालू वर्ष के दौरान 23.50 प्रतिशत तक गिरावट आयी। उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में, ऋण- स रा घ उ अनुपात 23.50 प्रतिशत पर था, जो ते वि आ द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारित लक्ष्य (38.50 प्रतिशत) से अत्यधिक नीचे था।

ऋण स्थायित्व और इसकी वहन क्षमता का दूसरा सूचक, बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्रारम्भिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता को है। ऋण-वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति,¹³ बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्रारम्भिक व्यय को पूरा कर सकती। धनात्मक संसाधन अंतराल राज्य के ऋणों को संभालने की क्षमता को मजबूत करता है। तालिका 1.28 वर्ष 2011-14 की अवधि हेतु परिभाषित संसाधन अंतराल को इंगित करती है।

राज्य ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 में धनात्मक संसाधन अंतराल का अनुभव किया, जो बदले में 2010-11 में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक नीचे ले आया तथा राज्य ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान क्रमशः ₹ 716 करोड़ और ₹ 1,787 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया। चालू वर्ष (2013-14) के

⁹ परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

¹⁰ परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

¹¹ परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

¹² परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

¹³ परिशिष्ट 4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

दौरान, संसाधन अंतराल ऋणात्मक हो गया (- ₹ 1050 करोड़) राजस्व आधिक्य ₹ 682 करोड़ कम होकर ₹ 1,105 करोड़ रह गया। वर्ष 2011-12 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 1,757 करोड़) तर्क संगत सीमा तक नीचे लाया गया था, जो वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 1,600 करोड़ (स रा घ उ का 1.48 प्रतिशत) तक और नीचे आ गया पर वर्ष 2013-14 के दौरान यह बढ़कर ₹ 2,650 करोड़ (2.16 प्रतिशत स.रा.घ.उ.) हो गया।

ऋण शोधन वर्ष 2008-10 के दौरान उच्चतर स्तर पर रहा था तथा वर्ष 2010-11 में थोड़ा सुधरा (0.83) जिससे यह इंगित होता है कि इस अवधि के दौरान पुरानी ऋण देयताओं को समाप्त करने के लिए ऋण निधियों का बढ़-चढ़ कर प्रयोग किया जा रहा है (परिशिष्ट 1.3)। तथापि, वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान इसने उच्चोन्मुखी प्रवृत्ति दर्शाई पर वर्ष 2013-14 में घटकर 0.82 हो गया। इसलिए 2012-13 वर्ष के दौरान मूलधन एवं ब्याज को लौटाने के पश्चात उधारी निधियों से, निधियों के पूँजीकरण/उत्पादक व्यय हेतु कोई निधि बाकी नहीं थी।

1.10.1 बाजार ऋण

बाजार ऋण की स्थिति

तालिका 1.29, 2009-14 की अवधि के लिए राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति दर्शाता है।

तालिका 1.29 : राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च को अन्तिम अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि (+) / कमी (-)	
					धनराशि	प्रतिशत
2009-10	5,885.10	600.00	139.54	6,345.57	460.62	7.82
2010-11	6,345.53	991.52	102.00	7,235.05	889.52	14.02
2011-12	7,235.05	1,400.00	240.73	8,394.32	1,159.27	16.02
2012-13	8,394.32	1,750.00	949.87	9,194.45	800.13	9.53
2013-14	9,194.45	2,500.00	763.89	10,930.56	1,736.11	18.88
योग		7,241.52	2,196.03			

स्रोत: संगत वर्ष के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि उत्तराखण्ड सरकार ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 7,241.52 करोड़ एवं ₹ 2,196.03 करोड़ क्रमशः ऋण लिया और पुनर्भुगतान किया। 2009-14 के दौरान पुनर्भुगतान राज्य सरकार के कुल ऋणों (₹ 7,241.52 करोड़) का 30.33 प्रतिशत था। इन ऋणों पर भुगतानित ब्याज 2009-10 में 7.64 प्रतिशत से 2013-14 में 7.57 प्रतिशत की औसत दर से वर्ष 2009-10 में ₹ 459 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 715 करोड़ हो गया। पुनर्भुगतान की धीमी गति आगामी वर्षों में ऋणों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता को बढ़ाएगी। सरकार पर मौजूदा बाजार ऋण का दबाव भी विचारणीय होगा। उपरोक्त तालिका यह भी दर्शाती है कि वर्ष 2009-10 से आगे बाजार ऋणों में बढ़ाने की प्रवृत्ति थी। 2009-10 से 2013-14 के दौरान प्राप्तियों ने लगभग चार गुनी वृद्धि दर्शाई। यह राज्य सरकार की बाजार ऋण पर निरंतर निर्भरता को दर्शाती है।

एफ आर बी एम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन

एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 की धारा 4 (द) अनुबंधित करती है कि ऋणों का उपयोग चालू व्ययों के वित्तपोषण में न होकर स्व-पालनीय विकास क्रियाकलापों तथा पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन या वृद्धि में होना चाहिए। सरकार को ऋण के प्रत्येक अंश हेतु यह उद्देश्य सूचित करना है कि प्राप्त ऋण का विकास

योजनाओं विशेषतया उनमें जो ऊर्जा, सिंचाई, परिवहन और उद्योगों और उनमें भी जो राज्य के विशेषकर कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों को लाभान्वित करती हैं, करना है। सरकार ने उक्त उद्देश्यों हेतु बाजार ऋणों को उठाया जो तालिका 1.30 में दिया गया है:

तालिका 1.30: वर्ष 2009-14 के दौरान सरकार द्वारा लिए गए बाजार ऋण और पुनर्भुगतान का विवरण (₹ करोड़ में)


वर्ष	बाजार ऋणों की धनराशि				
	लिया गया	पुनर्भुगतान के उद्देश्य हेतु		पूँजीगत व्यय के उद्देश्य हेतु	
		धनराशि	प्रतिशत	धनराशि	प्रतिशत
2009-10	600.00	139.53	23.26	460.47	76.74
2010-11	991.52	102.00	10.29	889.52	89.71
2011-12	1,400.00	240.73	17.20	1,159.27	82.80
2012-13	1,750.00	950.00	54.29	800.00	45.71
2013-14	2,500.00	764.00	30.56	1,736.00	69.44


उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सरकार ने नए ऋणों (2009-10 से 2013-14) के औसतन 27 प्रतिशत का उपयोग परिपक्व बाजार ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु किया जबकि औसतन 73 प्रतिशत पूँजीगत व्यय हेतु संदर्भित वर्षों में प्रयोग किया गया। नए ऋणों से परिपक्व बाजार ऋणों का भुगतान इन ऋणों के उद्देश्यों को असफल करने के अतिरिक्त एफ आर बी एम अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध था।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारम्भिक घाटा-एक विशिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्त में राजकोष के समस्त असन्तुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्ति और व्यय के मध्य के अन्तराल को प्रस्तुत करता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का एक सूचक है। पुनः किस तरह घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और जुटाए गये संसाधनों को प्रयुक्त किया जाता है, यही इसके राजकोषीय स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड, इन घाटों की प्रवृत्तियाँ, प्रकृति, परिमाण एवं वित्त पोषण के ढंग तथा एफ आर बी एम अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्यों के सापेक्ष राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तरों के आकलन को भी प्रस्तुत करता है। चार्ट 1.10 एवं 1.11, 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि में घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।





राज्य ने 2009-10 में राजस्व घाटे का अनुभव किया जो मुख्यतः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन के कारण था। तथापि राज्य वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक नीचे लाने में और वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 716 करोड़ का आधिक्य प्राप्त करने में कामयाब रहा जो 2012-13 में बढ़कर ₹ 1,787 करोड़ हो गया। चालू वर्ष में भी राज्य राजस्व आधिक्य बनाए रखने में सफल रहा जो कि वर्ष 2013-14 में ₹ 1,105 करोड़ रहा। तथापि यह पूर्ण वर्ष के सापेक्ष ₹ 682 करोड़ कम था।

राजकोषीय घाटा वर्ष 2010-11 में कम किया गया और एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में निर्धारित स रा घ उ के चार प्रतिशत लक्ष्य से नीचे 2.19 प्रतिशत था। सरकार के द्वारा राजकोषीय समेकन के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप ही 2011-12 और 2012-13 में भी राजकोषीय घाटे में कमी हुई। तथापि, वर्ष 2013-14 को दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 1,050 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,650 करोड़ हो गया। राजकोषीय घाटा (₹ 2,650 करोड़), स रा घ उ के 2.16 प्रतिशत पर वर्तमान रूप में टिका है और इस संदर्भ में ते वि आ द्वारा निर्धारित लक्ष्य तीन प्रतिशत के अन्तर्गत ही है।

प्राथमिक घाटे ने 2009-10 (₹ 1,445 करोड़) में मात्रात्मक उछाल लिया था और वर्ष 2010-11 में नीचे (₹ 363 करोड़) आ गया और वर्ष 2011-12 में धनात्मक हो गया। वर्ष 2012-13 के दौरान भी यह धनात्मक दिशा में रहा परन्तु वर्ष 2013-14 में यह ऋणात्मक में परिवर्तित हो गया तथा चालू वर्ष के अन्त में ₹ 594 करोड़ रहा।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त-पोषण पद्धति

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में एक संरचनात्मक बदलाव हुआ जैसा कि तालिका 1.31 में परिलक्षित है।

तालिका 1.31: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजकोषीय घाटे का विघटन						
1	राजस्व घाटा (-) आधिक्य (+)	(-)1,171	(-)13	(+)716	(+)1,787	(+)1,105
2	पूँजीगत व्यय	(-)1,647	(-)1,855	(-)2,317	(-)3,542	(-)3,532
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	(+)35	(+)25	(-)156	(+)155	(-)223
राजकोषीय घाटे की वित्त-पोषण पद्धति						
1	बाजार ऋण	460	890	1,159	800	1,736
2	भारत सरकार से ऋण	(-)5	16	20	6	(-)16
3	एन एस एस एफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	672	921	332	505	545
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	70	182	131	215	291
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,066	870	626	271	322
6	जमा एवं अग्रिम	229	46	33	219	352
7	उचन्त एवं विविध	722	(-)331	(-)412	479	(-)223
8	प्रेषण	(-)129	(-)303	(-)466	(-)101	317
9	अन्य	(-)6	242	190	66	(-)186
10	कुल आधिक्य/घाटा(नकद शेष)	(-)296	(-)690	144	(-)860	(-)488
11	सकल राजकोषीय घाटा	2,783	1,843	1,757	1,600	2,650

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेख, 2013-14

राजकोषीय घाटा (₹ 2,650 करोड़) बड़ी मात्रा में बाजार की उधारियों (₹ 1,736 करोड़) और राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों (₹ 545 करोड़) से प्रबन्धित किया गया। यद्यपि, वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई, राजकोषीय घाटे को तर्कसंगत सीमा अर्थात् स रा घ उ के तीन प्रतिशत तक (ते वि आ की सिफारिशों के अनुसार) चालू वर्ष के दौरान नीचे लाया गया (स रा घ उ का 2.16 प्रतिशत)।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात और प्राथमिक राजस्व घाटा एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित), राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता के सूचक होंगे। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का अनुपात उस सीमा को इंगित करता है जहाँ तक वर्तमान उपभोग के लिये ऋण निधियों का उपयोग किया गया था। पुनः राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का सतत् उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरंतर कम हो रहा था और ऋणों (राजकोषीय दायित्व) के अंश परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं थे। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका 1.32) उस सीमा को इंगित करेगा जहाँ तक घाटा पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण रहा है जो राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये वांछनीय हो सकता है।

तालिका 1.32: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-संगठकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्ति* ^१	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अशिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) /आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2009-10	9,551	9,319	1,647	30	10,996	(+)232	(-)1,445
2010-11	11,693	10,141	1,855	60	12,056	(+)1,552	(-)363
2011-12	13,782	11,206	2,317	247	13,770	(+)2,576	(+)12
2012-13	16,175	11,871	3,542	273	15,686	(+)4,304	(+)489
2013-14	17,556	14,160	3,712	278	18,150	(+)3,396	(-)594

* लोक ऋण प्राप्ति से इतर प्राप्ति अर्थात् ऐसी प्राप्ति जिन्हें वापस नहीं किया जाता है

- ऋणोत्तर प्राप्ति 2009-10 से 2013-14 तक 83.81 प्रतिशत बढ़ी और प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। तथापि, अन्तर जो ₹ 862 करोड़ (2009-10) से ₹ 2,393 करोड़ (2012-13) के मध्य रहा, वर्ष 2009-10 से 2013-14 के मध्य निरन्तर उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शाता रहा
- कुल प्राथमिक व्यय में 2009-10 की तुलना में 2013-14 के दौरान ₹ 7,154 करोड़ (65.06 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, यह वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान ₹ 4,841 करोड़ (51.95 प्रतिशत) की सीमा तक प्राथमिक राजस्व व्यय की वृद्धि के कारण थी।
- प्राथमिक राजस्व आधिक्य, जिसने 2009-10 में तीव्र उतार दर्शाया, पुनः 2010-11 से 2012-13 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाई। तथापि, इसने चालू वर्ष (2013-14) में तीव्र उतार दर्शाया एवं पूर्व वर्ष के सापेक्ष, ₹ 908 करोड़ (21.10 प्रतिशत) घटकर ₹ 3,396 करोड़ रहा।
- वर्ष 2011-12 के दौरान, प्राथमिक घाटा, ऋणोत्तर प्राप्ति में वृद्धि होने के कारण प्राथमिक आधिक्य में परिवर्तित हुआ और धनात्मक बना रहा तथा वर्ष 2012-13 के अंत में बढ़कर ₹ 489 करोड़ हो गया, परन्तु वर्ष 2013-14 के दौरान कुल प्राथमिक व्यय में वृद्धि के कारण प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया तथा वर्षान्त में ₹ 594 करोड़ रहा।

1.12 राज्य वित्त पर विगत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

उत्तराखण्ड में राज्य वित्त पर किसी भी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति (सितम्बर 2014) द्वारा चर्चा नहीं की गई। तदुसार, प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों को लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

1.13 निष्कर्ष

चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति में ₹ 1,573 करोड़ (9.99 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः संघ के करों व शुल्कों में राज्य के अंश (₹ 301 करोड़), राज्य के अपने कर राजस्व (₹ 941 करोड़) और भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान (₹ 618 करोड़) में बढ़ोत्तरी के कारण थी। तथापि, चालू वर्ष में करेतर राजस्व ₹ 286 करोड़ घट गया। राज्य की व्यय पद्धति दर्शाती है कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय चालू वर्ष में बढ़ा तथा करीब 80.25 प्रतिशत रहा। आयोजनेतर राजस्व व्यय (एन पी आर ई) में विगत वर्ष की तुलना में 16.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2013-14 के दौरान वेतन पर व्यय 47.82 प्रतिशत था और एन पी आर ई के एक बड़े अंश को खपत करने की निरंतरता बनाए रहा। वर्ष 2013-14 में पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 2,131 करोड़ था जो राजस्व

प्राप्तियों का 12.30 प्रतिशत था। चालू वर्ष में पेंशन भुगतान, ते वि आ द्वारा मानकीय निर्धारण (₹ 1,462 करोड़) से अधिक (₹ 669 करोड़) था (ते वि आ के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.7)।

गत वर्ष की तुलना में 2013-14 में राज्य के पूँजीगत व्यय में ₹ 170 करोड़ की वृद्धि हुई जो मुख्यतः (i) सामाजिक सेवाओं और (ii) आर्थिक सेवाओं में वृद्धि के कारण थी। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत व्यय वर्ष 2009-10 में 13 प्रतिशत तथा वर्ष 2013-14 में 18 प्रतिशत था। चालू वर्ष में इसने पिछले वर्ष के सापेक्ष मामूली वृद्धि (4.80 प्रतिशत) दर्शाई लेकिन राज्य सरकार के अपने ब आ (₹ 4,874 करोड़) और एम टी एफ पी एस (₹ 5,266 करोड़) में निर्धारित लक्ष्य से नीचे (₹ 3,712 करोड़) रहा।

समग्र विकासपरक व्यय वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 61 प्रतिशत बढ़ गया। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में सरकार के निवेश पर पिछले पांच वर्षों में औसत प्रतिफल लगभग नगण्य था जबकि सरकार ने वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 के दौरान अपने ऋणों पर औसतन 7.78 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान किया।

राज्य वर्ष 2010-11 में राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) तक लाने में कामयाब हो पाया था और वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 716 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया जो वर्ष 2012-13 में बढ़कर ₹ 1,787 करोड़ हो गया। चालू वर्ष में भी राज्य ने राजस्व आधिक्य (₹ 1,105 करोड़) पर बनाए रखा यद्यपि यह पिछले वर्ष के सापेक्ष ₹ 682 करोड़ घट गया।

राजकोषीय घाटा को जो कि 2009-10 के दौरान उच्च स्तर पर, स रा घ उ का 3.93 प्रतिशत था, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 में 3.5 प्रतिशत की तर्कसंगत सीमा से नीचे लाया गया। 2013-14 के दौरान ₹ 2,650 करोड़ का राज्य का राजकोषीय घाटा स रा घ उ का 2.16 प्रतिशत था।

वर्ष 2013-14 के अंत में राज्य के रोकड़ शेष में ₹ 488 करोड़ की वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक में नकद शेषों के निवेश व भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश पर प्राप्त ब्याज नगण्य (1.87 प्रतिशत) था, जबकि सरकार ने 7.57 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर ऋण लिया।

2013-14 में ऋण - स रा घ उ अनुपात, ते वि आ द्वारा निर्धारित मानक 38.50 प्रतिशत से काफी नीचे, 23.50 प्रतिशत पर था। राज्य ने वर्ष 2011-12 में प्राथमिक आधिक्य की स्थिति प्राप्त कर ली थी जो वित्तीय वर्ष 2012-13 में पर्याप्त रूप से बढ़ी (₹ 489 करोड़), परन्तु वर्ष 2013-14 में ₹ 594 करोड़ का प्राथमिक घाटा हुआ। 31 मार्च 2014 को लोक ऋण ₹ 21,355 करोड़ है और ऋणों का 53 प्रतिशत सात वर्षों और अधिक की परिपक्वता अवधि में है।

वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹ 1,903 करोड़ की एक बड़ी धनराशि सीधे राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित की गयी। तथापि, इन निधियों को राज्य बजट/राजकोष पद्धति के माध्यम से नहीं दिया गया। जैसे कि यह निधियाँ राज्य बजट के बाहर रहती हैं, इनके उपयोग का अनुश्रवण करने के लिये एक भी अभिकरण नहीं है और तत्काल रूप से उपलब्ध कोई ऐसे आँकड़े नहीं हैं ताकि किसी विशेष वर्ष में प्रमुख चिन्हित योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में वास्तव में कितना व्यय हुआ है आँका जाए।


1.14 संस्तुतियाँ

सरकार विचार कर सकती है कि:

- (i) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत समस्त अनुदानों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने एवं परिकल्पित समय सीमा के भीतर उनके बेहतर उपयोग करने हेतु प्रभावशाली चरण/उपाय बनाए जाने के लिए;
- (ii) समस्त लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं को तत्परता से पूरा करने के लिए प्रभावशाली कार्ययोजना तैयार किए जाने के लिए ताकि लोग समय पर परिकल्पित लाभ प्राप्त करें; और
- (iii) सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किये गये निवेशों से कम प्रतिफल प्राप्त होने के कारणों की समीक्षा करने तथा निवेशों से अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए।

अध्याय – 2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण



अध्याय - 2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदान एवं भारत विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय, दत्तमत एवं भारत व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत बजट के दोनों मदों दत्तमत एवं भारत के सापेक्ष ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधान को सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार में निहित विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया व्यय वास्तविक व्यय, है और जो व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत होना चाहिए, वही भारत किया गया है। यह, ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया ऐसा व्यय विधि, सुसंगत नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

वर्ष 2013-14 के दौरान 31 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका 2.1 में दी गयी है।

तालिका 2.1 : वर्ष 2013-14 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत	I राजस्व	1,53,00.07	28,79.84	1,81,79.91	1,41,26.32	(-)40,53.59
	II पूँजीगत	48,69.19	9,62.12	58,31.31	51,80.66	(-)6,50.65
	III ऋण एवं अशिम	2,48.66	5,73.55	8,22.21	2,77.99	(-)5,44.22
योग-दत्तमत		2,04,17.92	44,15.51	2,48,33.43	1,95,84.97	(-)52,48.46
भारत	IV राजस्व	27,54.13	0.34	27,54.47	20,97.65	(-)6,56.82
	V पूँजीगत	5.00	00	5.00	00	(-)5.00
	VI लोक ऋण-पुनर्भुगतान	21,52.79	00	21,52.79	14,82.12	(-)6,70.67
योग-भारत		49,11.92	0.34	49,12.26	35,79.77	(-)13,32.49
आकस्मिकता निधि में विनियोग (यदि कोई हो)		--	4,00.00	4,00.00	4,00.00	--
	कुल योग	2,53,29.84	48,15.85	3,01,45.69	2,35,64.74	(-)65,80.95

स्रोत : विनियोग लेखे 2013-14

तालिका 2.1 के अनुसार, ₹ 65,80.95 करोड़ की बचत (निधियों के उपयोग में कमी), राजस्व खण्ड (37 प्रकरणों) और पूँजीगत खण्ड (25 प्रकरणों) के अनुदान तथा विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 84,18.10 करोड़ की बचत जो पूँजीगत खण्ड के अन्तर्गत तीन अनुदानों में ₹ 18,37.15 करोड़ के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई, के परिणामस्वरूप थी।

वर्ष के दौरान, जिन विभागों के विरुद्ध महत्वपूर्ण बचत (₹ 1,00 करोड़ से ज्यादा) जानकारी में आयी वे राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (₹ 14,66.73 करोड़), वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (₹ 1,16.17 करोड़), शिक्षा, खेल, युवा कल्याण एवं संस्कृति (₹ 6,35.48 करोड़), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 1,16.11 करोड़), जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास (₹ 3,08.25 करोड़), कल्याण (₹ 1,78.11 करोड़), कृषि कार्य एवं अनुसंधान (₹ 1,86.93 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 1,79.22 करोड़), खाद्य (₹ 2,26.55 करोड़) एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण (₹ 2,10 करोड़) थे। इसी प्रकार, वर्ष 2013-14 के दौरान जिन विभागों में आवंटन पर महत्वपूर्ण व्ययआधिक्य पाया गया उनमें लोक निर्माण (₹ 56.59 करोड़), खाद्य (₹ 17,75.56 करोड़), एवं उद्यान विभाग (₹ 5 करोड़) थे।

पर्याप्त बचत/आधिक्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध करते हुए बचत/आधिक्य (विस्तृत विनियोग लेखे) को उन्हें सूचित किया गया था (जुलाई 2014)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2014)।

2.3 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबन्धन

2.3.1 व्यय के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम से पता चला कि 53 प्रकरणों में बचत, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं 37 प्रकरणों में कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं (परिशिष्ट 2.1)। ₹ 84,13.07 करोड़ की कुल बचत के विरुद्ध 15 अनुदानों एवं एक विनियोग से सम्बन्धित 23 प्रकरणों में ₹ 72,20.72 करोड़, (85.83 प्रतिशत)¹ की बचत हुई जैसा कि तालिका 2.2 में प्रदर्शित है।

तालिका 2.2 : ₹ 50 करोड़ एवं उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत
(₹ करोड़ में)						
राजस्व-दत्तमत						
1.	06 - राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	4,32.17	19,68.19	24,00.36	9,33.63	14,66.73
2.	07 - वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	30,30.67	1,56.05	31,86.72	30,70.55	1,16.17
3.	11 - शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	45,32.73	84.14	46,16.87	39,81.39	6,35.48
4.	12 - चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9,41.22	28.14	9,69.36	8,53.25	1,16.11
5.	13 - जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	6,24.23	1,94.24	8,18.47	5,10.22	3,08.25
6.	15 - कल्याण	7,63.60	29.19	7,92.79	6,14.68	1,78.11
7.	17 - कृषि, कार्य एवं शोध	4,08.81	86.66	4,95.47	3,08.54	1,86.93

¹ प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक।

8.	19 - ग्रामीण विकास	4,84.77	7.58	4,92.35	3,13.13	1,79.22
9.	22 - लोक निर्माण	5,80.08	6.35	5,86.43	4,90.78	95.65
10.	25 - खाद्य	2,36.76	16.56	2,53.32	26.77	2,26.55
11.	30 - अनुसूचित जातियों का कल्याण	5,59.47	88.42	6,47.89	4,37.89	2,10.00
12.	31 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	1,61.56	29.93	1,91.49	1,32.50	58.99
राजस्व- भारत						
13.	07 - वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	27,02.85	00	27,02.85	20,56.82	6,46.03
पूँजीगत-दत्तमत						
14.	11 - शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	3,03.32	1,70.31	4,73.63	2,89.08	1,84.55
15.	12 - चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,14.69	16.48	3,31.17	1,43.03	1,88.14
16.	13 - जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	4,63.65	36.00	4,99.65	2,24.57	2,75.08
17.	17 - कृषि, कार्य एवं शोध	7,46.51	1,71.50	9,18.01	2,44.88	6,73.13
18.	19 - ग्रामीण विकास	3,00.39	0.30	3,00.69	2,37.87	62.82
19.	20 - सिंचाई एवं बाढ़	6,58.80	4,42.16	11,00.96	4,91.66	6,09.30
20.	21 - ऊर्जा	5,97.44	22.50	6,19.94	2,94.18	3,25.76
21.	24 - परिवहन	69.90	53.00	1,22.90	27.72	95.18
22.	30 - अनुसूचित जातियों का कल्याण	3,87.21	1,54.04	5,41.25	2,40.31	3,00.94
23.	31 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	86.03	54.36	1,40.39	58.79	81.60
योग		1,93,86.86	38,16.10	2,32,02.96	1,59,82.24	72,20.72

स्रोत : विनियोग लेखे 2013-14

बचत के कारण अगस्त 2014 तक प्राप्त नहीं हुए।

2.3.2 निरन्तर बचत

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, 18 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरन्तर बचत हुई (तालिका 2.3)।

तालिका 2.3: पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरन्तर बचत को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची (₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत की राशि				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व-दत्तमत						
1.	04-न्याय प्रशासन	28.57	29.91	28.05	50.90	36.52
2.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	56.74	29.52	43.94	64.40	14,66.73
3.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	4,18.97	1,06.35	5,80.10	5,49.18	1,16.17
4.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	91.88	1,24.39	1,53.99	1,33.41	1,16.11
5.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	47.75	3,72.80	2,35.77	1,53.22	3,08.25
6.	15-कल्याण	80.43	83.72	1,97.45	1,91.96	1,78.11
7.	16-श्रम एवं रोजगार	5.61	12.08	12.39	36.45	28.70
8.	18-सहकारिता	1.83	4.87	10.30	6.03	8.53
9.	19-ग्राम्य विकास	70.21	75.22	92.71	1,33.00	1,79.22
10.	22-लोक निर्माण	28.64	34.94	35.43	56.85	95.65
11.	23-उद्योग	1.34	5.15	14.47	11.32	20.89

12.	24-परिवहन	5.62	2.52	1.37	5.90	3.22
13.	26-पर्यटन	2.85	2.92	30.66	30.05	13.43
14.	28-पशुपालन	8.49	15.53	4.48	9.04	24.93
पूँजीगत-दत्तमत						
1	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	51.24	8.78	72.43	20.60	40.81
2	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	7.80	60.20	1,66.31	1,22.03	1,84.55
3	15-कल्याण	5.09	13.74	22.03	3.54	6.75
4	23-उद्योग	9.55	11.54	13.35	23.69	28.21

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं हक) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किये गये विनियोग लेखे

सरकार द्वारा 2013-14 में हुए बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2014)। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 में उल्लेख किए जाने के बावजूद भी वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण संख्या में निरन्तर बचत के प्रकरण प्रकाश में आये जो निधियों की आवश्यकता से अधिक निर्धारण का सूचक है। इसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

अनुदान संख्या 13 के अन्तर्गत निरन्तर बचत के लिए चयनित पेय जल विभाग की वर्ष 2011-14 के लिए विस्तृत जाँच के परिणाम की नीचे चर्चा की गयी है।

पेयजल विभाग राज्य में अस्तित्व में नहीं है और सरकार ने उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (यू पी एस वी एन एन) को निदेशालय स्तर का कार्य सौंपा है। पानी की आपूर्ति के लिए कुछ मामलों में यह एक नोडल कार्यालय के रूप में कार्य करता है, जैसे पेय जल आपूर्ति से संबन्धित बजट का संकलन एवं व्यय।

तालिका 2.4 में 2011-14 के दौरान, तीन उपशीर्षों में, ₹ 0.10 करोड़ से ₹ 143 करोड़ के बीच, कुल प्रावधान का 16.67 प्रतिशत से अधिक 100 प्रतिशत तक निरन्तर बचत थी।

तालिका 2.4: अनुदान संख्या 13-पेयजल के अन्तर्गत निरन्तर बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा-शीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	प्रतिशतता
1.	2215 जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01 जलापूर्ति 102 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 97 बाह्य/विश्व बैंक सहायतित	2011-12	1,77.00	1,15.00	62.00	35.03
		2012-13	1,80.00	1,50.00	30.00	16.67
		2013-14	2,56.00	1,13.00	1,43.00	55.86
2.	2215 जलापूर्ति एवं स्वच्छता 01 जलापूर्ति 800 अन्य व्यय 03 पेय जल परामर्श समिति	2011-12	0.25	0.07	0.18	72.00
		2012-13	0.25	0.04	0.21	84.00
		2013-14	0.10	00	0.10	100.00
3.	2215 जलापूर्ति एवं स्वच्छता 02 सीवेज एवं स्वच्छता 106 वायु तथा जल प्रदूषण रोकथाम 05 प्रदूषण मुक्त गंगा/यमुना एवं इसकी सहायक नदियां	2011-12	0.20	00	0.20	100.00
		2012-13	0.20	00	0.20	100.00
		2013-14	0.10	00	0.10	100.00

स्रोत: विभागीय आंकड़े उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम द्वारा तैयार किये गये हैं

व्यापक दृष्टिकोण मोड (स्वैप) जहाँ समुदाय की भागीदारी निहित तथा सलाहाकार समिति का गठन न होना-को बचत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उपशीर्ष '2215-02-106-05' के अन्तर्गत, प्रदूषण मुक्त गंगा/यमुना और उसकी सहायक नदियों के लिए प्रावधान के सापेक्ष 2011-14 में व्यय शून्य था। यह संज्ञान में लाना जरूरी है कि पिछले तीन वर्षों में ₹ 50 लाख गंगा तथा यमुना की सफाई के लिए प्रावधान किये गये थे और धन की उपलब्धता होने के बावजूद इस महत्वपूर्ण गतिविधि पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

2.3.3 व्ययाधिक्य

उत्तराखंड बजट मैनुअल के 13वें अध्याय के प्रस्तर 121 के अनुसार, अनाधिकृत आधिक्य व्यय की वसूली सबसे आपत्तिजनक है और उससे बचा जाना चाहिए। तीन प्रकरणों में, ₹ 28,68.56 करोड़ का समग्र व्यय अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 18,37.15 करोड़ अधिक था और प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था। इसका ब्यौरा परिशिष्ट 2.2 में दिया गया है। इनमें से निम्न अनुदानों/शीर्षों (तालिका 2.5) में पिछले पाँच वर्षों में निरन्तर व्ययाधिक्य देखा गया है।

तालिका 2.5 : वर्ष 2009-14 के दौरान निरन्तर व्ययाधिक्य प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची (₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य की राशि				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पूँजीगत-दत्तमत						
1	25-खाद्य	9,16.31	12,07.14	12,83.25	18,10.59	17,75.56

स्रोत: विनियोग लेखा

भारत सरकार द्वारा उपादान का प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष के अंदर न किये जाने को निरन्तर अधिक्य का कारण बताया गया (जून 2014)। अतः सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्ध हेतु, शीर्षों के अन्तर्गत निधियों की आवश्यकता का निर्धारण अधिक यथार्थवादी होना चाहिए ताकि भविष्य में निरन्तर व्ययाधिक्य की पुनरावृत्ति न हो। इस प्रकार की परिस्थिति में राज्य सरकार को, भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति में देरी की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, उपादान की अनापूर्ति हेतु पर्याप्त आच्छादन उपलब्ध कराया जाना चाहिए था।

2.3.4 बिना प्रावधान के व्यय

बजट नियमावली के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि यह देखा गया कि, बिना मूल आकलन/अनुपूरक माँग में कोई प्रावधान एवं बिना इसके पुनर्विनियोजन आदेश के प्रभाव के एक प्रकरण में ₹ 5 करोड़ का व्यय कर दिया गया, जैसा तालिका 2.6 में वर्णित है।

तालिका 2.6 : वर्ष 2013-14 के दौरान बिना प्रावधान के किये गये व्यय (₹ करोड़ में)

अनुदान की संख्या एवं नाम	बिना प्रावधान के व्यय की राशि
29-उद्यान विकास (पूँजीगत दत्तमत)	5.00

स्रोत: विनियोग लेखा

विभाग ने अपने प्रत्युत्तर (जुलाई 2014) में सूचित किया कि बिना बजट प्रावधान के व्यय नहीं किया गया। राज्य के बजट दस्तावेज के अनुसार खाता शीर्ष 4401 के अन्तर्गत बजट का कोई प्रावधान नहीं था, अतः उत्तर स्वीकार्य नहीं था।

2.3.5 विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय

उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय 13 का प्रस्तर 121 दर्शाता है कि वर्ष की समाप्ति के बाद विनियोग लेखे के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि उसी वर्ष के किसी अनुदान अथवा भारत विनियोग में कुल अन्तिम

विनियोग से अधिक व्यय किया गया है, आधिक्य व्यय सविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) के अनुसार मांगों को विधायिका में प्रस्तुत कर लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए। तथापि ₹ 92,29.25 करोड़ का अधिक व्यय पिछले वर्षों 2005-13 से सम्बन्धित व्यय राज्य विधायिका से अब तक नियमित किया जाना शेष है। वर्षवार नियमितिकरण हेतु आधिक्य धनराशि तालिका 2.7 में सारांशित है।

तालिका 2.7 : विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संख्या		प्रावधान से अधिक व्यय की राशि	विनियमन की स्थिति
	अनुदान/विनियोग	अनुदान/विनियोगों के व्यौरे		
2005-06	7	7,8,17,20,22,25&29	6,63.50	राज्य सरकार द्वारा स्थिति सूचित नहीं की गयी
2006-07	6	7,17,20,22,25& 29	9,35.92	
2007-08	6	7,17,20, 22,25 & 29	7,33.79	
2008-09	6	7,17,20,22,25&29	11,46.41	
2009-10	7	7,17,18,21,22,25&29	10,07.49	
2010-11	9	10,12,15,17,20,21,22,25 & 29	12,95.40	
2011-12	5	7,17,22,25&29	16,11.40	
2012-13	7	12,14,17,21,22,25 & 29	18,35.34	
योग			92,29.25	

स्रोत: विनियोग लेखे महालेखाकार (ले एवं ह) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किये गये

2.3.6 वर्ष 2013-14 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

तालिका 2.8 में वर्ष 2013-14 के दौरान तीन अनुदानों में राज्य की संचित निधि (सी एफ एस) से प्राधिकृत से अधिक व्यय ₹ 18,37.15 करोड़ का सार सम्मिलित है।

तालिका 2.8 : 2013-14 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
पूँजीगत - दत्तमत				
1	22 लोक निर्माण	9,97.91	10,54.50	56.59
2	25 खाद्य	33.50	18,09.06	17,75.56
3	29 उद्यान विकास	00	5.00	5.00
योग		10,31.41	28,68.56	18,37.15

स्रोत: विनियोग लेखा

राज्य सरकार/विभाग द्वारा व्ययाधिक्य के कारणों को अगस्त 2014 तक सूचित नहीं किया गया था। वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक किये गये व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा विनियमित कर लेना चाहिए।

2.3.7 अनावश्यक/अधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 20 प्रकरणों में जिसमें प्रत्येक प्रकरण ₹ 10 लाख या उससे अधिक का था, कुल ₹ 17,45.60 करोड़ प्राप्त किया गया, अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि अनुदान के अन्तर्गत किया गया व्यय मूल प्रावधान की सीमा के अंदर ही था जैसा परिशिष्ट 2.3 में वर्णित किया गया है।

₹ 2,63.71 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान तीन प्रकरणों में अपर्याप्त सिद्ध हुआ, यह कमी प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक थी जिससे ₹ 18,32.15 करोड़ का व्ययाधिक्य अनाच्छादित पड़ा रहा (परिशिष्ट 2.4)।

2.3.8 निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक ही अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ बचतें पूर्वानुमानित हों, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो, को निधियों का स्थानान्तरण है। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अधिक/अपर्याप्त सिद्ध हुआ और परिणामस्वरूप 102 प्रकरणों में ₹ 10 लाख और उससे अधिक बचत/आधिक्य हुआ जैसा कि परिशिष्ट 2.5 में वर्णित है। इस प्रकार पाँच अनुदानों में ₹ 8,63.61 करोड़ (प्रत्येक अनुदान में ₹ 20 करोड़ से अधिक) की बचत हुई जो इस प्रकार थी, अनुदान संख्या 07 - वित्त, कर, योजना, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ में ₹ 46.61 करोड़, अनुदान संख्या 11 - शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति में ₹ 4,26.67² करोड़, अनुदान संख्या 13 - जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास में ₹ 1,99.59 करोड़, अनुदान संख्या 19 - ग्रामीण विकास में ₹ 45.79³ करोड़, अनुदान संख्या 22 - लोक निर्माण में ₹ 1,44.95 करोड़। बचत के कारण सरकार द्वारा अगस्त 2014 तक उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

2.3.9 पर्याप्त अभ्यर्पण

43 उपशीर्षों के सापेक्ष केन्द्रांश का न प्राप्त होना, निधि की वास्तविक आवश्यकता, स्थापना व्यय में बचत और निधि की गैर आवश्यकता में बचतों के कारण विभिन्न मर्दों में पर्याप्त अभ्यर्पण (वे प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित किया गया) हुए। इन 43 उपशीर्षों में ₹ 5,27.42 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 4,31.48 करोड़ (81.81 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें 2 योजनाओं में शत प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ 2.50 करोड़) सम्मिलित है जैसा कि परिशिष्ट 2.6 में विस्तारित है।

2.3.10 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

तीन प्रकरणों में, अभ्यर्पित की गयी राशि (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थी, जो इन विभागों में बजटीय नियन्त्रण की कमी को इंगित करती है। इन प्रकरणों में ₹ 6,46.68 करोड़ की बचत के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 7,14.97 करोड़ थी परिणामस्वरूप ₹ 68.29 करोड़ का अविवेकपूर्ण रूप से अधिक अभ्यर्पण किया गया। विवरण परिशिष्ट 2.7 में दिये गये हैं।

2.3.11 अनुमानित बचत जो अभ्यर्पित नहीं हुई

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय 13 के खण्ड 1 के प्रस्तर 124 यह प्रकट करता है कि प्रत्येक नियन्त्रण अधिकारी को बी एम 2 (भाग 2) के प्रारूप में आधिक्य तथा बचत के अन्तिम विवरण तैयार करने चाहिए जो कि सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से, 25 जनवरी के उपरान्त नहीं, वित्त विभाग तक पहुँच जाना चाहिए। तथापि, वर्ष 2013-14 के अंत में, 10 अनुदान ऐसे थे जिनमें ₹ 5 करोड़ या अधिक की बचत हुई

² ₹ 150.51 करोड़ + ₹ 171.99 करोड़ + ₹ 104.17 करोड़ = ₹ 426.67 करोड़।

³ ₹ 21.28 करोड़ + ₹ 24.51 करोड़ = ₹ 45.79 करोड़।

फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 23,73.76 करोड़ (कुल बचत⁴ का 28.20 प्रतिशत) थी (परिशिष्ट 2.8)।

इसी प्रकार, ₹ 76,88.56 करोड़ की बचत (वे प्रकरण जिसमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक हुई), में से ₹ 13,87.71 करोड़ अभ्यर्पित किया गया था और परिणाम स्वरूप ₹ 63,00.85 करोड़ (कुल बचत का 74.85 प्रतिशत), अभ्यर्पण नहीं हुआ, इसे *परिशिष्ट 2.9* में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त 20 प्रकरणों में (₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों का अभ्यर्पण), ₹ 18,32.68 करोड़ मार्च 2014 के अंतिम कार्य दिवस में अभ्यर्पित किया गया (*परिशिष्ट 2.10*)। यह अभ्यर्पण के अभिप्रेत प्रयोजन की विफलता का परिचायक है क्योंकि यह धनराशि अन्य कार्यों के प्रयोग में नहीं लायी जा सकी।

2.3.12 व्यय की तीव्रता

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय 17 के प्रस्तर 183 यह प्रकट करता है कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय की तीव्रता से बचना चाहिए। उत्तम वित्तीय प्रबन्धन के लिए व्यय की एक समान गति को बनाए रखना चाहिए। इसके विपरीत, *परिशिष्ट 2.11* में सूचीबद्ध 28 मुख्य शीर्षों से सम्बन्धित ₹ 5 करोड़ से अधिक या एक वर्ष में किये जाने वाले कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक के व्यय अन्तिम तिमाही में या मार्च 2014 में किया गया था।

समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013-14 के दौरान इन मुख्य शीर्षों के सापेक्ष कुल व्यय ₹ 28,73.91 करोड़ का 68.40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में व्यय किया गया।

2.3.13 बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (नियम 8) के प्रावधानों के अनुसार, निधियों का आहरण तुरन्त व्यय हेतु केवल आवश्यकता में ही हो सकता है और निवेश अथवा अन्यत्र जमा के लिए सरकारी खाते से निधियों का आहरण वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बजट अनुदान को कालातीत होने से बचाने के लिए, निधियों का आहरण करके लोक खाते अथवा बैंक में जमा करने की प्रवृत्ति निषिद्ध है।

कार्यालय महालेखाकार (ले एवं ह), उत्तराखण्ड से संकलित सूचना में यह पाया गया कि राज्य सरकार के विभागों द्वारा माह मार्च 2014 में ₹ 7,97.62 करोड़ आहरण करके बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए 'जमा शीर्ष'⁵ में जमा किया गया।

मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून की समीक्षा में पाया गया कि जमा लेखे खोलने की प्रक्रिया में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी। इन लेखों में, चार 2010-11 से असंचालित थे जिनमें धनराशि ₹ 4.64 करोड़ अवरूद्ध थी। जमा लेखों की 2011-14 की स्थिति तालिका 2.9 में दिखायी गयी है।

⁴ तालिका 2.1 - कुल बचत ₹ 84,18.10 करोड़ (₹ 23,73.74 करोड़ X 100/₹ 84,18.10 करोड़ = 28.20 प्रतिशत) ।

⁵ 8229 - विकास एवं कल्याण निधि; 8338 - स्थानीय निधि में जमा; 8443 - सिविल डिपोजिट एवं 8448 - स्थानीय निधि में जमा ।

तालिका 2.9: जमा लेखों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

जमा शीर्ष	2011-12		2012-13		2013-14	
	खातो की संख्या	धनराशि	खातो की संख्या	धनराशि	खातो की संख्या	धनराशि
8229-विकास एवं कल्याण निधि	4	84.07	4	36.19	2	0.02
8338-स्थानीय निधि जमा	5	71.92	5	52.10	6	68.37
8443-सिविल जमा	7	94.89	7	8.82	23	178.07
8448-स्थानीय निधि जमा	27	55.61	31	156.02	24	39.22
समग्र अवरुद्ध निधि / स्थानान्तरण	43	3,06.49	47	2,53.13	55	2,85.68

स्रोत: मुख्य कोषाधिकारी देहरादून के अभिलेख

इन लेखों की समीक्षा के दौरान देखा गया कि ₹ 78.70 करोड़, ₹ 62 करोड़ एवं ₹ 79.87 करोड़ क्रमशः 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के अन्त (29 से 31 मार्च) में बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए जमा शीर्ष में जमा किये गये हैं (परिशिष्ट 2.12)।

जिलाधिकारी (जि. अ.) देहरादून के वैयक्तिक खाता लेखा (पी.एल.ए.) की विस्तृत समीक्षा में पाया गया कि बजट का व्यपगत होने से बचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्त में ₹ 41.46 करोड़ '4202-शिक्षा, खेल, कला, एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय' एवं ₹ 26 करोड़, '4216 - आवास पर पूँजीगत परिव्यय' से हस्तान्तरित किये गये जैसा कि तालिका 2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: वित्तीय वर्ष 2013-14 के अन्त में जिलाधिकारी, देहरादून के पी.एल.ए में निधियों का हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

निधि स्थान्तरण की तिथि	कहाँ से स्थानान्तरित (लेखाशीर्ष)	कहाँ को स्थानान्तरित (लेखाशीर्ष जमा)	जमा शीर्ष में धनराशि स्थानान्तरित
29 मार्च 2014	4250-00-800-09	8443-00-800	1.34
30 मार्च 2014	4202-02-105-10	8443-00-800	5.00
	4202-02-105-09	8443-00-800	9.80
	4202-02-105-11	8443-00-800	5.00
	4202-02-105-07	8443-00-800	1.80
	4202-02-105-08	8443-00-800	2.00
31 मार्च 2014	नगदी जमा	8443-00-800	1.00
	नगदी जमा	8443-00-800	25.00
	4202-03-102-18	8443-00-800	12.72
	4202-03-102-01	8443-00-800	1.80
	4202-03-102-20	8443-00-800	2.00
समग्र स्थानान्तरित निधि			67.46

स्रोत: मुख्य कोषाधिकारी देहरादून के अभिलेख

पूँजीगत लेखाशीर्ष से पी.एल.ए. में निधियों के हस्तान्तरण का कारण प्रमुख सचिवों के आवासों की ड्राइंग्स एवं डिजाइन को अन्तिम रूप न दिया जाना और रायपुर, देहरादून में सचिवालय बिल्डिंग के लिए वन भूमि का हस्तान्तरण न किया जाना था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सरकार ने खर्च न की गई निधियों को समर्पित नहीं किया और इसे उत्तराखंड बजट मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत पी.एल.ए. में स्थानान्तरित किया।

2.4 चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम

अनुदान सं. 20-“सिंचाई एवं बाढ़” की प्राप्ति और व्यय की वर्ष 2011-14 अवधि के लिए समीक्षा की गई। मुख्य कमियां जो प्रकाश में आयी उनका संक्षिप्त निम्नलिखित है:

2.4.1 अनुदान सं. 20-सिंचाई एवं बाढ़

(i) मुख्य एवं मध्यम सिंचाई विभाग

2.4.1.1 निधियों का अनावश्यक / आधिक्य अनुपूरक प्रावधान

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय 13 के प्रस्तर 119 के अनुसार यदि वित्तीय वर्ष चल रहा हो, किसी उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराया गया धन अपर्याप्त हो अथवा किसी उद्देश्य या सेवायें जिनके लिये कोई प्रावधान न किया गया हो, पर व्यय किये जाने की आवश्यकता हो, विधानमण्डल द्वारा अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत कराया जा सकता है। वर्ष 2011-13 के दौरान प्राप्त अनुपूरक प्रावधान कुल धनराशि ₹ 87.12 करोड़ तीन प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि विभाग अनुपूरक अनुदान की पूर्ण धनराशि खर्च नहीं कर सका, जैसा तालिका 2.11 में दर्शाया गया।

तालिका 2.11: निधियों का अनावश्यक / आधिक्य अनुपूरक प्रावधान

(₹ लाख में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल	अनुपूरक	विनियोग	समग्र	व्यय	अभ्यर्पित
2702-80-800-03	2011-12	15.71	10.50	00	26.21	14.50	11.71
4711-01-103-01	2011-12	7,00.00	77,01.61	(-)8,02.27	75,99.34	15,51.53	60,47.81
4700-18-800-02	2012-13	00	10,00.00	(+)2,00.00	12,00.00	5,72.00	6,28.00
योग		7,15.71	87,12.11	(-)6,02.27	88,25.55	21,38.03	66,87.52

स्रोत: महालेखाकार (ले एवं ह) उत्तराखण्ड द्वारा निर्मित 2012, 2013, 2014 विनियोग लेखे

अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान का कारण भारत सरकार द्वारा निधियों को अवमुक्त न करना एवं राज्य सरकार द्वारा मार्च माह में अवमुक्त करना था। इस प्रकार, विभाग द्वारा अनुपूरक प्रावधान की माँग अनावश्यक सिद्ध हुयी।

2.4.1.2 निरन्तर बचत

11 प्रकरणों में, कुल प्रावधान की 3.55 से 100 प्रतिशत के बीच निरन्तर बचत हुई, जैसा परिशिष्ट 2.13 में दिया गया है।

निरन्तर बचत का कारण कार्यभारित श्रमिकों का नियमितिकरण, राज्य सरकार द्वारा निधियों को अवमुक्त न करना, भारत सरकार द्वारा निधियों को अवमुक्त न करना, राज्य सरकार द्वारा निधियों को कम अवमुक्त करना एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अन्तिम त्रैमास में निधियों को अवमुक्त करना था।

2.4.1.3 अन्तिम आधिक्य के सापेक्ष समर्पण

तीन प्रकरणों में, अन्तिम आधिक्य ₹ 8.72 करोड़ के होने के बाद भी ₹ 10.95 करोड़ समर्पित किया गया। विवरण तालिका 2.12 में दिया गया है।

तालिका 2.12: अन्तिम आधिक्य के सापेक्ष समर्पण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल	अनुपूरक	अभ्यर्पित	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य
1.	2700-00-001-03	2011-12	19,67.34	--	71.99	18,95.35	19,19.29	23.94
2.	2700-00-001-04	2011-12	1,75,47.81	--	6,10.54	1,69,37.27	1,70,52.06	1,14.79
3.	4700-06-800-02	2011-12	60,43.87	1,50.00/ 3,62.96	1,34.07	64,22.76	65,52.78	1,30.02
		2012-13	50,70.00	30,75.00	2,78.57	78,66.43	84,69.79	6,03.36
योग			3,06,29.02	1,01,44.00	10,95.17	3,31,21.81	3,39,93.92	8,72.11

2.4.1.4 व्यय की अधिकता

व्यय की एक समान गति को बनाए रखना उत्तम सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। 2013-14 के दौरान, यह देखा गया था कि कुल व्यय का 40.34 से 100 प्रतिशत वर्ष के अन्तिम त्रैमास में किया गया जबकि 26.80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत वर्ष अन्तिम माह में किया गया, जो कि परिशिष्ट 2.14 में दिया गया। यह स्पष्ट है कि कुल व्यय ₹ 52.44 करोड़ का 42.39 प्रतिशत केवल मार्च 2014 में एवं 53.77 प्रतिशत व्यय वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में किया गया। विभाग द्वारा ऊपर लिखित व्यय को स्वीकार किया गया और निधियों का मुख्यतः मार्च माह में अवमुक्त होने को कारण बताया गया। वित्तीय नियमों के विपरीत, विभाग द्वारा महत्वपूर्ण व्यय वर्ष के अन्त में किया गया जो कि व्यय पर कमजोर आर्थिक नियंत्रण का प्रतीक है। सुदृढ़ आर्थिक प्रबंधन के लिए व्यय की एकसमान गति आवश्यक है।

(ii) अनुदान सं. 20-लघु सिंचाई विभाग

2.4.1.5 निरन्तर बचत

तीन उपशीर्षों में तालिका 2.13 में दिये गये कुल प्रावधान के 8.39 से 100 प्रतिशत तक की निरन्तर बचत हुयी।

तालिका 2.13 : 2011-14 के दौरान निरन्तर बचत

(₹ लाख में)

क्रम सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	प्रतिशतता
राजस्व - दत्तमत						
1	2702 लघु सिंचाई	2011-12	12.75	11.68	1.07	8.39
	02 भूमिगत जल	2012-13	15.72	2.85	12.87	81.87
	005 जांच	2013-14	18.15	00	18.15	100
2	05 लघु सिंचाई परामर्श समिति	2011-12	26.21	14.50	11.71	44.68
	2702 लघु सिंचाई	2012-13	25.42	13.73	11.69	45.99
	80 सामान्य	2013-14	28.99	13.89	15.10	52.09
3	800 अन्य व्यय	2011-12	1,95,83.26	1,77,57.50	18,25.76	9.32
	03 लघु सिंचाई का विवेकीकरण	2012-13	2,26,03.01	89,14.06	1,36,88.95	60.56
	01 केन्द्र योजना / केन्द्र योजनाएं (90 प्रतिशत केन्द्र सहायतित)	2013-14	4,25,69.01	63,60.66	3,62,08.35	85.06
पूँजीगत - दत्तमत						

स्रोत: विभागीय आंकड़े

बचत के दिये गये कारण जैसे कि अनुमोदित धनराशि तक व्यय, भारी वर्षा के कारण भूमि क्षरण एवं केन्द्रांश का ना प्राप्त या देर से प्राप्त होना था।

2.4.1.6 अन्तिम आधिक्य के बावजूद समर्पण

तीन मामलों में ₹ 1.52 करोड़ के अन्तिम आधिक्य के बावजूद ₹ 21.71 करोड़ का समर्पण किया गया। विवरण तालिका 2.14 में दिया गया है।

तालिका 2.14: अन्तिम आधिक्य के बावजूद समर्पण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल	अनुपूरक	अभ्यर्पण	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य
राजस्व - दत्तमत								
1	2702-02-005-03	2011-12	12,86.06	1,97.50	96.84	13,86.72	13,95.39	8.67
		2012-13	16,59.26	29.50	1,10.71	15,78.05	15,81.18	3.13
2	2702-03-103-03	2011-12	25,50.00	--	1,37.50	24,12.50	24,15.75	3.25
पूँजीगत - दत्तमत								
3	4702-00-800-01	2011-12	1,62,03.00	33,80.25	18,25.75	1,77,57.50	1,78,94.25	1,36.75
योग			2,16,98.32	36,07.25	21,70.80	2,31,34.77	2,32,86.57	1,51.80

2.4.1.7 अनुचित राजस्व उगाही प्रक्रिया

विभाग अपने राजस्व की वसूली सिंचाई कर के माध्यम से करता है जो कि अपर्याप्त पाया गया क्योंकि विभागीय प्राधिकारियों द्वारा राजस्व प्राप्ति का कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया। अपनायी गयी प्रक्रिया के तहत, विभाग द्वारा अपनी सिंचाई कर माँगों को स्थानीय राजस्व कर प्राधिकारियों को अग्रसारित किया जाता है और विभाग राजस्व प्राधिकारियों द्वारा राजस्व प्राप्ति की धनराशि से अवगत नहीं हो पाता। सिंचाई की सम्पत्तियाँ एवं राजस्व माँगें तालिका 2.15 में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 2.15: सिंचाई विभाग की सम्पत्तियाँ एवं राजस्व माँगें

(₹ लाख में)

वर्ष	नहरों की सं.	पम्प नहर	नलकूप	कुल कृषि योग्य क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	सिंचाई कर द्वारा राजस्व धनराशि	अन्य स्रोतों द्वारा राजस्व धनराशि	सकल राजस्व धनराशि
2011-12	2714	155	1118	3.302	2,52.27	8,19.21	10,71.48
2012-13	2735	166	1248	3.338	2,44.91	8,41.77	10,86.68
2013-14	2791	187	1328	3.355	2,26.07	11,06.57	13,32.64

स्रोत: सिंचाई विभाग के अभिलेख

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्व वसूली में घटने की प्रवृत्ति है।

2.5 कोषागार निरीक्षण के परिणाम

राज्य में वर्ष 2013-14 के दौरान 86 इकाईयों अर्थात् 18 कोषागार तथा 66 उपकोषागार, एक साइबर कोषागार देहरादून में और एक वेतन एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली में था। 2013-14 में 53⁶ इकाईयों के निरीक्षण में वृहत अनियमितताएँ पायी गयी जिसे तालिका 2.16 में समाहित किया गया है।

⁶ 20 कोषागार और 33 उपकोषागार।

तालिका 2.16: कोषागारों की जाँच का परिणाम

क्रम संख्या	श्रेणी	राशि (₹ करोड़ में)
1.	असमायोजित ए सी बिल	7.74
2.	सम्बन्धित वित्त वर्ष के बजाय चालू वर्ष में कालातीत चेकों की घटायी गयी धनराशि	0.07
3.	वर्ष 2012-13 में टी डी एस की गैर कटौती	0.18
4.	एक से छः माह के पूर्व-लेखापरीक्षित बीजको का अभुगतान	0.01
5.	त्रुटिपूर्ण गणना के कारण पेन्शन कम्युटेशन का अधिक भुगतान	0.02
6.	सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना व्यपगत पेन्शन का भुगतान	0.04

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा कोषालय पर की गई वार्षिक समीक्षा 2013-14

ए सी बिल के समायोजन, कालातीत चेकों का उचित समायोजन, टी डी एस की कटौती, पूर्व लेखापरीक्षित बिल के भुगतान में नियमितता, पेन्शन कम्युटेशन का आधिक्य भुगतान एवं व्यपगत पेन्शन के भुगतान के सम्बन्ध में कोषागार स्तर से कठोर नियन्त्रण की आवश्यकता है।

2.6 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना एक अग्रदाय के रूप में, उत्तराखण्ड आकस्मिक निधि अधिनियम, 2001 (2001 के अधिनियम सं. 2) के अन्तर्गत की गयी है। इस निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और तात्कालिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने हेतु लेना चाहिए, जिन्हें विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित रखना अवांछनीय होगा। राज्य सरकार ने वर्ष 2013-14 के दौरान आकस्मिकता निधि कोष को ₹ 2,00 करोड़ से, ₹ 7,50 करोड़ से, ₹ 5,50 करोड़ बढ़ाने के लिए फरवरी 2014 में एक अधिसूचना जारी की। तथापि आकस्मिकता निधि में वर्ष के दौरान ₹ 4,00 करोड़ का विनियोग ही किया गया। इस प्रकार आकस्मिकता निधि कोष में वर्ष के दौरान केवल ₹ 4,00 करोड़ की वृद्धि हुयी और वर्ष 2013-14 के अन्त में यह ₹ 6,00 करोड़ पर थी। निधि से अग्रिम आहरण उसी वित्तीय वर्ष में राज्य की संचित निधि से प्रतिपूर्ति किया जाना चाहिए। तथापि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 की धारा 5 (2001 के अधिनियम 2) के अनुसार आवश्यकता के रूप में वर्ष 2013-14 में ₹ 1,94.48 करोड़ अग्रिम आकस्मिकता निधि से आहरण किये गये जो 31 मार्च 2014 (परिशिष्ट 2.15) तक सेवाशीर्ष से आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति किये जाने शेष थे।

आगे जाँच में पाया गया कि सरकार ने आकस्मिकता निधि से वर्ष 2000 से 2013 के दौरान आहरण किया और ₹ 85.14 करोड़ (अगस्त 2014) निधि की प्रतिपूर्ति नहीं हुयी। अनुदानों एवं मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत निधि की वर्षवार प्रतिपूर्ति न हुयी निधियों को, (परिशिष्ट 2.16) में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने पूँजीगत व्यय (₹ 1,06.42 करोड़) जो प्रत्याशित था को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से अग्रिम का आश्रय लिया तथा इस प्रकार कोष के संचालन करने वाले नियमों का उल्लंघन हुआ।

2.7(अ) सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रस्तुतीकरण लम्बित रहना

वित्तीय नियम के अनुसार, प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक सार आकस्मिक बिल (ए सी बिल) में यह सत्यापित करना होता है कि चालू माह की पहली तिथि से पहले के उसके द्वारा आहरित सभी आकस्मिक

प्रभारों के विस्तृत बिल, सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षर हेतु अग्रेषित और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित कर दिये गये हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान, ₹ 1,12.23 करोड़ के ए सी बिलों के विरुद्ध केवल ₹ 1,04.49 करोड़ के विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों (डी सी बिलों) की राशि ही प्राप्त हुई, जिससे मार्च 2014 तक ₹ 7.74 करोड़ के 143 ए सी बिलों का निस्तारण अवशेष पड़ा रहा। वर्षवार विवरण तालिका 2.17 में दिया गया है।

तालिका 2.17: सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रस्तुतीकरण लम्बित रहना (मार्च 2014 के अनुसार)

वर्ष	ए सी बिलों की राशि	डी सी बिलों की राशि	अवशेष ए सी बिल	
			संख्या	राशि
2011-12 तक	1,07.30	1,00.50	66	6.80
2012-13	3.68	3.59	40	0.09
2013-14	1.25	0.40	37	0.85
योग	1,12.23	1,04.49	143	7.74

(₹ करोड़ में)

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

₹ 7.74 करोड़ के कुल बकाये में, ₹ 4.48 करोड़⁷ के आठ बड़े बकाया डी सी बिल चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित थे।

वर्ष 2013-14 तक विभागवार लम्बित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों के मार्च 2014 तक के डी सी बिलों के विलम्बन को दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट 2.17 में दिया गया है।

सार आकस्मिक बिल आहरित किए जाने के बाद लम्बे समय तक विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्रस्तुत न किये जाने से दुर्विनियोजन का जोखिम है और इसलिये इसके सघन अनुश्रवण की आवश्यकता है।

2.7 (ब) असमाधानित व्यय

व्यय को बजट आवंटनों के अन्तर्गत रखने और उनके लेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को सशक्त करने के लिए वित्तीय नियमों में निहित है कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह उनके अभिलेखों में दर्ज व्यय का समाधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों में दर्ज व्यय से किया जाना चाहिए। यद्यपि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से विभाग के आँकड़ों के असमाशोधन को इंगित किया जाता रहा है फिर भी इस सम्बन्ध में नियंत्रण अधिकारियों के पक्ष से चूकें, वर्ष 2013-14 के दौरान भी निरंतर जारी रहीं। लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि आठ नियंत्रण अधिकारियों से सम्बन्धित ₹ 10 करोड़ से अधिक के प्रकरण जिनमें ₹ 22,49.80 करोड़ शामिल हैं, वर्ष 2013-14 के दौरान असमाधानित रहे जो कुल शुद्ध व्यय ₹ 2,31,64.74 करोड़ का 9.71 प्रतिशत थे, जैसा तालिका 2.18 में वर्णित है:

⁷ आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग से ₹ 0.25 लाख की राशि के एक डी सी बिल को छोड़कर।

तालिका 2.18: नियंत्रण अधिकारियों की सूची जहाँ 2013-14 के दौरान प्रत्येक प्रकारण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि पूर्णतः असमाधानित रही

क्रम संख्या	नियंत्रण अधिकारी	राशि जिसका समाधान नहीं किया गया	(₹ करोड़ में)
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड	11.39	
2.	आयुक्त, राहत, राजस्व विभाग	5,99.65	
3.	प्रमुख सचिव, वित्त/ सम्पदा विभाग	8,69.69	
4.	महानिदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क	49.31	
5.	मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग	3,24.56	
6.	सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन	2,64.05	
7.	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी उत्तराखण्ड शासन	17.20	
8.	प्रमुख सचिव, सामाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन	1,13.95	
योग		22,49.80	

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा वी एल सी से संकलित ऑफ़िंड

उपर्युक्त विभागों के मुख्य नियंत्रण अधिकारी को महालेखाकार (ले एवं ह) द्वारा निर्धारित किए गए समाशोधन का कार्य करने में नाकाम रहने के कारणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। हालांकि अब तक (अगस्त 2014) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

गबन तथा निधियों के दुरुपयोग की संभावनाओं के निवारण हेतु सरकार को चाहिए कि संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखाओं के समाशोधन को सुनिश्चित करें।

2.8 बजट प्रक्रिया में त्रुटियाँ

वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रियाओं में पायी गई कमियाँ निम्नानुसार थीं:

- i. क्षेत्र - अ कर राजस्व के नीचे मुख्य शीर्ष 0029, 0039 के नीचे लघुशीर्ष 900 वसूली एवं उपमुख्य शीर्ष 01 पंजीयन शुल्क के नीचे लघुशीर्ष 901 दर्शाये गये हैं; जबकि मुख्य तथा लघुशीर्षों की सूची (खण्ड - I) के अनुसार कर राजस्व क्षेत्र - अ के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक मुख्यशीर्ष, उपमुख्य शीर्ष एवं लघुशीर्ष के नीचे लघुशीर्ष 900 वापसियाँ शीर्ष दर्शाया जाना चाहिए।
- ii. बजट साहित्य खण्ड-V भाग 1 के अंतर्गत मुख्यशीर्ष 3454 के अन्तर्गत लघुशीर्ष 001 निर्देशन एवं प्रशासन को मुख्य एवं लघुशीर्ष की सूची पुस्तिका में प्रावधानित उपमुख्यशीर्ष 01 जनगणना में दर्शाने के बजाये 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी में दर्शाया गया।
- iii. बजट साहित्य में मुख्यशीर्ष 4059 के अन्तर्गत उपमुख्यशीर्ष 60 अन्य अंकित है जबकि मुख्य एवं लघु लेखाशीर्षों की सूची में उक्त मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत उपमुख्य शीर्ष 60 में अन्य भवन का प्राविधान है।
- iv. अनुदान संख्या 22 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष 2059 में, उपमुख्य शीर्ष 80 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 102 को 'मरम्मत एवं अनुरक्षण' के रूप में दर्शाया गया है, जबकि इसे मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार उपमुख्य शीर्ष 80 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 053 के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।
- v. मुख्य शीर्ष 2245 के अन्तर्गत केवल एक उपमुख्य शीर्ष 05 को दर्शाया गया है, जिसके अन्तर्गत लघुशीर्ष 800 के बारे में उपबंध है। जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार दो और उपमुख्य शीर्ष 01- सूखा तथा 02- बाढ़ व चक्रवात हैं।

- vi. मुख्य शीर्ष 4235 में, 'विकलांगों के कल्याण' को लघु शीर्ष 104 के अन्तर्गत उप-लघुशीर्ष 02 में दर्शाया गया है जबकि यह 'वृद्ध, दुर्बल एवं निराश्रितों के कल्याण' के लिए होना चाहिए। मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार 'विकलांगों का कल्याण' को लघुशीर्ष 101 में दिखाना चाहिए।
- vii. अनुदान 17 के मुख्य शीर्ष 2401 लघु शीर्ष 800 अन्य योजनाएँ दर्शायी गयी थी, जबकि लेखाओं के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में 'अन्य व्यय' के रूप में दिखाया जाना चाहिए।
- viii. राजस्व एवं पूँजी लेखों की प्राप्तियों के व्योरेवार अनुमान में मुख्यशीर्ष 1601 - केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जिन योजनाओं हेतु अनुदान दिया जाता है उन योजनाओं में से कई योजनाओं को उक्त मुख्यशीर्ष के अन्तर्गत प्राविधानित नहीं किया गया है।
- ix. बजट साहित्य के अनुसार अनुदान संख्या 30 में मुख्यशीर्ष 2211 के अन्तर्गत लघुशीर्ष 101 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान अंकित है जबकि लेखाओं के मुख्य तथा लघुशीर्षों की सूची में लघुशीर्ष 101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवार्य अंकित हैं
- x. बजट साहित्य में मुख्यशीर्ष 2052 के अन्तर्गत लघुशीर्ष 800 अन्य व्यय अंकित है जबकि मुख्य एवं लघुशीर्ष की सूची में लघुशीर्ष '091 सलग्न कार्यालय' एवं '092 अन्य कार्यालय' ही प्राविधानित है।

इस प्रकार की अनियमितताएँ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2012-13) में भी उल्लेखित थी। हालांकि, सरकार द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया।

2.9 निष्कर्ष

2013-14 के दौरान 3,01,45.69 करोड़ के समग्र अनुदानों एवं विनियोगों के सापेक्ष ₹ 65,80.95 करोड़ की बचत हुयी। तीन अनुदानों में ₹ 18,37.15 करोड़ का आधिक्य था जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमित किये जाने की आवश्यकता है। बड़ी बचतें अनुमान में कमी को इंगित करती हैं। 20 प्रकरणों में ₹ 17,45.60 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। 102 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन तर्कसंगत नहीं था। परिणामस्वरूप या तो यह बचतों में अथवा प्रावधानों पर आधिक्य सिद्ध हुआ। विभागों ने इन निधियों का अन्य विकास उद्देश्यों पर उपयोग की संभावना न छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस को ₹ 18,32.68 करोड़ समर्पित किये। तीन प्रकरणों में ₹ 68.29 करोड़ वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पित किये गये।

आधिक्य व्यय की धनराशि ₹ 92,29.25 करोड़, जो वर्ष 2005-13 से संबन्धित है राज्य विधान मंडल से अभी नियमित कराया जाना था।

राज्य सरकार द्वारा माह मार्च 2014 में अवमुक्त धनराशि ₹ 7,97.62 करोड़ बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए जमा शीर्ष में जमा किये गये। देहरादून कोषागार में चार जमा लेखे जिनमें ₹ 4.64 करोड़ थे, विगत चार वर्षों से असंचालित थे।


17 प्रकरणों में आकस्मिकता निधि से एक महत्वपूर्ण धनराशि ₹ 1,94.48 करोड़ स्वीकृत की गयी थी एवं सम्पूर्ण धनराशि की प्रतिपूर्ति किया जाना शेष था। नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा 31 मार्च 2014 तक ₹ 7.74 करोड़ के आहरित चार आकस्मिकता बिलों के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिकता बिलों को प्रस्तुत नहीं किया गया था (मार्च 2014)।

कोषागारों के निरीक्षण में भी उनकी कार्यप्रणाली में कमियां परिलक्षित हुयी। आठ नियन्त्रण अधिकारियों ने अपने व्ययों को महालेखाकार (ले एवं ह) से मिलान नहीं किया था। वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार के बजट प्रक्रिया में लेखाशीर्षों के वर्गीकरण में अनियमितताएँ देखी गयी।

2.10 संस्तुतियाँ


सरकार यह सुनिश्चित करे कि :

- (i) बचतों का निर्धारण एवं अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए जिससे इसे दूसरे क्षेत्रों / योजनाओं पर प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सके;
- (ii) संक्षिप्त आकस्मिक बिलों पर आहरित अग्रिमों को नियत अवधि के अन्दर समायोजित करने हेतु सख्त अनुश्रवण तन्त्र लागू हो;
- (iii) आकस्मिक निधि से अग्रिम ऐसे व्यय की पूर्ति हेतु किया जाना चाहिए जो कि आकस्मिक प्रवृत्ति के हों एवं आहरित निधियों की समय से प्रतिपूर्ति की जाये; और
- (iv) आधिक्य व्यय का पूर्व नियमितकरण के प्रकरण को लोक लेखा समिति सचिवालय के साथ लिया जाना चाहिए।



अध्याय – 3

वित्तीय प्रतिवेदन



अध्याय - 3

वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचनाओं सहित अच्छी आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, कार्यविधि तथा अनुदेशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसी अनुपालनों की स्थिति पर प्रतिवेदन की समयपरक गुणवत्ता, सुशासन के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अनुपालन एवं नियन्त्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली और क्रियात्मक हो तो, रणनीतिक आयोजना, निर्णयन तथा शेर धारकों के उत्तरदायित्व जैसे प्रबंधात्मक उत्तरदायित्वों की पूर्ति में राज्य सरकार को सहायता पहुँचाते हैं। यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधि एवं अनुदेशों की राज्य सरकार द्वारा की गई अनुपालन की स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

वित्तीय नियमावली में उपबंध है कि विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदत्त अनुदानों के लिए, विभागीय अधिकारियों द्वारा, अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये जाने चाहिए तथा सत्यापन के पश्चात उन्हें अन्यथा विनिर्दिष्ट न होने पर, संस्वीकृति तिथि से 18 माहों के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। मार्च 2014 तक ₹ 399.75 करोड़ की राशि के 427 उपयोगिता प्रमाणपत्र लम्बित थे। इनमें से, ₹ 273.56 करोड़ धनराशि के 200 उपयोगिता प्रमाण पत्र (46.84 प्रतिशत) दो वर्षों से लम्बित थे तथा दो वर्षों से ऊपर के ₹ 126.19 करोड़ धनराशि के 227 उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में अवधि-वार विलम्ब तालिका 3.1 में सारांशित है।

तालिका 3.1: मार्च 2014 को उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अवधि-वार बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्षों की संख्या में विलम्ब की सीमा	लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि
1	0-1	171	237.70
2	1-2	29	35.86
3	दो वर्षों से ऊपर	227	126.19
योग		427	399.75

स्रोत : महालेखाकार (ले एवं ह) उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखे 2013-14

यद्यपि ₹ 291.08 करोड़ के 192 उपयोगिता प्रमाण पत्रों की नियत तिथि अप्रैल 2014 से सितम्बर 2015 के मध्य है। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या प्राप्तकर्ता ने अभीष्ट उद्देश्य पर ही अनुदान का उपयोग किया है, जिस हेतु उनकी स्वीकृति दी गयी थी। इसलिए, प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के शीघ्र प्रस्तुतीकरण हेतु विभागों द्वारा प्रयास किए जाएँ।

3.2 लेखाओं का प्रस्तुत न किया जाना / विलम्ब से प्रस्तुतीकरण

नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा हेतु चिन्हित किये जाने वाले संस्थानों में सरकार / विभागाध्यक्षों को विभिन्न संस्थानों

को प्रतिवर्ष दिये गये आर्थिक सहायता, जिन उद्देश्यों के लिए सहायता दी गयी हो और संस्थान के कुल व्यय का विस्तृत विवरण, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना आवश्यक है। लेखा एवं लेखापरीक्षा नियम 2007 उपलब्ध करते हैं कि सरकार एवं विभागाध्यक्ष जो अनुदान एवं / अथवा ऋण, निकायों एवं प्राधिकारियों को स्वीकृत करते हैं, लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रत्येक वर्ष जुलाई के अन्त तक ऐसे निकायों एवं प्राधिकारियों के जिन्हे पिछले वर्ष ₹ 10 लाख या उससे अधिक अनुदान एवं ऋण प्रदत्त किया हो, (अ) सहायतित धनराशि (ब) उद्देश्य जिनके लिए सहायता दी गयी हो और (स) संस्था प्राधिकारी के कुल व्ययको दर्शाने वाले विवरण प्रस्तुत करेंगे।

यह देखा गया कि पिछले वर्ष ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक अनुदान और / अथवा ऋण प्राप्त संस्था अथवा प्राधिकारियों में से किसी भी विभागाध्यक्ष ने विवरण प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा, स्वीकृत अनुदान की उपयोगिता की प्रवृत्ति, विशेषतः व्यपवर्तन अथवा दुरुपयोग के प्रकरण में, विधायिका / सरकार को आश्वासन नहीं दे सका।

3.3 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

अर्ह-वाणिज्यिक प्रकृति वाले कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षित है कि वे विहित प्रपत्र में वार्षिक रूप से वित्तीय कार्यकलापों के कार्य-चालन परिणाम प्रदर्शित करते हुये प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनके क्रियाकलापों का आकलन कर सके। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के वार्षिक अन्तिमीकृत लेखे, उनकी समग्र वित्तीय स्थिति तथा अपने कारोबार को संचालित करने में कार्य कुशलता को दर्शाते हैं। लेखों को समय पर अन्तिम रूप न दिये जाने के अभाव में, सरकारी निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान मण्डल की संवीक्षा के अन्तर्गत नहीं आ पाते। परिणामतः उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने व कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु यदि कोई सुधारात्मक उपाय अपेक्षित हों तो वे समय पर नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त, सभी तरह के विलम्ब से, व्यवस्था में हर समय धोखाधड़ी व सार्वजनिक धन के साव की सम्भावना बनी रहती है।

सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसे उपक्रम अपने लेखे तैयार करें तथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून को प्रस्तुत करें। मार्च 2014 तक, दो ऐसे उपक्रमों में से एक ने लेखे तैयार नहीं किए थे तथा उनके लेखे वर्ष 2002-03 व उसके बाद से बकाये थे। प्रोफार्मा लेखे तैयार करने के बकाये व सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति परिशिष्ट 3.1 में दी गयी है। लेखे को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से, वित्तीय अनियमितता के जोखिम का पता नहीं लगता, अतः लेखे को तैयार कर लेखापरीक्षा को शीघ्रतम प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

3.4 दुर्विनियोग, हानि, गबन, आदि

लेखापरीक्षा ने मार्च 2014 तक ₹ 1.44 करोड़ की सरकारी राशि के दुर्विनियोग, गबन व चोरी आदि के चार प्रकरण पाए, जिन पर अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार विवरण तथा अवधि-वार विश्लेषण परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है तथा इन मामलों की प्रकृति परिशिष्ट 3.3 में दी गई है। लम्बित मामलों

का अवधि-वार विवरण तथा प्रत्येक संवर्ग में चोरी तथा दुर्विनियोग/हानि के लम्बित मामलों की संख्या को तालिका 3.2 में सारांशित किया गया है।

तालिका 3.2 : 31 मार्च 2014 तक दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि के मामलों की रूपरेखा

लम्बित मामलों का अवधि-वार विवरण			लम्बित मामलों की प्रकृति		
अवधि वर्षों में	मामलों की संख्या	सन्निहित धनराशि (₹ लाख में)	मामलों की प्रकृति / विशिष्टताएँ	मामलों की संख्या	सन्निहित धनराशि (₹ लाख में)
0-1	--	--	--	--	--
1-2	--	--	--	--	--
2-3	02 (2011-12)	109.87	दुर्विनियोग/माल की हानि	02	109.87
3-4	01 (2010-11)	32.84	दुर्विनियोग/माल की हानि	01	32.84
4 एवं अधिक	01 (2008-09)	1.07	दुर्विनियोग/माल की हानि	01	1.07
योग				04	143.78
		--	वर्ष के दौरान हानियों के अपलेखन के मामले	--	--
योग	04	143.78	कुल लम्बित मामले	04	143.78

₹ 143.78 लाख के, दुर्विनियोग/हानि के अन्तिम कार्रवाई हेतु अनिर्णित इन चार मामलों में से ₹ 1.07 लाख का एक अनिर्णित मामला शिक्षा विभाग के पास था जबकि ₹ 142.71 लाख की पर्याप्त राशि के अन्य तीन मामलों को वन विभाग द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना प्रतीक्षित था।

इस प्रकार एक प्रभावपूर्ण पद्धति को दुर्विनियोग, हानि व चोरी के प्रकरणों के शीघ्रतम निस्तारण हेतु स्थापित करने और भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3.5 लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्तियाँ' तथा 'अन्य व्यय' के अधीन बुकिंग

लघु शीर्ष 800 - 'अन्य व्यय' एवं 'अन्य प्राप्तियाँ' का संचालन केवल उस समय किया जाये जब खाते में उचित लघुशीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाये जब यह खाते अपारदर्शी होते हैं। 2013-14 के दौरान, राजस्व लेखों में 37 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत लघुशीर्ष अन्य व्यय के अधीन ₹ 1,516.77 करोड़ की राशि कुल राजस्व व्यय ₹ 16,216.41 करोड़ की 9.35 प्रतिशत रही लेखाओं में 38 मुख्यशीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत लघुशीर्ष अन्य प्राप्तियों के अधीन ₹ 1,535.08 करोड़ की राशि कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 17,320.53 करोड़) की 8.86 प्रतिशत रही। दृष्टान्त जिनमें प्राप्ति और व्यय का पर्याप्त भाग (50 प्रतिशत अथवा अधिक एवं ₹ 10 करोड़ से अधिक) लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियाँ में वर्गीकृत की गयी थी, तालिका 3.3 में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.3: मुख्य शीर्ष - 800 अन्य प्राप्ति/ व्यय के अधीन बुकिंग पर्याप्त धनराशि

(₹ करोड़ में)

"800-अन्य प्राप्ति"				"800-अन्य व्यय"			
मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्ति	मुख्य शीर्ष-800 के अधीन बुकिंग	प्राप्तियों की प्रतिशतता	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	मुख्य शीर्ष-800 के अधीन बुकिंग	व्यय की प्रतिशतता
0023	17.82	17.82	100	2217	68.07	38.99	57.28
0030	686.71	686.19	99.92	2245	670.30	639.74	95.44
0056	16.76	16.76	100				
0075	48.74	31.09	63.79				
0210	44.04	44.04	100				
0406	362.70	362.70	100	2501	76.19	71.60	93.98
0801	121.11	121.11	100				
योग	1,297.88	1,279.71	98.60		814.56	750.33	92.11

स्रोत : महालेखाकार (ले एवं ह), उत्तराखण्ड द्वारा तैयार वित्त लेखे

वित्तीय लेखाओं में मुख्य योजनाओं का अलग से आरेखण नहीं किया है, तथापि इन लेखाओं के विवरण उप-शीर्ष (योजना) स्तर या निम्न में, अनुदानों के विवरणात्मक माँगों में तथा संबन्धित शीर्ष-वार विनियोजित लेखाओं में सरकारी लेखाओं के भाग बनकर आरेखित है। लघु शीर्ष '800'-अन्य प्राप्ति/व्यय के अधीन भारी रकम का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन कार्य में पारदर्शिता/शुद्ध चित्रण को प्रभावित करता है।

3.6 निष्कर्ष

विभागीय अधिकारियों ने 427 उपयोगिता प्रमाण पत्रों को, विशेष उद्देश्यों के लिए दिये गये अनुदानों (₹ 399.75 करोड़) के सापेक्ष महालेखाकार (ले एवं ह), उत्तराखण्ड को मार्च 2014 तक प्रस्तुत नहीं किया। इन प्रमाण पत्रों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि प्राप्तकर्ता ने प्रायोजित उद्देश्यों के लिए अनुदानों का उपयोग किया। पिछले वर्ष ₹ 10 लाख अथवा उससे अधिक अनुदान और / अथवा ऋण प्राप्त संस्था अथवा प्राधिकारियों में से किसी भी विभागाध्यक्ष ने विवरण प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे संस्थान जिनकी नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक से लेखापरीक्षा की जानी थी, समुचित पहचान नहीं की जा सकी।

केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत, व्यय एवं प्राप्ति की लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' एवं '800-अन्य प्राप्ति' में बुक महत्वपूर्ण राशियाँ 2013-14 के वित्त लेखे में, स्पष्ट रूप से नहीं दर्शायी गयी, जिससे वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता प्रभावित हुयी।

3.7 संस्तुतियाँ

सरकार विचार करे कि :

- i. विशेष प्रयोजन हेतु अवमुक्त अनुदानों के संबन्ध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं स्वायत्त संस्थाओं के सम्बन्ध में वार्षिक खाते, समय से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें;
- ii. सभी गबन व दुर्विनियोजन प्रकरणों संबंधी विभागीय जाँच में गति लाएँ तथा इन प्रकरणों को रोकने के लिए सभी संगठनों में आन्तरिक नियंत्रणों का सशक्तिकरण करें; एवं
- iii. लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' तथा '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अधीन मुख्य योजनाओं की प्राप्तियों तथा व्यय को सम्मिलित करने के वित्तीय प्रतिवेदन कार्य में सुधार लाएँ।



(सौरभ नारायण)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

देहरादून

दिनांक: 06 अप्रैल 2015

प्रतिहस्ताक्षरित




(शशि कान्त शर्मा)


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 07 अप्रैल 2015



परिशिष्ट



परिशिष्ट 1
राज्य रूपरेखा
प्रस्तर 1.1
(संदर्भ: राज्य की रूपरेखा ; पृष्ठ 1)

अ. सामान्य आँकड़े*:

क्रम संख्या	विवरण	आँकड़े
1	क्षेत्रफल	53,483 वर्ग किमी
2	जनसंख्या	
	क. 2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख
	ख. 2011 की जनगणना के अनुसार	101.17 लाख
3	क. जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ख. जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत = 29.50 प्रतिशत)	17.80 प्रतिशत
5	क. साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 64.80 प्रतिशत)	71.62 प्रतिशत
	ख. साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 74.04 प्रतिशत)	79.63 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 42 प्रति 1000 जीवित जन्म)	34
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 66.10)	अनुपलब्ध
8	गिनी गुणांक**	
	क. ग्रामीण (अखिल भारतीय = 0.276)	0.231
	ख. शहरी (अखिल भारतीय = 0.371)	0.395
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) 2013-14 चालू मूल्य पर	1,22,433
10	प्रति व्यक्ति जी एस डी पी सी ए जी आर (2004-05 से 2013-14)	17.66 प्रतिशत
11	जी एस डी पी सी ए जी आर (2004-05 से 2013-14)	19.42 प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि (2004-05 से 2013-14)	14.33 प्रतिशत

ब : वित्तीय आँकड़े

सी ए जी आर (2004-05 से 2013-14)			
विवरण		आँकड़े (प्रतिशत में)	
सी ए जी आर		2004-05 से 2012-13	2004-05 से 2013-14
क	राजस्व प्राप्तियों का	18.37	17.41
ख	राजस्व कर का	20.49	19.83
ग	करेतर राजस्व का	14.36	10.23
घ	कुल व्यय	13.72	13.72
ङ	पूँजी व्यय	15.27	14.06
च	सामान्य शिक्षा में राजस्व व्यय	16.44	15.37
छ	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में राजस्व व्यय	19.32	18.35
ज	वेतन	21.67	20.60
झ	पेंशन	18.39	22.07

*सामान्य आँकड़ों का स्रोत: आँकड़ों की पुस्तिका जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के लिए है, योजना आयोग, भारत सरकार - 21 जुलाई 2014 (website <http://planningcommission.gov.in>)

** गिनी गुणांक जनसंख्या में आय की असमानता का माप है। मूल्य दर शून्य से एक है, शून्य के समीप असमानता कम है; एक के समीप असमानता अधिक है।

परिशिष्ट 1.1

प्रस्तर 1.2.1

(संदर्भ: पृष्ठ 1 एवं 7)

भाग अ: सरकारी लेखों का प्रारूप एवं संरचना	
सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।	
भाग- I: समेकित निधि: राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियाँ, ट्रेजरी बिलों के जरिये जुटाए गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि, एक समेकित निधि का गठन करेगी जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।	
भाग- II: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि एक प्रकार का अग्रदाय है, जो अति आवश्यक आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम देने के लिये, विधायिका द्वारा प्राधिकृत होने तक राज्यपाल की स्वेच्छा पर रखा जाता है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के, समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है।	
भाग- III: लोक लेखा: कतिपय लेनदेनों से सम्बन्धित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का अंश नहीं हैं, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं और जिन्हें राज्य विधायिका द्वारा वोट की आवश्यकता नहीं है।	
भाग ब: वित्त लेखे का विन्यास	
विवरण	विन्यास
खण्ड 1	
विवरण संख्या-1	वित्तीय स्थिति का विवरण।
विवरण संख्या-2	प्राप्ति तथा संवितरण का विवरण।
विवरण संख्या-3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण।
विवरण संख्या-4	समेकित निधि से व्यय का विवरण। लेखे पर कार्य एवं प्रकृति टिप्पणी।
परिशिष्ट I	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश।
खण्ड 2	
भाग - I	
विवरण संख्या-5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण।
विवरण संख्या-6	उधारियाँ तथा अन्य दायित्वों का विवरण।
विवरण संख्या-7	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का विवरण।
विवरण संख्या-8	सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदान का विवरण।
विवरण संख्या-9	सरकार द्वारा दिये गये प्रत्याभूति का विवरण।
विवरण संख्या-10	दत्तमत्त तथा प्रभारित व्यय का विवरण।
भाग - II	
विवरण संख्या-11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-12	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-13	लघु शीर्षों द्वारा पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-14	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण।

परिशिष्ट 1.1 क्रमशः

विवरण संख्या-15	उधारियों तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-16	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-17	राजस्व लेखा को छोड़कर व्यय के लिए निधि के स्रोतों तथा उपयोगों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-18	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण।
विवरण संख्या-19	नैमित्तिक निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरण।
भाग - III	
परिशिष्ट	
II	वेतन पर तुलनात्मक व्यय।
III	उपदान पर तुलनात्मक व्यय।
IV	सहायतित अनुदान (योजनावार व संस्थावार)।
V	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ।
VI	योजनागत स्कीम व्यय (केन्द्रीय एवं राज्य आयोजनागत योजनायें)।
VII	राज्य में केन्द्रीय योजना निधियों का कार्यदायी अभिकरणों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण।
VIII	शेषों का सारांश।
IX	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम।
X	अपूर्ण निर्माण कार्य।
XI	वेतन व गैर-वेतन अंश को पृथक्-पृथक् दर्शाते हुए अनुरक्षण व्यय।
XII	नई योजनाओं पर वर्ष के दौरान वृहत नीति निर्णयों के क्रिन्यान्ययन का विवरण।

परिशिष्ट 1.2

भाग अ

(संदर्भ: पृष्ठ 1)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण के लिए अपनाई गई कार्यविधि

एकवर्गीय राजकोषीय समुच्चयों के लिए अनुमानों सहित चयनित राजकोषीय आँकड़ों के लिए तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएँ तथा राज्य सरकारों द्वारा उनके राजकोषीय दायित्व अधिनियम में तथा अन्य विवरणों में, जो अधिनियम के अन्तर्गत विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित है (परिशिष्ट 1.2 का भाग ब), वचनबद्धताएँ/अनुमान, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियों तथा स्वरूपों के गुणात्मक मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह मानते हुए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ), राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य सम्पादन का अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय समुच्चयों जैसे कर एवं करेतर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व और राजकोषीय घाटे को चालू बाजार मूल्यों पर स रा घ उ के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। स रा घ उ द्वारा प्रस्तुत आधार के सन्दर्भ में सम्बन्धित राजकोषीय आँकड़ों हेतु उत्प्लावकता गुणांक यह निर्धारित करने के लिए आगणित किया जाता है कि क्या संसाधनों का जुटाव, व्यय की पद्धति आदि, आधार में परिवर्तन के साथ-साथ चलते हैं अथवा ये राजकोषीय समुच्चय, स रा घ उ के अलावा दूसरे कारकों से भी प्रभावित हैं।

विगत पाँच वर्षों हेतु स रा घ उ की प्रवृत्तियाँ नीचे दर्शाई गई हैं:

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियाँ	2009-10	2010-11	2011-12*	2012-13*	2013-14*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	70,730	83,969	97,858	1,07,868	1,22,433
स रा घ उ की वृद्धि दर	26.25	18.72	16.54	10.23	13.50
स्रोत: मुख्यालय द्वारा प्रदत्त सूचना					

* अनन्तिम आगणन * त्वरित आगणन * अग्रिम आगणना

राजकोषीय क्षमता के आगणन हेतु पद्धति

राज्य सरकार की राजकोषीय क्षमता का आगणन करने के लिए, तेरहवें वित्त आयोग में दी गयी निम्न पद्धति अपनाई गयी।

चरण 1: कुल व्यय- स रा घ उ और पूँ व्यय/वि व्यय/सा से व्यय- कुल व्यय के राष्ट्रीय औसत की गणना करें।

चरण 2: कुल व्यय- स रा घ उ अनुपात के राष्ट्रीय औसत पर आधारित, कुल व्यय की गणना करें जिससे किसी भी राज्य में कुल व्यय- स रा घ उ अनुपात, राष्ट्रीय औसत से कम न हो, अर्थात्, यदि

$$\text{कुल व्यय/स रा घ उ} = X$$

$$\text{कुल व्यय} = X * \text{स रा घ उ} \dots\dots\dots(1)$$

जहाँ X कुल व्यय- स रा घ उ अनुपात का राष्ट्रीय औसत है।

जहाँ कहीं भी राज्यों का कुल व्यय- स रा घ उ अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किये गये थे। जहाँ कहीं भी यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, यह राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

चरण 3: वि व्यय-कु व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय-कुल व्यय के राष्ट्रीय औसत के आधार पर सम्बन्धित वि व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय की गणना करें, जिससे कि किसी भी राज्य में यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम न हों, अर्थात्, यदि

$$\text{वि व्यय/कु व्यय} = Y$$

$$\text{वि व्यय} = Y * \text{कु व्यय} \dots\dots\dots(2)$$

जहाँ Y, वि व्यय-कु व्यय अनुपात का राष्ट्रीय औसत है

(2) में (1) को प्रतिस्थापित करने पर, हम पायेंगे

$$\text{वि व्यय} = Y \cdot X \cdot \text{स रा घ उ} \dots\dots\dots(3)$$

जहाँ कहीं भी राज्यों का वि व्यय-कु व्यय, सा से व्यय-कु व्यय और पूँ व्यय-कु व्यय अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, कोई समायोजन नहीं किया गया। जहाँ यह अनुपात औसत से कम था, इन्हें राष्ट्रीय औसत के बराबर किया गया।

चरण 4: समीकरण (3) के अनुसार आगणित वि व्यय, सा से व्यय और पूँ व्यय के आधार पर, सम्बन्धित प्रति व्यक्ति व्यय की गणना की गयी, अर्थात्

$$\text{प्र व्य वि व्यय} = \text{वि व्यय/ज} \dots\dots\dots(4)$$

जहाँ प्र व्य वि व्यय, प्रति व्यक्ति विकास व्यय है और ज जनसंख्या है।

(4) में (3) को प्रतिस्थापित करने पर, हम पायेंगे

$$\text{प्र व्य वि व्यय} = (Y \cdot X \cdot \text{स रा घ उ})/\text{ज} \dots\dots\dots(5)$$

समीकरण (5), समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय उपलब्ध कराता है। यदि समायोजित प्रति व्यक्ति व्यय, प्रति व्यक्ति व्यय के राष्ट्रीय औसत से कम है, तब राज्य के व्यय का न्यून स्तर राजकोषीय क्षमता में कमी के कारण है। यह, व्यय के वास्तविक स्तर का चित्रण करता है जबकि सभी राज्य सरकारें इन क्षेत्रों को राजकोषीय प्राथमिकता, राष्ट्रीय औसत के बराबर देती हैं।

राजकोषीय समुच्चयों की प्रवृत्तियाँ और पद्धतियों का आकलन करने में प्रयुक्त कुछ चयनित शब्दावलियों की परिभाषा नीचे दी गयी है:

शब्द	गणना के आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
प्राचल (X) की उत्प्लावकता, अन्य प्राचल (Y) के संदर्भ में	प्राचल (X) की वृद्धि दर/प्राचल (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर ओ जी)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की धनराशि/विगत वर्ष की धनराशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवार्य + आर्थिक सेवार्य
राज्य द्वारा अदा किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि} + \text{चालू वर्ष के राजकोषीय दायित्व})/2]*100$
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण भंडार*ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत	$\text{प्राप्त ब्याज} [(\text{प्रारम्भिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतिम शेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम का निवल - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी सी आर)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाया समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय, जिसमें मुख्य शीर्ष 2048- ऋण की परिहार्यता के न्यूनीकरण के लिए विनियोग के अन्तर्गत अभिलेखित व्यय शामिल नहीं है।

परिशिष्ट 1.2

भाग ब

(संदर्भ: प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 2)

राजकोषीय दायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005
(तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप मार्च 2011 में आंशिक संशोधित)

राजकोषीय स्थायित्व और सम्पोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करते हुए राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करके और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण द्वारा विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग तथा राज्य सरकारों के राजकोषीय संचालनों में अधिक पारदर्शिता के माध्यम से सामाजिक और भौतिक अवसंरचना के सुधार और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व और उससे सम्बन्धित अनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विशेष रूप से राज्य सरकार--

- (क) 1 अप्रैल 2011 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर राजस्व घाटा शून्य करेगी;
- (ख) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथासंस्तुत वर्ष 2011-12 व 2012-13 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत व तत्पश्चात् वर्ष 2013-14 व 2014-15 में 3 प्रतिशत रखेगी।
- (ग) 1 अप्रैल 2011 से मार्च 2015 तक के आगामी चार वर्षों में जी एस डी पी की तुलना में राजकोषीय दायित्व का अनुपात 41.10 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 38.50 प्रतिशत व 37.20 प्रतिशत से अधिक न होना सुनिश्चित करेगी;
- (घ) खण्ड (ग) में दिये गये लक्ष्य के संगत रीति से, खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में कमी करेगी;
- (ङ) राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त लक्ष्य प्रत्येक छःमाही में समीक्षित किए जाएँगे।
- (च) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय विद्यमान राज्य सरकार के किसी नियम या विधि या इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या विधि के अधीन नियत सीमा से अधिक किसी धनराशि के लिए प्रत्याभूति नहीं देगी; एवं
- (छ) 1 अप्रैल, 2005 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले दस वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगी कि अंतिम वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुल दायित्व, उस वर्ष के लिए प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो।

मध्यकालिक राजकोषीय नीति के द्वारा राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ के सूचकों का परिणाम

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय सुधार पथ के सूचक	2012-13 (वास्तविक)	2013-14 (बजटीय)	2013-14 (संशोधित)	2014-15 (बजटीय)	2015-16 (प्रक्षेपित)	2016-17 (प्रक्षेपित)	2017-18 (प्रक्षेपित)
ए. राज्य का राजस्व लेखा :							
1. स्वयं का कर राजस्व	6,414.24	7,111.42	7,288.52	8,023.26	9,306.98	10,796.10	12,523.47
2. स्वयं का करेतर राजस्व	1,602.88	1,216.26	1,262.16	1,807.46	1,412.05	1,276.62	1,162.75
3. स्वयं का कर + करेतर राजस्व (1+2)	8,017.12	8,327.68	8,550.69	9,830.72	10,719.03	12,072.72	13,686.22
4. केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में अंश	3,272.88	3,896.39	3,896.39	4,134.00	4,630.08	5,185.69	5,807.97
5.आयोजनागत अनुदान	3,588.57	6,107.07	6,805.74	9,772.19	10,749.41	8,814.75	9,696.22
6.आयोजनेतर अनुदान	868.65	624.58	1,296.62	737.54	737.54	737.54	737.54
7. कुल केन्द्रीय अन्तरण (4 से 6)	7,730.10	10,628.04	11,998.75	14,643.73	16,117.03	14,737.98	16,241.74
8. कुल राजस्व प्राप्तियाँ (3+7)	15,747.22	18,955.72	20,549.44	24,474.45	26,836.06	26,810.69	29,927.96
9.आयोजनागत व्यय	5,511.09	8,710.38	9,784.61	11,677.23	12,844.95	11,119.85	13,343.82
10.आयोजनेतर व्यय	13,751.16	16,619.46	17,214.10	18,676.55	20,917.74	23,427.86	26,942.04
11. वेतन व्यय	6,044.28	7,404.18	7,155.61	8,144.60	9,203.40	10,399.84	11,959.81
12. पेंशन	1,365.68	1,989.55	2,014.55	2,424.48	2,691.17	2,987.20	3,315.79
13. ब्याज भुगतान	2,088.73	2,540.85	2,245.85	2,947.93	3,365.57	3,833.78	4,355.28
14. उपदान-सामान्य	--	--	--	--	--	--	--
15. उपदान-विद्युत	--	--	--	--	--	--	--
16. कुल राजस्व व्यय (9+10)	13,960.22	18,054.20	19,001.05	23,792.03	26,409.15	26,277.20	28,249.44
17. वेतन+ब्याज+पेंशन (11+12+13)	9,498.69	11,934.58	11,416.01	13,517.01	15,260.14	17,220.82	19,630.89
18. राजस्व प्राप्ति प्रतिशत के रूप में (17/8)	60.32	62.96	55.55	55.23	56.86	64.23	65.59

19. राजस्व अधिशेष/घाटा (8-16)	1,787.00	901.52	1,548.39	682.42	426.91	533.49	1,678.52
बी. समेकित राजस्व लेखा :							
समेकित राजस्व अधिशेष/घाटा	1,787.00	901.52	1,548.39	682.42	426.91	533.49	1,678.52
सी. समेकित ऋण:							
1. बकाया ऋण एवं दायित्व	23,519.10	28,498.94	27,104.31	31,051.52	35,691.94	40,894.29	46,688.78
2. कुल अनिस्तारित प्रत्याभूतियाँ	1,570.15	1,570.15	1,474.57	1,474.57	1,474.57	1,474.57	1,474.57
डी. पूँजीगत लेखा:							
1. पूँजीगत परिव्यय	3,542.10	4,874.19	5,266.47	4,591.37	5,142.33	5,810.84	6,973.01
2. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	272.57	248.66	616.41	212.59	50.00	50.00	600.00
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	428.44	684.59	739.59	45.70	125.00	125.00	100.00
4. अन्य पूँजीगत प्राप्तियाँ	2,982.59	3,536.74	3,594.90	4,075.84	4,640.42	5,202.34	5,794.49
ई. सकल राजकोषीय घाटा (जी एफ डी):	1,599.23	3,536.74	3,594.90	4,075.84	4,640.42	5,202.34	5,794.49
चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,08,343.39	1,21,994.70	1,21,994.70	1,37,366.00	1,54,674.10	1,74,163.00	1,96,107.60
एफ. राजकोषीय घाटा :							
वास्तविक/मान ली गई नगण्य वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.06	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60	12.60
* इसमें भविष्य निधि की धनराशि समाहित है							

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: प्रस्तर 1.3, 1.9.2 एवं 1.10 (ii) ; पृष्ठ 10, 27 एवं 32)

राज्य सरकार के वित्त के समयबद्ध आँकड़े

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग अ. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	9,486	11,608	13,691	15,747	17,321
(i) कर राजस्व	3,559(38)	4,405(38)	5,616(41)	6,414(41)	7,356(42)
कृषि आय पर कर	--	--	--	--	--
विक्री, व्यापार आदि पर कर	2,247(63)	2,940(67)	3,644(65)	4,289(67)	4,903(67)
राज्य आबकारी	705(20)	756(17)	844(15)	1,118(17)	1,269(17)
वाहनों पर कर	184(5)	227(5)	335(6)	304(5)	369(5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	399(11)	440(10)	524(9)	648(10)	687(10)
भू-राजस्व	9(0.25)	18(0.41)	10(--)	11(--)	22(--)
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	--	--
अन्य कर	15(0.42)	24(0.54)	259(5)	44(1)	106(1)
(ii) करेतर राजस्व	632(7)	678(6)	1,136(8)	1,603(10)	1,317(8)
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	1,550(16)	2,460(21)	2,866(21)	3,273(21)	3,573(21)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	3,745(39)	4,065(35)	4,073(30)	4,457(28)	5,075(29)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	--	--	--	180
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	65	85	91	428	55
4. कुल राजस्व एवं ऋणेतर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	9,551	11,693	13,782	16,175	17,556
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	1,682	2,427	2,336	2,968	3,873
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	1,582(94)	2,384(98)	2,289(98)	2,933(99)	3,838(99)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	69(4)	--	--	--	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	319(2)	43(2)	47(2)	35(1)	35(1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	11,233	14,120	16,118	19,143	21,429
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	37	582	126	32	412
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	14,226	18,829	19,668	21,925	25,954
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	25,496	33,531	35,912	41,100	47,795
भाग ब. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	10,657	11,621	12,975	13,960	16,216
आयोजनागत	2,299(22)	2,472(21)	2,321(18)	2,427(17)	2,767(17)
आयोजनेतर	8,358(78)	9,149(79)	10,654(82)	11,533(83)	13,449(83)
सामान्य सेवायें (व्याज भुगतानों सहित)	3,694(35)	4,180(36)	4,475(35)	5,372(38)	6,182(38)

सामाजिक सेवायें	4,980(47)	5,169(44)	6,019(46)	6,096(44)	7,298(45)
आर्थिक सेवायें	1,658(16)	1,864(16)	2,102(16)	1,995(14)	2,068(13)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	325(3)	408(4)	379(3)	497(4)	668(4)
11. पूँजीगत व्यय	1,647	1,855	2,317	3,542	3,712
आयोजनागत	995(60)	1,859(100)	2,071(89)	2,972(84)	3,138(85)
आयोजनेतर	651(40)	(-)4	246(11)	570(16)	574(15)
सामान्य सेवायें	109(7)	105(5)	77(3)	129(4)	138(4)
सामाजिक सेवायें	109(7)	235(13)	369(16)	715(20)	841(22)
आर्थिक सेवायें	1,429(87)	1,515(82)	1,871(81)	2,698(76)	2,733(74)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	30	60	247	273	278
13. योग (10+11+12)	12,334	13,536	15,539	17,775	20,206
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	473	519	1,016	1,472	1,317
आन्तरिक ऋण (अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	437	448	667	1,412	1,266
अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	45	323	31	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	36	26	26	29	51
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	515	(-) 400	--	400
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	12,807	14,570	16,155	19,247	21,923
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	71	537	69	32	194
18. लोक लेखा संवितरण	12,322	17,733	19,832	20,961	25,190
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	25,200	32,840	36,056	40,240	47,307
भाग स. घाटा आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)(1-10)	(-)1,171	(-) 13	(+)716	(+)1,787	(+)1,105
21. राजकोषीय घाटा (4-13)	2,783	1,843	1,757	1,600	2,650
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(-)1,445	(-) 363	(+) 12	(+)489	(-)594
भाग द. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1,338	1,480	1,769	2,089	2,056
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	324	408	379	497	668
25. अर्थापय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)	107/09	93	73	2	16
26. अर्थापय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	2	1	0.88	0.01	0.09
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) [®]	70,730	83,969	97,858	1,07,868	1,22,433
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)	18,748	21,598	23,609	25,540	28,767
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	1,511	1,511	1,739	1,570	1,475
30. प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)	1,386	2,122	2,722	2,722	2,513
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)	140	89	63	192	96
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	2,081	63	121.80	95	266

भाग य. राजकोषीय सुदृढता-सूचक					
I संसाधन का जुटाव					
स्वयं का कर राजस्व/स रा घ उ	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
स्वयं का करेतर राजस्व /स रा घ उ	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
केन्द्रीय अन्तरण/स रा घ उ	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/स रा घ उ	0.17	0.16	0.16	0.16	0.17
कुल व्यय /राजस्व प्राप्तियाँ	1.30	1.17	1.13	1.13	1.17
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	0.86	0.86	0.83	0.79	0.80
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.41	0.40	0.41	0.40	0.40
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.25	0.25	0.26	0.26	0.24
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.13	0.14	0.15	0.20	0.18
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.12	0.13	0.14	0.19	0.18
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स रा घ उ	(-) 0.017	(-)*	(+) 0.007	(+) 0.016	(+) 0.009
राजकोषीय घाटा/स रा घ उ	(-) 0.039	(-) 0.022	(-) 0.018	(-) 0.014	(-) 0.022
प्राथमिक घाटा (अधिशेष) /स रा घ उ	(-) 0.020	(-) 0.004	(+)*	(+) 0.004	(-) 0.005
राजस्व घाटा / राजकोषीय घाटा	(-) 0.420	(-) 0.007	(+) 0.408	(-) 1.117	(-) 0.417
प्राथमिक राजस्व शेष/स रा घ उ	(-) 0.036	(-) 0.018	0.010	0.002	(-) 0.007
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/स रा घ उ	0.27	0.26	0.24	0.22	0.23
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	1.98	1.86	1.72	1.62	1.66
मानात्मक विस्तार के सापेक्ष प्राथमिक घाटा	(+)2,083	(+)1,592	(+)1,811	(+)2,164	(+) 1,112
ऋण पुनर्भुगतान (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियाँ	0.95	0.83	0.94	1.00	0.82
V अन्य राजकोषीय सुदृढता सूचक					
निवेश का प्रतिफल	0.07	0.21	0.05	0.19	0.30
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	(-) 1,384	(-) 46	(-)250	(+)775	(-) 223
वित्तीय परिसम्पतियाँ/दायित्व	0.82	0.77	0.82	0.90	0.96

कोष्ठकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

@ सरकार द्वारा सूचित स रा घ उ के आँकड़े ग्रहण किये गये हैं।

* संगणन योग्य नहीं।

परिशिष्ट 1.4
(संदर्भ: प्रस्तर 1.1.1, एवं 1.9.2; पृष्ठ 2 एवं 27)
भाग अ
वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)					(₹ करोड़ में)					
प्राप्तियाँ					संवितरण					
विविध मद	2012-13		2013-14		विविध मद	2012-13	2013-14			
	2.	3.	4.	5.			आयोजनेतर	आयोजनागत	योग	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
खण्ड-अ राजस्व										
I- राजस्व प्राप्तियाँ		15,747.22		17,320.53	I-राजस्व व्यय	13,960.22	13,449.44	2,766.97	16,216.41	16,216.41
(i) कर राजस्व	6,414.24		7,355.34		सामान्य सेवायें	5,372.23	6,178.37	3.67	6,182.04	
(ii) करेतर राजस्व	1,602.88		1,316.54		सामाजिक सेवायें	6,095.84	5,074.62	2,223.39	7,298.01	
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	3,272.88		3,573.38		शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	3,739.78	3,472.02	595.52	4,067.53	
(iv) आयोजनेतर अनुदान	868.64		980.77		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	805.47	587.92	311.31	899.23	
(v) राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	3,040.12		3,558.07		जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	508.63	228.17	319.41	547.58	
(vi) केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	548.46		536.43		सूचना एवं प्रसारण	41.49	47.33	0.98	48.31	
					अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	205.28	93.73	158.14	251.87	
		--			श्रम तथा श्रमिक कल्याण	70.62	72.33	25.72	98.05	
					समाज कल्याण एवं पोषण	680.70	561.66	785.10	1,346.76	
					अन्य	43.87	11.46	27.21	38.67	
					आर्थिक सेवायें	1,995.29	1,528.04	539.91	2,067.95	
					कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	1,058.06	753.62	259.80	1,013.41	
					ग्राम्य विकास	284.96	204.56	151.96	356.52	
					विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--	--	

				सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	308.88	316.42	2.88	319.30	
				ऊर्जा	13.90	3.68	3.69	7.37	
				उद्योग एवं खनिज	43.43	29.37	25.01	54.39	
				परिवहन	209.88	190.88	33.72	224.59	
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	9.15	0.85	7.68	8.53	
				सामान्य आर्थिक सेवायें	67.03	28.67	55.17	83.84	
				सहायता अनुदान एवं अंशदान	496.86	668.41	--	668.41	
योग		15,747.22	17,320.53	योग	13,960.22			16,216.41	
II- राजस्व घाटा खण्ड-ब को अन्तरित		--	--	II- राजस्व अधिशेष खण्ड-ब को अन्तरित	1,787.00				1,104.12
योग		15,747.22	17,320.53	योग	15,747.22				17,320.53
III- स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारम्भिक रोकड़ अवशेष		1,085.18	1945.54	III- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट	--				--
IV - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	180.40	IV - पूँजीगत परिच्यय	3,542.09	573.76	3,138.27	3,712.03	3,712.03
				सामान्य सेवायें	129.37	37.49	100.41	137.90	
				सामाजिक सेवायें	714.82	0.15	840.66	840.81	
				शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	246.82	--	306.96	306.96	
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	139.31	--	148.02	148.02	
				जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास तथा शहरी विकास	268.11	--	282.84	282.84	
				सूचना एवं प्रसारण	--	--	--	--	
				अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	37.35	0.15	78.28	78.43	
				सामाजिक कल्याण एवं पोषण	5.98	--	14.15	14.15	
				अन्य	17.25	--	10.41	10.41	

				आर्थिक सेवायें	2,697.90	536.12	2,197.20	2,733.32
				कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया-कलाप	541.97	531.87	66.21	598.08
				ग्राम्य विकास	246.73	1.76	324.20	325.97
				विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--	--
				सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	386.85	2.48	457.60	460.08
				ऊर्जा	516.12	--	255.62	255.62
				उद्योग एवं खनिज	16.86	--	9.36	9.36
				परिवहन	969.14	--	1,051.80	1,051.80
				सामान्य आर्थिक सेवायें	20.23	--	32.41	32.41
				योग	3,542.09			3,712.03
V- ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ		428.44	55.23	V- संवितरित ऋण एवं अग्रिम	272.57	1.76	276.23	277.99
विद्युत परियोजनाओं से	422.16		47.26	विद्युत परियोजनाओं के लिए	84.35	--	52.53	52.53
सरकारी कर्मचारियों से	4.49		3.60	सरकारी कर्मचारियों को	1.03	1.27	--	1.27
अन्य से	1.79		4.37	अन्य को	187.19	0.49	223.70	224.19
VI- राजस्व अधिशेष नीचे लाया गया	--	1,787.00	1,104.12	VI- राजस्व घाटा नीचे लाया गया	--	--	--	--
VII- लोक ऋण प्राप्तियाँ		2,967.43	3,873.17	VII- लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,472.21			1,316.81
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	2,932.72		3,838.21	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आन्तरिक ऋण	1,412.90			1,265.51
ओवरड्राफ्ट सहित अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-		--	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	30.69	--	--	--
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	34.71		34.96	केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	28.62			51.30

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोग	--			VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोग	---			400
IX - आकस्मिकता निधि में अन्तरित राशि		32.22		IX - आकस्मिकता निधि से व्यय		32.07		194.48
X - लोक लेखा प्राप्तियाँ		21,925.45		X -लोक लेखा संवितरण		20,961.24		25,190.33
लघु बचत एवं भविष्य निधि	1,159.18		1,313.17	लघु बचत एवं भविष्य निधि	888.06		990.73	
आरक्षित निधियाँ	279.72		468.31	आरक्षित निधियाँ	183.09		472.24	
जमा एवं अग्रिम	2,359.47		3,086.84	जमा एवं अग्रिम	2,140.68		2,735.10	
उचंत एवं विविध	15,010.04		16,269.57	उचंत एवं विविध	14,531.10		16,492.77	
प्रेषण	3,117.04		4,816.69	प्रेषण	3,218.31		4,499.49	
XI- भारतीय रिजर्व बैंक से अन्तिम ओवर ड्राफ्ट				XI-अन्त में रोकड़ शेष	1,945.54			2,433.41
				कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--		--	
				स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	(-) 3.02		(-)3.02	
				रिजर्व बैंक में जमा	(-)5.21		558.31	
				रोकड़ शेष का निवेश व नैमित्तिक निधि के निवेश	1,953.77		1,878.12	
योग		28,225.72	33,525.05	योग	28,225.72			33,525.05

परिशिष्ट 1.4 (क्रमशः)

भाग ब

(संदर्भ: प्रस्तर 1.9.1 ; पृष्ठ 27)

31 मार्च 2014 को उत्तराखण्ड सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31.03.2013 को	दायित्व	31.03.2014 को
18,337.22	आन्तरिक ऋण	20,909.92
9,194.32	ब्याज वहन करने वाले बाजार ऋण	10,930.44
0.13	ब्याज वहन न करने वाले बाजार ऋण	0.12
1.50	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	1.50
9,141.27	अन्य संस्थाओं से ऋण	9,977.86
--	अर्थोपाय अग्रिम	--
--	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	--
461.54	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	445.20
0.53	1984-85 से पहले के ऋण	0.53
6.65	आयोजनेतर ऋण	5.97
430.19	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	438.70
0.04	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	--
24.13	केन्द्रीय पुरोनिधानित आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	--
200.00	आकस्मिकता निधि (संग्रह)	600.00
4,720.34	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	5,042.79
1,871.49	जमा	2,223.22
1,228.09	आरक्षित निधियाँ	1,224.16
--	प्रेषण शेष	--
26,818.68	योग	30,445.29

परिवर्तित प्रारूप*

परिशिष्ट 1.4 भाग ब (क्रमशः)

31.03.2013 को	परिसम्पत्तियाँ	31.03.2014 को
21,121.97	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	23,834.00
2,396.90	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	2,676.51
17,725.07	अन्य पूँजीगत परिव्यय	21,157.49
718.21	ऋण एवं अग्रिम	940.97
76.86	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	82.12
629.70	अन्य विकास ऋण	866.68
11.65	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	(-) 7.83
97.15	आकस्मिकता निधि को विनियोग	279.63
1,441.73	प्रेषण	1,124.53
359.41	उचंत एवं विविध शेष	377.57
1,945.54	रोकड़	2,433.41
--	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	--
(-)5.21	रिजर्व बैंक में जमा	558.31
(-)2.15	विभागीय रोकड़ शेष सहित	(-) 2.15
(-)0.87	स्थायी अग्रिम	(-) 0.87
1,953.77	रोकड़ शेष निवेश	1,878.12
2,134.67	सरकारी लेखों में घाटा	1,455.18
1,787.00	i. चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य को घटायें	1,104.12
--	ii. आकस्मिकता निधि में विनियोजन एवं विविध पूँजीगत प्राप्ति	(-) 219.60
--	iii. सरकारी खाते में समाहित धनराशि	(-) 205.03
4,546.67	iv. वर्ष के प्रारम्भ में संचित घाटा	2,134.67
740.00	v. प्रोफार्मा सुधार घटाया	--
26,818.68	योग	30,445.29

*परिवर्तित प्रारूप

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्वोक्त विवरण पत्रों में दर्शाये गये संक्षिप्त लेखे को वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़ना होगा। **परिशिष्ट 1.4** में यथादर्शित सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर होने के कारण, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर होने की स्थिति को इंगित करता है। परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मदें या मूल्य ह्रास अथवा भण्डार के आँकड़ों में भिन्नता इत्यादि जैसी मदें लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं। उचंत तथा विविध अवशेषों में, जारी परन्तु भुगतान नहीं किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन आदि सम्मिलित हैं। "रिजर्व बैंक में जमा" के अन्तर्गत लेखों में प्रदर्शित एवं रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए आँकड़ों के मध्य ₹ 3.33 करोड़ (क्रेडिट) का अन्तर था जिसका मिलान किया जा रहा है।

- * कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं ह.) द्वारा वर्ष 2012-13 से सम्बन्धित वित्त लेखे 2013-14 में राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड देहरादून की प्राप्ति के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को संशोधित करने हेतु "पूँजीगत मुख्य लेखाशीर्ष 4885-01-190" में सुधार किया। (भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के पत्र सं. 143/67/UK/Acc 2/SIDCUL/2010 दिनांक 02-04-2014 के अनुसार)

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भ: प्रस्तर 1.2.2; पृष्ठ 9)

2013-14 के दौरान राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों को कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत राज्य बजट से बाहर अन्तरित निधियों को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	अभिकरण का नाम / अभिकरण का प्रकार	अवमुक्त राशि
1	महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारण्टी संस्था, राज्य सरकार संस्थान	330.01
2	सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)	उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद (सरकारी समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	220.43
3	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम)	उत्तराखण्ड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति(टी बी सी) (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	191.12
4	भारतीय तकनीकी संस्थान को सहायता	आई आई टी रुड़की, उत्तराखण्ड, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	150.00
5	वन तथा वन्य जीव संस्थानों को सहायता अनुदान	एफ आर आई (भारतीय वन संस्थान), आई सी एफ आर ई (सरकारी समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	138.46
6	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	एस डब्लू एस एम, उत्तराखण्ड (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	87.61
7	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए)	उत्तराखण्ड सभी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	75.72
8	ग्रामीण आवास (आई ए वाई)	जिला ग्रामीण विकास समिति, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	64.05
9	स्वायत्त संस्थायें एवं पेशेवर निकाय	आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान परीक्षण विज्ञान (ए आर आई ई एस), वाडिया संस्थान हिमालयन पुरातत्व (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	58.89
10	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान, ऋषिकेश (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	51.75
11	नए आई आई एम की स्थापना	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	40.44
12	विशेष श्रेणी राज्यो (पूर्वोत्तर से भिन्न) के लिए विशेष सहायता	सिडकुल, राज्य सरकार पी एस यू ज	38.17
13	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों की सहायता (एन आई टी एस) चौधरी घनी खान संस्थान को शामिल करते हुए	राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, उत्तराखण्ड, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	37.00
14	संसद सदस्य की स्थानीय क्षेत्र विकास की योजना	जिलाधिकारी स्थानीय निकाय	35.00
15	ऑफ ग्रिड डी आर पी एस	उत्तराखण्ड ऊर्जा नवीनीकरण विकास समिति, गौतम पॉलिमर्स, आई आई टी, रुड़की बहल पेपर मिल, ऋषि केमिकल वर्क्स (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय और निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ	34.37
16	डेस्टिनेशन एवं सर्किट का उत्पाद / संरचना	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड, वैधानिक संस्था	28.04
17	पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान (पी वाई के के ए)	राज्य युवा कल्याण परिषद उत्तराखण्ड, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	24.04

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

18	राष्ट्रीय विकलांग संस्थान	एन आई वी एच, उत्तराखण्ड (पंजीकृत समिति)	19.80
19	अवसंरचना विकास के लिए योजना एफ पी आई	राज्यश्री दुग्ध उत्पाद, पतंजलि खाद्य एवं हर्बल पार्क, निजी क्षेत्र की कम्पनियों	17.26
20	वयस्क शिक्षा एवं दक्षता विकास योजना	राज्य साक्षरता अभियान प्राधिकरण पंजीकृत समितियाँ (गैर सरकारी संस्थान)	15.63
21	संरक्षण एवं विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास	वन अनुसंधान संस्थान, जी बी पंत संस्थान हिमालयन, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय एवं राज्य सरकार संस्थान	14.77
22	एस टी डी नियंत्रण को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	14.06
23	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान	लघु किसान कृषि व्यापार संघ (एस एफ ए सी), (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	13.46
24	अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास	आई आई टी रुड़की, सी एस आई आर, यूनीवर्सिटी आफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय और संवैधानिक निकाय	12.17
25	जल विद्युत परियोजनायें	जल विद्युत राजकीय संस्थान, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	11.50
26	एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम	डी आर डी ए (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	10.32
27	अनुसंधान एवं विकास जल स्रोत	राष्ट्रीय विद्युत जल संस्थान, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	9.90
28	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए परिदृश्य समिति विभाग	एम्स ऋषिकेश, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	8.00
29	डी आर डी ए प्रशासन	डी आर डी ए, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय	7.96
30	आजीविका स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	राज्य पी एम यू - एन आर एल एम (पंजीकृत समितियाँ) सरकारी स्वायत्त निकाय	7.76
31	राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार संस्थान	6.84
32	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई)	राज्य शहरी विकास संस्थान, उत्तराखण्ड, पंजीकृत समितियाँ (सरकारी स्वायत्त निकाय)	6.54
33	एस एण्ड टी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	सी वी आर आई, आई आई टी रुड़की, आई आई पी (सी एस आई आर), ए आर आई ई एस, डब्लू.आई.एच.जी, कुमाऊँ विश्वविद्यालय इत्यादि (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त निकाय और संवैधानिक निकाय	6.23
34	खरीद / फिटिंग के लिए विकलांगों को सहायता	दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति पंजीकृत समितियाँ, सरकारी स्वायत्त संस्थान और गैर सरकारी संस्थान	6.03
35	वनीकरण एवं वन प्रबन्ध	उत्तराखण्ड राज्य वन विकास एजेन्सी, (पंजीकृत समिति) सरकारी स्वायत्त संस्थान	6.01
36	अन्य		103.31
योग			1,902.65

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ: प्रस्तर 1.8.3.1; पृष्ठ 24)

पूर्ण लोक निजी सहभागिता परियोजनाओं की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	संस्था / विभाग	लागत	खण्ड
1	चलित अस्पताल इकाई का परिचालन एवं अनुरक्षण	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	23.40	सामाजिक
2	दून अस्पताल में एम आर आई मशीन का परिचालन एवं अनुरक्षण	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	5.00	सामाजिक
3	कोरोनेशन अस्पताल देहरादून में नैफ्रोलॉजी डायलिसिस इकाई	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	5.40	सामाजिक
4	कोरोनेशन अस्पताल देहरादून में कार्डिक केयर इकाई	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	17.67	सामाजिक
5	बेस अस्पताल हल्द्वानी में नेफ्रोलॉजी डायलिसिस इकाई	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	5.40	सामाजिक
6	108 आकस्मिक सेवा	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	11.00	सामाजिक
7	पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग, हरिद्वार	यू टी डी बी / पर्यटन	--	पर्यटन
8	आई एस बी टी	एम डी डी ए / आवास	20.00	परिवहन
योग			87.87	

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: प्रस्तर 1.8.3.1; पृष्ठ 24)

निविदाधीन लो नि स परियोजनाओं की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	खण्ड	विभाग	संस्था	लागत
1	गौ अनुसंधान केन्द्र (गौ विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी संस्थान)	कृषि	पशुपालन	यू एल डी बी	7.26
2	चीनी मिलों में ऊर्जा का सहउत्पादन	कृषि	गन्ना विकास	--	60.00
3	खो-III- एस एच पी	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	34.19
4	खो-II- एस एच पी	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	34.85
5	सेराघाट एस एच पी	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	116.86
6	बीरथी	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	9.19
7	बालगढ़ एस एच पी	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	145.40
8	पूरकुल एस एच पी	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	12.98
9	नयर एस एच पी और शान्तुधर- II	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	173.98
10	शान्तुधर- I	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	20.17
11	बयाली गाँव	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे बी एन एल / यू आई पी	22.95
12	संयुक्त अस्पताल रुड़की में कार्डक केयर इकाई	सामाजिक	स्वास्थ्य	निदेशालय	3.50
13	मानसिक विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास	सामाजिक	समाज कल्याण	समाज कल्याण	2.00
14	कार्यकारी महिलाओं के लिए छात्रावास	सामाजिक	आई सी डी एस	आई सी डी एस	--
15	विद्यालय हेतु शिक्षा एवं परीक्षण केन्द्र	सामाजिक	विद्यालयी शिक्षा	निदेशालय	0.40
16	कोटद्वार डायग्नोस्टिक केन्द्र	सामाजिक	स्वास्थ्य	निदेशालय	12.00
17	पिथौरागढ़ डायग्नोस्टिक केन्द्र	सामाजिक	स्वास्थ्य	निदेशालय	12.00
18	आवासीय विद्यालय हेतु ग्रीनफील्ड योजना	सामाजिक	विद्यालयी शिक्षा	निदेशालय	73.75
19	पाँच सौ विद्यालयों में आई.सी.टी.	सामाजिक	विद्यालयी शिक्षा	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	76.00
20	प्राथमिक विद्यालय	सामाजिक	विद्यालयी शिक्षा	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	1.00
21	जिला / बेस / संयुक्त अस्पताल में पी पी पी	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	--
22	सचल चिकित्सा वाहन का बी ओ टी (रोल आउट फेस) आधार पर संचालन	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	72.00
23	कोरोनेशन अस्पताल में फिजियोथैरेपी इकाई	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	0.16
24	प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की उपस्थिति का अनुश्रवण	सामाजिक	विद्यालयी शिक्षा	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	13.60

25	गौरीगाँव के रास्ते केदारनाथ यात्रा को स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	--
26	उत्तराखण्ड में 104: टेली ट्रॉयज एवं टेली मेडिसिन की स्थापना	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	--
27	उफराइनखाल में स्नातक महाविद्यालय की स्थापना	सामाजिक	उच्च शिक्षा	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	--
28	खाम गार्डन कॉम्प्लेक्स, हल्द्वानी में रेखां शॉपिंग मॉल / शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का विकास	पर्यटन	पर्यटन	के एम बी एन	0.35
29	दिल्ली राजमार्ग, रुद्रपुर में रेखां शॉपिंग मॉल / शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का विकास	पर्यटन	पर्यटन	के एम बी एन	0.35
30	देहरादून - मसूरी रज्जुमार्ग	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी / यू आई पी सी	786.10
31	रामबाड़ा- केदारनाथ रज्जुमार्ग	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी / यू आई डी ई सी	70.00
32	ऋषिकेश - नीलकण्ठ रज्जुमार्ग	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी / यू आई डी ई	33.00
33	तिलबाड़ा रोजेन इकाई का पुर्नवास	पर्यटन	पर्यटन	जी एम वी एन	10.00
34	बोतलबन्द पेयजल एवं फल प्रसंस्करण इकाई	पर्यटन	पर्यटन	जी एम वी एन	1.00
35	ईकॉन लोग हट्स, लैंसडॉन	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी	4.00
36	निरीक्षण गृहों का पुनर्विकास	पर्यटन	सिंचाई	सिंचाई	
37	स्वचालित वाहन जाँच लेन	परिवहन	परिवहन	परिवहन	2.00
38	कर्णप्रयाग में द्वार-द्वार ठोस अपशिष्ट संग्रहण, कम्पोजिटिंग एवं रिसाईकिलिंग	शहरी	शहरी विकास	कर्णप्रयाग	0.96
योग					1,812.00

परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ: प्रस्तर 1.8.3.1; पृष्ठ 24)

पाइपलाइन में लो नि स परियोजनाओं की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	खण्ड	विभाग	संस्था	लागत
1	मृदा जाँच प्रयोगशाला	कृषि	कृषि	-	00
2	लो नि स में मार्केटिंग सेन्टर का संचालन	कृषि	कृषि		00
3	किसान सूचना केन्द्र	कृषि	कृषि		00
4	भेड़पालन का पुनर्वास	कृषि	पशुपालन	भेड़ तथा ऊन बोर्ड	00
5	गन्ने के लिए टीशु कल्चर केन्द्र	कृषि	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	-	1.00
6	कम्पोस्ट प्लांट (मंडी परिषद)	कृषि	कृषि	मंडी परिषद	00
7	गौ आवास	कृषि	पशुपालन	कृषि निदेशालय	00
8	कोसी घाटी जलविद्युत परियोजना	ऊर्जा	ऊर्जा	यू आई पी सी	93.00
9	खाद्य पदार्थ मूल्य चेन में लिंकिंग एवं घराट का पुनर्वास	ऊर्जा	ऊर्जा	यू आर ई डी ए	14.00
10	माइक्रो जलविद्युत परियोजना एवं ग्रिड का जुड़ाव	ऊर्जा	ऊर्जा	यू आर ई डी ए	7.42
11	कोलया ब्लॉक में खनन एवं ऊर्जा निर्माण के लिए जे वी	ऊर्जा	ऊर्जा	यू जे वी एन एल	00
12	रुद्रप्रयाग हल्द्वानी मोटर रोड (राज्य मार्ग-5) का चौड़ीकरण एवं सुधार	सड़क	लो नि वि	लो नि वि	53.00
13	काठगोदाम-भवाली मोटर रोड (राज्य मार्ग-10) का चौड़ीकरण एवं सुधार	सड़क	लो नि वि	लो नि वि	35.00
14	नैनीताल से कालाङ्गी का चौड़ीकरण एवं सुधार	सड़क	लो नि वि	लो नि वि	100.00
15	उत्तराखण्ड में पैरामेडिकल संस्थान की संस्थापना	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	00
16	अस्पताल में फार्मसी की स्थापना	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	00
17	लो नि स मोड में ट्रामा सेन्टर	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	00
18	उत्तराखण्ड में टेली मेडिसिन की स्थापना	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	1.14
19	उत्तराखण्ड में लोक निजी सहभागिता (पीपीपी) मोड में आकस्मिक हवाई एम्बुलेंस सेवा	सामाजिक	स्वास्थ्य	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	00
20	श्रीनगर में स्वास्थ्य शहर	सामाजिक	चिकित्सा शिक्षा	महानिदेशक स्वास्थ्य	00

21	अल्मोड़ा में चिकित्सा विद्यालय	सामाजिक	चिकित्सा शिक्षा	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	240.00
22	रूद्रपुर में चिकित्सा विद्यालय	सामाजिक	चिकित्सा शिक्षा	महानिदेशक स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण / स्वास्थ्य विभाग	240.00
23	बेघर बच्चों के लिए छात्रावास	सामाजिक	सामाज कल्याण	-	7.41
24	शारीरिक विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास	सामाजिक	सामाज कल्याण	-	2.00
25	70 स्नातक महाविद्यालयों में आई सी टी	सामाजिक	उच्च शिक्षा	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	14.00
26	अंग्रेजी भाषा शिक्षा केन्द्र की स्थापना	सामाजिक	उच्च शिक्षा	विद्यालयी शिक्षा निदेशालय	0.65
27	उत्तराखण्ड में सात स्थानों पर आई टी आई की स्थापना	सामाजिक	तकनीकी शिक्षा	तकनीकी शिक्षा निदेशालय	7.00
28	पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना	सामाजिक	तकनीकी शिक्षा	तकनीकी शिक्षा निदेशालय	00
29	नेफ्रोलॉजी सेन्टर, श्रीनगर	सामाजिक	स्वास्थ्य	चिकित्सा निदेशालय	1.26
30	कार्डिक सेन्टर, श्रीनगर	सामाजिक	स्वास्थ्य	चिकित्सा निदेशालय	16
31	बांझपन एवं प्राजनन केन्द्र	सामाजिक	स्वास्थ्य	चिकित्सा निदेशालय	00
32	ऋषिकेश एकीकृत यात्रा टर्मिनल	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी	00
33	राय - चकतेश्वर झील	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी	00
34	बरसू - बरनाला - डयारा रज्जुमार्ग	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी / यू आई पी सी	90.00
35	मसूरी - कैम्पटी रज्जुमार्ग	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी / यू आई पी सी	150.00
36	श्रीनगर - पौड़ी रज्जुमार्ग	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी / यू आई पी सी	150.00
37	रानीखेत-चौवटिया रज्जुमार्ग	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी / यू आई पी सी	75.00
38	मुनस्यारी - खलियाटाप रज्जुमार्ग	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी / यू आई पी सी	75.00
39	टिहरी झील क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकास	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी	5.00
40	मदन नेगी रज्जुमार्ग का संचालन एवं अनुरक्षण	पर्यटन	सिंचाई	सिंचाई	00
41	टॉय ट्रेन	पर्यटन	सिंचाई	सिंचाई	00
42	उत्तराखण्ड हवाई कनेक्टिविटी परियोजना	पर्यटन	नागर विमानन	यू आई पी सी	21.00
43	टनकपुर, खटीमा, लोहाघाट, काठगोदाम में 7 बस टर्मिनल का पुर्नविकास	परिवहन	परिवहन	यू टी सी / यू आई डी ई सी	87.74
44	विभिन्न स्थानों में 14 बस टर्मिनलों का पुर्नविकास	परिवहन	परिवहन	यू टी सी / यू आई डी ई सी	00

45	इंजिनिंग लाइसेंस एवं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करना	परिवहन	परिवहन	यू टी सी / यू आई डी ई सी	00
46	हरिद्वार के लिए आई एस बी टी	परिवहन	आवास	हरिद्वार विकास प्राधिकरण	20.00
47	सांग डैम परियोजना	जल	सिंचाई	सिंचाई	750.00
48	कोटद्वार में बस टर्मिनल	शहरी	शहरी विकास	कोटद्वार शहरी पालिका	23.36
49	बागेश्वर में पार्किंग सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स	शहरी	शहरी विकास	एन पी पी बागेश्वर	1.00
50	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, मसूरी	शहरी	शहरी विकास	एन पी पी मसूरी	9.00
51	वृद्धावस्था आश्रम की स्थापना	सामाजिक	सामाज कल्याण	सामाजिक	5.00
52	क्रिकेट स्टेडियम का विकास	खेल	खेल	खेल विभाग	00
53	महाराण प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर देहरादून में आइस स्केटिंग रिंग का संचालन एवं अनुरक्षण	खेल	खेल	खेल विभाग	16.00
54	मेहवाला एवं पिथूवाला परियोजना के लिए पेयजल आपूर्ति योजना	जल	शहरी विकास	पेयजल निगम	8.37
55	नैनीताल में सिनेमा हॉल सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स	शहरी	शहरी विकास	एन पी पी, नैनीताल	7.54
56	ट्रान्सपोर्ट शहरी में कॉमर्शियल हब	शहरी	शहरी विकास	शहरी निगम हल्द्वानी	00
57	वशी, नवी मुम्बई में गेस्ट हाउस सह एम्पोरियम बिल्डिंग	पर्यटन	सम्पदा	सम्पदा	100.00
योग					2,426.89

परिशिष्ट 1.9
(संदर्भ: प्रस्तर 1.8.3.1; पृष्ठ 24)
निरस्त लो नि स परियोजनाओं की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	खण्ड	विभाग	संस्था	लागत
1	जापानी क्वैल के लिए हैचरी एवं क्लीनिंग यूनिट	कृषि	पशुपालन	कुकुटपालन बोर्ड	--
2	बागवानी विभाग की उद्यान व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्यक्रम प्रबन्धन	कृषि	बागवानी	--	--
3	चार स्थानों में फल प्रसंस्करण का विकास	कृषि	बागवानी	--	--
4	बीजापुर (टोन्स) घाटी ऊर्जा परियोजना	ऊर्जा	ऊर्जा	यू आई पी सी	13.04
5	कोल सेन्टर	आई टी	आई टी	हिल्ट्रान	--
6	अपशिष्ट से ऊर्जा	आई टी	आई टी	हिल्ट्रान	--
7	आई टी आई	सामाजिक	समाज कल्याण	--	5.00
8	वृद्धावस्था आश्रम	सामाजिक	समाज कल्याण	--	--
9	देहरादून एवं हरिद्वार से हिन्डन एक्सप्रेस वे का सम्पर्क	सड़क	लो नि वि	--	700.00
10	लो नि स में कोटद्वार फ्लश दून इकाई का पुनर्वास	पर्यटन	पर्यटन	जी एम वी एन	5.00
11	गंगोत्री पार्किंग लॉट्स	पर्यटन	पर्यटन	यू टी डी बी	--
12	सैनिक विश्राम गृह	पर्यटन	समाज कल्याण	समाज कल्याण	--
13	दून हॉट	शहरी	आवास	एम डी डी ए	59.45
14	मसूरी मिनी रेल	शहरी	शहरी विकास	मसूरी शहरी पालिका परिषद	--
15	मसूरी झूलाघर सौन्दर्योकरण	शहरी	शहरी विकास	मसूरी शहरी पालिका परिषद	--
16	मसूरी में होटल एवं बहुउद्देश्यी कक्ष	शहरी	शहरी विकास	एन पी पी मसूरी	--
17	ट्रान्सपोर्ट नगर में एकीकृत व्यवसायिक केन्द्र	शहरी	आवास	एम डी डी ए / यू आई डी ई सी	36.83
18	सिटी सेन्टर माजरा	शहरी	आवास	एम डी डी ए / यू आई डी ई सी	35.00
19	हरिद्वार में हेल्थ सिटी	शहरी	आवास	हरिद्वार विकास प्राधिकरण	312.00
योग					1,166.32

परिशिष्ट 1.10

(संदर्भ: प्रस्तर 1.8.4; पृष्ठ 25)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों का सारांशित वित्तीय विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	शासकीय पूँजी का मध्यमान	ह्रासित लागत पर ब्लॉक परिसम्पतियाँ	वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया मूल्य ह्रास	व्यापार	निवल लाभ/हानि	पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिफल (8+9)	पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिंचाई कार्यशाला खण्ड, रुड़की	2011-12	191.72	80.57	6.03	55.57	(-) 26.22	23.49	(-) 2.73	(-) 1.42
2(अ)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2002-03	--	58.25	6.64	19,644.70	(-) 1,873.25	--	(-) 1,873.25	--
2(ब)	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2002-03	--	9.97	1.00	8,357.23	(-) 1,797.44	--	(-) 1,797.44	--

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.1; पृष्ठ 40)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व-दत्तमत					
1.	03	मंत्री परिषद	48.65	1.13	2.32
2.	04	न्याय प्रशासन	1,36.90	36.52	26.68
3.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	24,00.36	14,66.73	61.10
4.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	31,86.72	1,16.17	3.65
5.	08	आबकारी	13.07	2.02	15.46
6.	10	पुलिस एवं कारागार	9,58.97	23.71	2.47
7.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	46,16.87	6,35.48	13.76
8.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9,69.36	1,16.11	11.98
9.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	8,18.47	3,08.25	37.66
10.	14	सूचना	49.28	1.16	2.35
11.	15	कल्याण	7,92.80	1,78.11	22.47
12.	16	श्रम एवं रोजगार	1,46.02	28.70	19.65
13.	17	कृषि कार्य एवं शोध	4,95.47	1,86.93	37.73
14.	18	सहकारिता	44.31	8.53	19.25
15.	19	ग्राम्य विकास	4,92.35	1,79.22	36.40
16.	20	सिंचाई व बाढ़	3,63.35	36.48	10.04
17.	22	लोक निर्माण	5,86.43	95.65	16.31
18.	23	उद्योग	92.16	20.89	22.67
19.	24	परिवहन	45.62	3.22	7.06
20.	25	खाद्य	2,53.32	2,26.55	89.43
21.	26	पर्यटन	69.90	13.43	19.21
22.	27	वन	4,01.78	31.00	7.72
23.	28	पशुपालन	1,60.62	24.93	15.52
24.	29	उद्यान विकास	1,57.57	40.87	25.94
25.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	6,47.90	2,10.00	32.41
26.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	1,91.49	58.99	30.81
योग			1,81,39.74	40,50.78	22.33
राजस्व-भारित					
1.	04	न्याय प्रशासन	26.25	5.52	21.03
2.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	27,02.85	6,46.03	23.90

3.	09	लोक सेवा आयोग	11.28	2.40	21.28
4.	22	लोक निर्माण	4.33	1.75	40.42
योग			27,44.71	6,55.70	23.89
पूँजीगत-दत्तमत					
1.	01	विधान मण्डल	48.20	22.00	45.64
2.	04	न्याय प्रशासन	25.00	7.94	31.76
3.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	27.00	13.78	51.04
4.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	5,29.53	40.81	7.71
5.	10	पुलिस एवं कारागार	1,05.40	46.89	44.49
6.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	4,73.63	1,84.55	38.97
7.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,31.17	1,88.14	56.81
8.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	4,99.65	2,75.08	55.05
9.	15	कल्याण	32.56	6.75	20.73
10.	16	श्रम एवं रोजगार	5.00	1.54	30.80
11.	17	कृषि कार्य एवं शोध	9,18.01	6,73.13	73.33
12.	19	ग्राम्य विकास	3,00.69	62.82	20.89
13.	20	सिंचाई व बाढ़	11,00.96	6,09.30	55.34
14.	21	ऊर्जा	6,19.94	3,25.76	52.55
15.	23	उद्योग	37.62	28.21	74.99
16.	24	परिवहन	1,22.90	95.18	77.45
17.	26	पर्यटन	78.09	47.68	61.06
18.	27	वन	67.81	18.82	27.75
19.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	5,41.26	3,00.94	55.60
20.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	1,40.39	81.60	58.12
योग			60,04.81	30,30.92	50.47
पूँजीगत-भारित					
1.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1.00	1.00	100
2.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	21,52.79	6,70.67	31.15
3.	09	लोक सेवा आयोग	4.00	4.00	100
योग			21,57.79	6,75.67	31.31
महा योग			2,90,47.05	84,13.07	28.96

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.3; पृष्ठ 43)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें व्ययाधिक्य प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	कुल व्यय	व्ययाधिक्य	व्ययाधिक्य का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पूँजीगत(दत्तमत)						
1.	22	लोक निर्माण	9,97.91	10,54.50	56.59	5.67
2.	25	खाद्य	33.50	18,09.06	17,75.56	5300.18
3.	29	उद्यान विकास	00	5.00	5.00	अगणनीय
योग			10,31.41	28,68.56	18,37.15	178.12

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7; पृष्ठ 44)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
क - राजस्व (दत्तमत)					
1.	10 पुलिस एवं कारागार	9,36.14	9,35.26	0.88	22.83
2.	11 शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	45,32.73	39,81.39	551.34	84.14
3.	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9,41.22	8,53.26	87.96	28.14
4.	13 जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	6,24.23	5,10.22	1,14.01	1,94.24
5.	15 कल्याण	7,63.60	6,14.68	1,48.92	29.19
6.	17 कृषि कार्य एवं शोध	4,08.81	3,08.54	1,00.27	86.66
7.	25 खाद्य	2,36.76	26.77	2,09.99	16.56
8.	27 वन	3,76.02	3,70.78	5.24	25.76
9.	28 पशुपालन	1,41.24	1,35.70	5.54	19.38
10.	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	5,59.47	4,37.89	1,21.58	88.42
11.	31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	1,61.56	1,32.50	29.06	29.93
कुल राजस्व (दत्तमत)		96,81.78	8306.99	13,74.79	6,25.25
ग- पूँजीगत (दत्तमत)					
1.	11 शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	3,03.32	2,89.08	14.24	1,70.31
2.	12 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,14.69	1,43.03	1,71.66	16.48
3.	13 जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	4,63.65	2,24.57	2,39.08	36.00
4.	17 कृषि	7,46.51	2,44.88	5,01.63	1,71.50
5.	20 सिंचाई एवं बाढ़	6,58.80	4,91.66	1,67.14	4,42.16
6.	21 ऊर्जा	5,97.44	2,94.18	3,03.26	22.50
7.	24 परिवहन	69.90	27.72	42.18	53.00
8.	30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	3,87.21	2,40.31	1,46.90	1,54.04
9.	31 अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	86.03	58.79	27.24	54.36
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		36,27.55	20,14.22	16,13.33	11,20.35
महा योग		1,33,09.33	1,03,21.21	29,88.12	17,45.60

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.7; पृष्ठ 45)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए
(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	आधिव्यय
1.	22	लोक निर्माण (पूँजीगत-दत्तमत)	7,64.20	2,33.71	9,97.91	10,54.50	56.59
2.	25	खाद्य (पूँजीगत-दत्तमत)	3.50	30.00	33.50	18,09.06	17,75.56
योग			7,67.70	2,63.71	10,31.41	28,63.56	18,32.15

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.8; पृष्ठ 45)

₹ 10 लाख या अधिक की बचत (निधियों के उपयोग में कमी)/आधिक्य में परिणत निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग

(₹ लाख में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	विवरण	दत्तमत / भारित	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोग	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत (-)
1.	03	मंत्री परिषद	दत्तमत	2013-00-108-03	(+)15.16	(+)14.23
			दत्तमत	2013-00-800-03	(+)35.71	(-)1,05.25
2.	04	न्याय प्रशासन	दत्तमत	2014-00-105-03	(-)24.00	(-)15,40.38
			दत्तमत	2014-00-105-04	(+)22.00	(-)1,28.86
			दत्तमत	2014-00-108-03	(+)36.00	(-)1,66.47
3.	05	चुनाव	दत्तमत	2015-00-103-05	(+)31.69	(-)53.98
			दत्तमत	2015-00-105-03	(-)7.00	(-)12.26
4.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	दत्तमत	2070-00-107-04	(+)8.00	(-)1,56.89
			दत्तमत	2245-80-800-08	(+)12.76	(-)32.05
5.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	दत्तमत	2030-01-102-03	(-)35.00	(+)67.44
			दत्तमत	2040-00-001-03	(+)60.00	(-)2,06.34
			दत्तमत	2040-00-800-05	(-)60.00	(-)45.62
			दत्तमत	3604-01-191-01	(+)3,88.10	(-)20,80.90
			दत्तमत	3604-01-191-03	(+)30,00.00	(-)5,31.12
			दत्तमत	3604-01-192-01	(+)3,88.10	(-)25,79.93
			दत्तमत	3604-01-192-03	(-)42,44.00	(-)15,03.02
			दत्तमत	3604-01-193-04	(+)12,44.00	(-)10,27.26
6.	10	पुलिस एवं कारागार	दत्तमत	2055-00-003-04	(-)2,48.16	(-)2,69.64
			दत्तमत	2055-00-111-03	(-)22.01	(-)2,39.10
			दत्तमत	2056-00-001-03	(-)1,50.00	(-)3,85.50
			दत्तमत	2055-00-104-04	(+)71.60	(-)29.19
			दत्तमत	2055-00-109-03	(+)64.50	(+)11,79.96
			दत्तमत	2055-00-109-04	(+)12.60	(+)3,37.93
			दत्तमत	2055-00-800-04	(-)5,01.66	(+)7,33.63
			दत्तमत	2056-00-001-04	(+)1,50.00	(-)17.73
7.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	दत्तमत	2202-01-001-04	(-)5,95.68	(-)1,50,50.96
			दत्तमत	2202-01-104-03	(+)5.68	(-)391.45
			दत्तमत	2202-02-101-03	(-)71.00	(-)5,15.15
			दत्तमत	2202-02-101-04	(+)2,60.00	(-)4,47.03
			दत्तमत	2202-02-109-03	(-)3,14.50	(-)1,71,98.51
			दत्तमत	2202-02-800-01	(-)2,00.00	(-)1,04,17.02

			दत्तमत	2203-00-800-97	(-)6,00.00	(-)12,86.92
			दत्तमत	2204-00-104-13	(-)37.43	(-)19.92
			दत्तमत	2205-00-101-03	(-)13.48	(-)26.12
			दत्तमत	2205-00-101-12	(-)13.14	(-)17.71
			दत्तमत	2205-00-107-03	(+)3.10	(-)18.73
			दत्तमत	2202-01-102-18	(+)3,00.00	(-)2,04.99
			दत्तमत	2205-00-001-03	(+)1,09.76	(-)22.73
			दत्तमत	4202-01-202-16	(-)8,07.11	(-)8,86.18
			दत्तमत	4202-04-106-01	(-)30.00	(-)3,33.00
			दत्तमत	4202-02-104-03	(+)6,50.00	(+)46.68
8.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	दत्तमत	2210-01-110-18	(+)7.00	(-)1,84.47
			दत्तमत	2210-03-104-03	(-)2,84.00	(-)7,45.21
			दत्तमत	2210-03-110-06	(-)55.00	(-)1,26.39
			दत्तमत	2210-03-110-17	(-)4,95.00	(-)4,32.60
			दत्तमत	2210-04-102-03	(-)57.50	(-)1,10.44
			दत्तमत	2210-05-105-03	(+)6.75	(-)91.34
			दत्तमत	2210-05-105-05	(-)6.75	(-)4,37.12
			दत्तमत	2201-06-003-03	(+)3.00	(-)48.94
			दत्तमत	2210-06-101-03	(-)75.00	(-)3,20.13
			दत्तमत	2210-06-101-04	(-)60.00	(-)1,36.75
			दत्तमत	2210-06-101-05	(-)19.33	(-)4,04.26
			दत्तमत	2210-06-104-03	(+)3.00	(-)35.05
			दत्तमत	2210-06-107-03	(-)1.00	(-)25.71
			दत्तमत	2211-00-001-01	(-)7.70	(-)1,77.87
			दत्तमत	2211-00-003-01	(-)30.00	(-)34.78
			दत्तमत	2210-01-110-14	(+)30.00	(-)10.36
			दत्तमत	2210-02-102-04	(+)57.50	(-)44.03
			दत्तमत	4210-01-110-14	(-)1,00.00	(-)92.63
9.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	दत्तमत	2215-01-102-97	(-)78.30	(-)1,42,21.70
			दत्तमत	2215-02-105-01	(-)5,68.00	(-)57,37.33
			दत्तमत	2217-03-001-06	(-)7.71	(-)54.60
10.	14	सूचना	दत्तमत	2220-60-102-03	(+)3.34	(-)21.80
			दत्तमत	2220-60-106-03	(-)0.34	(-)47.28
			दत्तमत	2220-60-001-03	(+)16.16	(-)10.00
11.	15	कल्याण	दत्तमत	2225-01-001-05	(-)64.24	(-)44.59
			दत्तमत	2235-02-101-11	(+)2.84	(-)15.24
			दत्तमत	2235-02-102-06	(-)20.00	(-)1,55.31
			दत्तमत	2235-02-102-07	(-)64.50	(-)82.96
			दत्तमत	2235-02-103-19	(-)5.59	(-)35.61

			दत्तमत	2251-00-092-05	(-)0.90	(-)13.71
12.	19	ग्राम्य विकास	दत्तमत	2515-00-800-07	(-)12.10	(-)6,54.74
			दत्तमत	2515-00-800-08	(-)4.27	(-)21,28.15
			दत्तमत	4515-00-102-09	(-)50.00	(-)24,50.52
13.	20	सिंचाई एवं बाढ़	दत्तमत	2700-00-001-04	(-)42,45.09	(+)14,12.81
			दत्तमत	2702-03-103-03	(+)20,00.00	(-)9,99.34
			दत्तमत	2702-80-800-91	(+)1.17	(+)70.00
			दत्तमत	4700-06-800-02	(+)13,12.79	(+)83.96
			दत्तमत	4700-07-800-02	(+)1,82.12	(+)188.33
			दत्तमत	4711-01-103-03	(+)28,00.00	(-)1,25.36
14.	21	ऊर्जा	दत्तमत	4801-01-190-97	(-)1.49	(-)1,71.09
15.	22	लोक निर्माण	दत्तमत	2059-80-001-03	(-)5,00.00	(-)1,03.77
			दत्तमत	2059-80-051-03	(-)3,00.00	(-)32,62.94
			दत्तमत	3054-04-337-03	(+)26,99.50	(+)23,91.56
			दत्तमत	5054-04-800-03	(+)1,04,70.00	(+)1,04,70.55
			दत्तमत	5054-04-800-05	(+)8,00.00	(+)8,86.06
			दत्तमत	4059-04-800-97	(-)1,12,70.00	(-)1,12,31.80
16.	24	परिवहन	दत्तमत	3055-00-190-06	(-)48.10	(-)91.98
17.	25	खाद्य	दत्तमत	2408-01-001-03	(-)55.80	(-)8,53.43
			दत्तमत	3456-00-001-04	(+)55.80	(-)41.10
18.	26	पर्यटन	दत्तमत	5452-80-104-04	(+)2,69.86	(-)1,08.53
19.	28	पशुपालन	दत्तमत	2403-00-101-01	(+)39.65	(-)99.40
			दत्तमत	2403-00-107-01	(-)39.65	(-)4,74.47
20.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	दत्तमत	2225-01-001-08	(-)6.00	(-)13.45
			दत्तमत	2225-01-277-06	(-)72.33	(-)31.08
			दत्तमत	2403-00-107-01	(-)6.86	(-)90.00
			दत्तमत	2225-01-277-03	(+)30.62	(-)16.33
21.	31	अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	दत्तमत	2225-02-277-03	(-)8.12	(-)22.02
			दत्तमत	2225-02-277-04	(-)80.33	(-)75.05
			दत्तमत	2225-02-800-15	(+)1.06	(-)29.38
			दत्तमत	5054-04-796-97	(-)13,50.00	(-)5,05.81
			दत्तमत	5054-04-796-02	(+)13,00.00	(-)8,82.10

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.9; पृष्ठ 45)

वर्ष 2013-14 के दौरान किए गए भारी अभ्यर्पण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या व शीर्षक	योजना का नाम (लेखा शीर्ष)	मूल अनुदान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹ लाख में)	अभ्यर्पण का प्रतिशत
1.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2070-00-104-04	5,34.82	5,05.29	94.48
		2070-00-105-03	43.22	27.77	64.25
2.	07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	2030-01-102-03	1,00.00	52.03	52.03
		2030-02-101-03	10,00.00	6,06.17	60.62
		2052-00-090-08	20.00	18.62	93.10
		2052-00-090-11	43.31	32.58	75.23
		3451-00-092-04	2,00.00	1,67.97	83.99
		2030-01-101-03	50.00	50.00	1,00.00
		4216-02-800-03	4,00.00	3,01.50	75.38
3.	10- पुलिस एवं कारागार	2055-00-800-23	5,04.00	2,56.32	50.86
		4055-00-211-06	1,50.00	1,00.00	66.67
4.	11- शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2202-05-001-03	68.60	39.99	58.29
		2202-05-103-06	69.95	35.54	50.81
		2202-05-103-08	1,20.73	1,01.21	83.83
		2204-00-001-05	80.00	60.16	75.20
		4202-03-102-15	1,00.00	70.00	70.00
		4202-03-102-16	1,00.00	98.83	98.83
5.	13- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	2217-03-191-01	31,60.00	26,31.48	83.27
		2217-03-191-03	13,90.01	12,21.53	87.88
		4217-03-800-01	1,59,65.00	1,35,06.52	84.60
6.	17- कृषि कार्य एवं शोध	2401-00-102-01	21,16.01	20,90.44	98.79
		2401-00-110-01	6,00.00	5,81.95	96.99
		2401-00-800-97	42,79.18	21,30.57	49.79
7.	18- सहकारिता	2425-00-001-06	48.68	38.99	80.09
		2425-00-800-04	2,50.00	1,77.93	71.17
8.	20- सिंचाई एवं बाढ़	2702-80-800-03	28.99	15.09	52.05
		4700-03-800-02	30.00	20.83	69.43
9.	21- ऊर्जा	2801-05-800-03	11.46	6.00	52.36
		6801-01-190-97	30,44.00	20,18.00	66.29
		6801-05-190-97	1,25,00.00	1,12,11.87	89.69
10.	23- उद्योग	4859-02-800-01	28,04.00	26,04.00	92.87
		4859-02-800-10	2,00.00	2,00.00	100
11.	24-परिवहन	5053-02-800-08	20.00	19.54	97.70
12.	28- पशुपालन	2405-00-190-01	28.00	14.11	50.39

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

		2405-00-800-01	45.00	42.98	95.51
13.	29- उद्यान विकास	2401-00-119-10	21.84	11.11	50.87
		2401-00-119-18	25.00	13.16	52.64
14.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	2217-03-191-01	7,20.00	5,99.57	83.27
		4702-00-800-02	1,82.50	1,16.44	63.80
		6801-05-190-97	14,10.00	11,16.50	79.18
15.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	2217-03-191-01	1,23.00	1,02.94	83.69
		4217-03-800-01	1,05.00	86.85	82.71
		4702-00-796-02	49.50	45.33	91.58
योग			5,27,41.80	4,31,47.71	81.81

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ 45)

वास्तविक बचतो (₹ 50 लाख या अधिक) के आधिक्य से अभ्यर्पण

(₹ करोड में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या व नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित राशि	अधिक अभ्यर्पित राशि
राजस्व-दत्तमत					
1.	04-विधान मण्डल	20.63	0.90	0.91	0.01
2.	20-सिंचाई एवं बाढ़	3,63.35	36.48	47.99	11.51
पूँजीगत -दत्तमत					
3.	20-सिंचाई एवं बाढ़	11,00.96	6,09.30	6,66.07	56.77
योग		14,84.94	6,46.68	7,14.97	68.29

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ 46)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिसमें ₹ पाँच करोड़ या अधिक की बचत हुई परन्तु उसका कोई भी अंश अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान / विनियोग	व्यय	बचत
1.	01	विधान मण्डल (पूँजीगत-दत्तमत)	48.20	26.20	22.00
2.	04	न्याय प्रशासन (राजस्व- दत्तमत)	1,36.90	1,00.38	36.52
		न्याय प्रशासन (राजस्व -भारित)	26.25	20.73	5.52
		न्याय प्रशासन (पूँजीगत- दत्तमत)	25.00	17.06	7.94
3.	07	वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (राजस्व-भारित)	27,02.85	20,56.82	6,46.03
		वित्त, कर नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ (पूँजीगत-भारित)	21,52.79	14,82.12	6,70.67
4.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व- दत्तमत)	9,69.36	8,53.26	1,16.11
		चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पूँजीगत- दत्तमत)	3,31.17	1,43.03	1,88.14
5.	15	कल्याण (राजस्व- दत्तमत)	7,92.80	6,14.68	1,78.11
		कल्याण (पूँजीगत- दत्तमत)	32.56	25.80	6.76
6.	19	ग्राम्य विकास (पूँजीगत- दत्तमत)	3,00.69	2,37.87	62.82
7.	22	लोक निर्माण(राजस्व- दत्तमत)	5,86.43	4,90.77	95.66
8.	25	खाद्य (राजस्व-दत्तमत)	2,53.32	26.77	2,26.55
9.	26	पर्यटन (राजस्व-दत्तमत)	69.90	56.47	13.43
		पर्यटन (पूँजीगत-दत्तमत)	78.09	30.41	47.68
10.	27	वन (राजस्व-दत्तमत)	4,01.78	3,70.78	31.00
		वन (पूँजीगत-दत्तमत)	67.81	48.99	18.82
योग			89,75.90	66,02.14	23,73.76

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ 46)

₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की निधियों के उपयोग में बचत/न्यूनता के विवरण जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष था
1	2	3	4	5
राजस्व -दत्तमत				
1.	04-न्याय प्रशासन	36.52	00	36.52
2.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1466.73	36.62	1430.11
3.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	116.17	20.82	95.35
4.	08- आबकारी	2.02	00	2.02
5.	10- पुलिस एवं कारागार	23.71	19.55	4.16
6.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	635.48	6.00	629.48
7.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	116.11	00	116.11
8.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	308.25	210.88	97.37
9.	14- सूचना	1.16	00	1.16
10.	15-कल्याण	178.11	00	178.11
11.	16-श्रम एवं रोजगार	28.70	4.92	23.78
12.	17-कृषि कार्य एवं शोध	186.93	176.31	10.62
13.	19-ग्राम्य विकास	179.22	1.03	178.19
14.	22-लोक निर्माण	95.65	00	95.65
15.	23- उद्योग	20.89	3.01	17.88
16.	24-परिवहन	3.22	0.64	2.58
17.	25- खाद्य	226.55	00	226.55
18.	26- पर्यटन	13.43	00	13.43
19.	27- वन	31.00	00	31.00
20.	28-पशुपालन	24.93	10.89	14.04
21.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	210.01	58.31	151.70
22.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	58.99	15.69	43.30
योग		3963.78	564.67	3399.11
राजस्व-भारित				
23.	04-न्याय प्रशासन	5.52	00	5.52
24.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	646.03	00	646.03
25.	09 - लोक सेवा आयोग	2.40	00	2.40
26.	22-लोक निर्माण	1.75	00	1.75
योग		655.70	00	655.70
पूँजीगत-दत्तमत				
27.	01- विधान मण्डल	22.00	00	22.00
28.	04-न्याय प्रशासन	7.94	00	7.94

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

29.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	13.78	0.52	13.26
30.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	40.81	4.02	36.79
31.	10- पुलिस एवं कारागार	46.89	45.39	1.50
32.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	184.55	2.19	182.36
33.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	188.14	00	188.14
34.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	275.08	249.99	25.09
35.	14- सूचना	00	00	00
36.	15-कल्याण	6.75	00	6.75
37.	16-श्रम एवं रोजगार	1.54	00	1.54
38.	17-कृषि कार्य एवं शोध	673.13	1.04	672.09
39.	19-ग्राम्य विकास	62.82	00	62.82
40.	21- ऊर्जा	325.76	323.24	2.52
41.	24-परिवहन	95.18	43.20	51.98
42.	26- पर्यटन	47.68	00	47.68
43.	27- वन	18.82	00	18.82
44.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	300.94	116.23	184.71
45.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	81.60	37.22	44.38
योग		2393.41	823.04	1570.37
पूँजीगत- भारित				
46.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1.00	00	1.00
47.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	670.67	00	670.67
48.	09 - लोक सेवा आयोग	4.00	00	4.00
योग		675.67	00	675.67
महायोग		7688.56	1387.71	6300.85

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.11; पृष्ठ 46)

30/31 मार्च 2014 को ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	6	2029-भू-राजस्व (राजस्व-दत्तमत)	18.94	12.38
		2053-जिला प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	11.28	12.03
2.	7	2030-स्टाम्प एवं पंजीकरण (राजस्व-दत्तमत)	11.61	34.49
3.	10	2055-पुलिस (राजस्व-दत्तमत)	19.56	2.11
		4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	45.39	47.58
4.	13	2217-शहरी विकास (राजस्व-दत्तमत)	2,24.12	80.36
		4215-जलापूर्ति एवं सेनीटेशन पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	13.24	9.81
		4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	2,36.74	64.92
5.	17	2401-फसल कृषि कर्म (राजस्व-दत्तमत)	1,76.31	50.81
6.	20	2700-मुख्य सिंचाई (राजस्व-दत्तमत)	63.86	22.81
		4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	1,30.99	31.68
		4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	2,19.06	51.22
		4711-बाढ़ नियन्त्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	1,68.49	65.80
7.	21	4801-ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	1,85.86	42.29
8.		6801-ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	1,37.39	76.14
9.	23	4859-दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	28.04	76.38
10.	29	2401- फसल कृषि कर्म (राजस्व-दत्तमत)	40.59	25.76
11.	30	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय (पूँजीगत-दत्तमत)	78.40	94.36
12.		6801-ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	11.17	58.48
13.	31	2217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय (राजस्व-दत्तमत)	11.64	70.72
योग			18,32.68	38.67

परिशिष्ट 2.11
(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.12; पृष्ठ 46)
व्यय की तीव्रता

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	लेखाशीर्ष योजना/ सेवा	जनवरी-मार्च 2014 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2014 के दौरान किया गया व्यय	कुल व्यय	के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता	
					जनवरी-मार्च 2014	मार्च 2014
1.	2015	5.96	4.16	11.39	52.33	36.52
2.	2030	11.90	8.56	19.97	59.59	42.86
3.	2203	76.76	65.19	1,32.15	58.09	49.33
4.	2217	46.35	40.60	68.06	68.10	59.65
5.	2245	4,19.99	3,05.88	6,70.30	62.66	45.63
6.	2250	20.34	14.82	38.48	52.86	38.51
7.	2701	5.17	3.93	10.00	51.70	39.30
8.	3054	1,25.49	110.10	1,82.58	68.73	60.30
9.	4055	44.65	40.08	49.01	91.10	81.78
10.	4059	64.98	31.14	88.84	73.14	35.05
11.	4202	2,32.49	2,08.19	3,06.96	75.74	67.82
12.	4210	1,21.16	1,12.54	1,43.53	84.41	78.41
13.	4216	29.86	28.19	36.94	80.83	76.31
14.	4217	86.54	67.84	1,49.22	57.99	45.46
15.	4225	59.99	45.22	78.43	76.49	57.66
16.	4235	13.41	13.41	14.15	94.77	94.77
17.	4401	17.61	14.70	10.82	162.75	135.86
18.	4406	25.82	14.15	49.93	51.71	28.34
19.	4700	1,65.75	87.99	2,97.85	55.65	29.54
20.	4702	50.34	48.22	72.97	68.99	66.08
21.	4711	49.25	34.05	88.06	55.93	38.67
22.	4859	6.28	6.28	8.66	72.52	72.52
23.	4885	26.00	26.00	26.00	100.00	100.00
24.	5053	15.50	15.50	15.50	100.00	100.00
25.	5452	18.70	12.81	32.41	57.70	39.52
26.	6004	35.12	2.85	51.30	68.46	5.56
27.	6401	1,80.40	1,80.40	2,10.40	85.74	85.74
28.	7055	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00
योग		19,65.81	15,52.80	28,73.91	68.40	54.03

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.13; पृष्ठ 47)

वर्ष के अन्त में जमा खाते में स्थान्तरित की गयी निधि

(₹ करोड में)

वर्ष/विभाग का नाम (खाता धारक)	निधि स्थानान्तरण की तिथि	कहाँ से स्थानान्तरण (लेखाशीर्ष)	कहाँ पर स्थानान्तरण (लेखाशीर्ष जमा)	जमा शीर्ष में स्थानान्तरण
2011-12				
निदेशक कृषि, देहरादून	31 मार्च 2012	2401-00-800-01	8443-00-800	78.70
योग				78.70
2012-13				
नागरिक उड्डयन विभाग देहरादून	30 मार्च 2013	5053-02-800-99	8443-00-800	62.00
योग				62.00
2013-14				
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वित्त नियन्त्रक, उत्तराखण्ड, के.वी.आई.बी. देहरादून	31 मार्च 2014	नकद चालान	8443-00-800	2.40
वित्त नियन्त्रक, परिवहन निगम, देहरादून.	31 मार्च 2014	नकद चालान	8443-00-800	10.00
जिलाधिकारी, देहरादून	29 मार्च 2014	4250-00-800-09	8443-00-800	1.34
	30 मार्च 2014	4202-02-105-(7 से11)	8443-00-800	23.61
	31 मार्च 2014	नकद चालान	8443-00-800	26.00
		4202-03-102-(18,01,20)	8443-00-800	16.52
योग				79.87
महायोग				2,20.57

परिशिष्ट 2.13
(संदर्भ: प्रस्तर 2.4.1.2; पृष्ठ 48)
2011-14 के दौरान निरन्तर बचत

(₹ लाख में)

क्रम सं.	लेखाशीर्ष	वर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	सकल बचत	प्रतिशत
राजस्व-दत्तमत						
1	2700 मुख्य सिंचाई	2011-12	31,00.00	29,89.87	1,10.13	3.55
	00	2012-13	20,90.00	16,30.02	4,59.98	22.01
	001 निर्देशन एवं प्रशासन 05 आकस्मिक श्रमिकों के लिए एक मुश्त प्रबन्ध	2013-14	16,00.00	14,05.17	1,94.83	12.18
2	2701 मध्यम सिंचाई	2011-12	25.00	00	25.00	100
	15 आवसीय / अनावसीय भवनो का निवारण	2012-13	25.00	00	25.00	100
	101 अनुरक्षण एवं मरम्मत 02 अन्य अनुरक्षण व्यय	2013-14	5.00	00	5.00	100
पूँजीगत-दत्तमत						
3	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	2011-12	00	00	00	00
	01 जमरानी बाँध	2012-13	45.00	00	45.00	100
	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय योजना / केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	2013-14	10.00	00	10.00	100
4	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	2011-12	30.00	5.04	24.96	83.20
	03 सिंचाई विभाग की विभिन्न योजनाओं के अनुबंधों अन्तर्गत देय डिजिटल राशियों के भुगतान हेतु	2012-13	30.00	7.47	22.53	75.10
	800 अन्य व्यय 02 अनुरक्षण व्यय	2013-14	30.00	9.17	20.83	69.43
5	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	2011-12	1,29,82.55	82,33.66	47,48.89	36.58
	05 सिंचाई विभाग की नई योजनाएं	2012-13	1,39,69.59	63,47.67	76,21.92	54.56
	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय योजना / केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ (ए आई बी पी-सामान्य)	2013-14	1,09,28.75	29,63.59	79,65.16	72.88
6	4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	2011-12	100.00	26.72	73.28	73.28
	80 सामान्य	2012-13	70.00	10.60	59.40	84.86
	005 सर्वेक्षण एवं अन्वेषण (किसाऊ बाँध को सम्मिलित करते हुए) 03 निर्माण कार्य	2013-14	50.00	35.04	14.96	29.92
7	4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	2011-12	15.00	00	15.00	100
	80 सामान्य	2012-13	15.00	00	15.00	100
	103 सिविल कार्य 06 परिकल्प एवं प्रशिक्षण संस्थान का उन्नतीकरण 03 निर्माण कार्य	2013-14	5.00	00	5.00	100

8	4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	2011-12	1,00.00	1,00.00	00	00
	80 सामान्य	2012-13	1,00.00	00	1,00.00	100
	190 सरकारी तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	2013-14	1,00.00	00	1,00.00	100
9	03 उत्तराखण्ड विकासात्मक परियोजना एवं लोक निर्माण को अंशपूँजी	2011-12	4,50.00	2,15.78	2,34.22	52.05
	4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	2012-13	70.00	00	70.00	100
	80 सामान्य	2013-14	70.00	00	70.00	100
10	800 अन्य व्यय	2011-12	75,99.33	11,02.84	64,96.49	85.49
	03 जल जलाशय का निर्माण	2012-13	80,00.00	15,51.53	64,48.47	80.61
	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2013-14	2,26,04.50	43,64.85	1,82,39.65	80.69
11	01 बाढ़ नियन्त्रण	2011-12	5,52.45	4,73.24	79.21	14.34
	103 सिविल कार्य	2012-13	26,00.00	22,89.55	3,10.45	11.94
	01 केन्द्रीय योजना / केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	2013-14	58,00.00	43,90.66	14,09.34	24.30
11	03-अनपेक्षित आपातकालीन कार्य, नदी में सुधार एवं कटाव	2011-12	5,52.45	4,73.24	79.21	14.34
	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2012-13	26,00.00	22,89.55	3,10.45	11.94
	01 बाढ़ नियन्त्रण	2013-14	58,00.00	43,90.66	14,09.34	24.30

स्रोत: विभागीय आँकड़े

परिशिष्ट 2.14
(संदर्भ: प्रस्तर 2.4.1.4; पृष्ठ 49)
व्यय की तीव्रता

(₹ लाख में)

लेखाशीर्ष	कुल व्यय	दिसम्बर 2013 तक व्यय	जनवरी से मार्च तक व्यय	मार्च में व्यय	दिसम्बर 2013 तक कुल व्यय की प्रतिशतता	जनवरी से मार्च तक व्यय की प्रतिशतता	केवल मार्च में व्यय की प्रतिशतता
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-04- नलकूपों का निर्माण	13,47.76	5,17.14	8,30.62	5,03.45	38.37	61.63	37.35
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें	42,04.86	19,06.39	22,98.47	16,63.01	45.34	54.66	39.55
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 07 उत्तराखण्ड की लघु डाल नहरों का पुनरुद्धार-800- अन्य व्यय-02- अन्य अनुरक्षण व्यय	5,32.12	2,92.97	2,39.15	1,52.81	55.06	44.94	28.72
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-01-जमरानी बाँध	50.00	19.94	30.06	13.40	39.88	60.12	26.80
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-00-052-मशीनरी एवं उपकरण	6.84	00	6.84	6.84	00	100.00	100.00
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-003-प्रशिक्षण	24.95	00	24.95	24.95	00	100.00	100.00
4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05- निरीक्षण भवनों का निर्माण	50.00	00	50.00	50.00	00	100.00	100.00
2711-बाढ़ नियन्त्रण एवं जल निकास-01-बाढ़ नियन्त्रण-03- सिविल निर्माण कार्य	5,90.02	2,11.75	3,78.27	3,27.51	35.89	64.11	55.51
4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-18-पुलों का आधुनिकरण पुनर्निर्माण-800-अन्य व्यय-02- अन्य अनुरक्षण व्यय	12,00.00	1,66.58	10,33.42	8,02.00	13.88	86.12	66.83
4711-बाढ़ नियन्त्रण पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियन्त्रण-103- सिविल कार्य-01-केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ	43,64.84	26,04.05	17,60.80	17,00.27	59.66	40.34	38.95
योग	1,23,71.39	57,18.82	66,52.58	52,44.24	46.23	53.77	42.39

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: प्रस्तर 2.6.; पृष्ठ 51)

वर्ष 2013-14 के दौरान प्रतिपूर्ति न किये गये आकस्मिकता निधि से व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	पुनर्विनियोग / अभ्यर्पण	योग	वास्तविक व्यय	आकस्मिकता निधि से अग्रिम
1.	03-मंत्री-परीषद	2013	48.65	(-)0.22	48.43	47.51	1.52
2.	04-न्याय प्रशासन	2014	1,36.90	00	1,36.90	1,00.38	0.14
3.	10- पुलिस एवं कारागार	2055	9,28.22	(-)19.56	9,08.66	9,08.55	0.79
4.	11-शिक्षा, खेल-कूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	2202	43,83.01	(-)3.28	43,79.73	37,93.87	0.03
5.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210	8,75.02	00	8,75.02	7,64.47	0.25
6.	14- सूचना	2220	49.28	00	49.28	48.12	0.09
7.	15-कल्याण	2225	36.14	(-)0.63	35.51	24.69	54.72
		2235	6,81.03	(+)0.42	6,81.45	5,51.32	
		2250	75.27	00	75.27	38.48	
8.	16-श्रम एवं रोजगार	2230	1,19.51	00	1,19.51	95.99	0.08
9.	19-ग्राम्य विकास	2515	4,07.08	(-)1.03	4,06.05	2,63.82	1.95
10.	22-लोक निर्माण	5054	9,93.71	00	9,93.71	10,54.50	1,05.00
		2059	3,50.83	(-)8.00	3,42.83	3,06.51	
11.	23- उद्योग	2853	15.11	00	15.11	5.10	3.86
12.	24-परिवहन	5055	54.20	00	54.20	2.21	0.28
13.	25- खाद्य	2408	2,44.44	(-)0.56	2,43.88	21.35	0.07
14.	26- पर्यटन	5452	78.09	00	78.09	30.41	2.10
15.	28-पशुपालन	2403	1,31.79	(-)0.19	1,31.60	1,17.75	1.23*
16.	30- अनुसूचित जातियों का कल्याण	2225	1,70.50	(-)1.14	1,69.36	1,61.03	18.30
		2235	1,44.16	(+)1.14	1,45.30	99.79	
17.	31- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	2225	80.02	00	80.02	66.15	4.07
		2235	32.98	00	32.98	25.34	
योग			1,00,35.94	(-)33.05	1,00,02.89	85,27.34	1,94.48

स्रोत: -महालेखाकार (ले.एवं ह.) उत्तराखण्ड के वी.एल.सी. डाटा से संकलित सूचना

* 8 जुलाई 2014 (2014-15) को प्रतिपूर्ति

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: प्रस्तर 2.6; पृष्ठ 51)

अनुदानों एवं मुख्यशीर्षों के अन्तर्गत आकस्मिक निधि में वर्षवार प्रतिपूर्ति न की गयी निधियाँ

(₹ लाख में)

अनुदान सं.	मुख्यशीर्ष	प्रतिपूर्ति ना हुई आकस्मिक निधि											
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	योग
3	2013	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99.99	99.99
6	2029	--	--	7.57	0.50	1.03	--	--	4.67	21.55	--	--	35.32
6	2053	--	--	--	45.84	--	--	--	--	--	--	--	45.84
6	2070	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.20	0.20
7	2040	--	8.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8.56
7	4515	--	--	--	--	--	2,58.19	--	--	37.90	--	--	2,96.09
12	2210	--	10.19	--	--	--	--	--	2,78.35	--	--	--	2,88.54
12	4210	--	--	--	50.00	80.00	--	--	--	--	--	--	1,30.00
13	2217	--	--	--	--	--	--	--	--	35.00	--	--	35.00
15	2235	--	--	--	--	--	--	--	1.96	7.59	--	--	9.55
16	2230	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.80	2.80
18	2425	--	--	--	--	--	2.50	--	--	--	5,13.95	0.07	5,16.52
19	2515	--	--	--	--	--	--	--	--	9,55.31	14.18	--	9,69.49
19	4515	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,16.00	18,32.35	54,48.35
21	4801	2,00.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,00.00
22	2059	66.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66.90
22	4059	87.32	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87.32
25	3456	--	--	--	--	--	--	19.50	--	--	--	--	19.50
28	2403	--	--	--	--	--	--	--	1,62.99	20.39	--	--	1,83.38
30	2403	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71.31	71.31
योग		3,54.22	18.75	7.57	96.34	81.03	2,60.69	19.50	4,47.97	10,77.74	41,44.13	20,06.72	85,14.66

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: प्रस्तर 2.7 (अ) ;पृष्ठ-52)

वर्ष 2013-14 तक के लम्बित डी सी बिल (मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विभाग	मुख्य शीर्ष	ए.सी. बिलों की संख्या	राशि
1.	निर्वाचन	2015	3	5.46
2.	शिक्षा	2202	6	38.04
3.	एन सी सी निदेशालय	2202	47	14.80
4.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र	2202	4	19.57
5.	युवा कल्याण	2204	12	9.15
6.	सामान्य प्रशासन	2205	1	0.25
7.	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210	8	448.73
8.	उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवार्ये	2210	1	0.25
9.	पशुपालन	2403	9	13.90
10.	होमगार्ड	2070	2	0.39
11.	सामान्य प्रशासन	2070	2	2.35
12.	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	2070	1	0.25
13.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	4059	1	29.66
14.	सामान्य प्रशासन	2245	4	105.84
15.	सामान्य प्रशासन	2053	5	0.56
16.	ग्राम्य विकास	2515	6	0.26
17.	पंचायती राज	2515	1	0.03
18.	शहरी विकास	2217	1	0.20
19.	पशुपालन	2401	2	0.05
20.	वन	2406	10	2.04
21.	परिवहन	3055	1	0.20
22.	सिंचाई	2700	1	0.10
23.	सैनिक बोर्ड	2235	1	18.46
24.	मत्स्य पालन	2405	1	0.03
25.	उद्योग(खनन निदेशालय)	2853	1	0.10
26.	वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सरकारी सचिवालय	2052	2	0.60
27.	आर एफ सी कुमाँऊ	4408	1	40.00
28.	श्रम एवं रोजगार (उपनिदेशक कारखाना)	2230	1	15.00
29.	उत्तराखण्ड विधि एवं न्याय अकादमी	2014	4	2.44
30.	पर्यटन	5452	1	5.00
31.	राजस्व पुलिस निदेशालय	2053	1	0.15
32.	आयुक्त कुमाँऊ	2053	1	0.25
33.	मुख्य परिवीक्षाधीन अधिकारी, महिला कल्याण	2235	1	0.05
योग			143	774.16

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: प्रस्तर 3.3:पृष्ठ 58)

विभाग द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखों के अन्तिमीकरण एवं सरकारी निवेश का विवरण

क्रम सं.	उपक्रम का नाम	अन्तिम रूप दिये गये लेखों की अवधि	अन्तिम रूप दिए गए पिछले लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखों को तैयार करने में विलम्ब हेतु अभ्युक्ति/कारण
सिंचाई विभाग:				
1.	सिंचाई कार्यशाला, खण्ड, रुड़की	2011-12	1.92	अनुपलब्ध
खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग				
2.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी	2002-03	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
3.	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, देहरादून	2002-03	अनुपलब्ध	

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4:पृष्ठ 58)

दुर्विनियोग, चोरी/हानि आदि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/अवधिवार विवरण (वे मामले जिनमें मार्च 2014 के अन्त में अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी)

क्र.सं.	विभाग का नाम	विलम्बित मामलों की संख्या						कुल मामलों की संख्या
		0-1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 से 4 वर्ष	4 से 5 वर्ष	5 वर्ष या अधिक	
1.	शिक्षा	--	--	--	--	--	01	01
2.	वन	--	--	02	01	--	--	03
	योग			02	01	--	01	04

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 58)

चोरी, दुर्विनियोग/सरकारी सामग्री की हानि के कारण सरकार को हुई हानि के मामलों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सम्पत्ति का दुर्विनियोग/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
शिक्षा	--	--	01	1.07	01	1.07
वन	--	--	03	142.71	03	142.71
योग	--	--	04	143.78	04	143.78

परिशिष्ट 4.1
शब्दावली

क्रमांक	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या स्थिर कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत आँकड़ों में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय आँकड़ों की तन्वयता अथवा प्रभावनीयता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ उ में एक प्रतिशत तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु के दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की कामना रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों के पोषण हेतु मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर पोषण के समर्थन हेतु प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण विकासपरक और अविकासपरक में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती हैं जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।
7.	ऋण वहन क्षमता	ऋण वहन क्षमता को किसी समयावधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके ऋण को चुकाने की क्षमता के बारे में चिन्ता को मूर्त रूप देती है। इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता को भी

		संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।
8.	ऋण स्थिरीकरण	स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर - ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्तें बताती हैं कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात गिरेगा।
9.	ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्ति से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण निधियों की निवल उपलब्धता को बताते हुए ऋण प्राप्ति का प्रयोग ऋण विमोचन में किया जाता है।
11.	ऋणोत्तर प्राप्ति	बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।